अध्याय-2

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 दिल्ली में सीवेज प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

दिल्ली में सीवेज प्रबंधन के लिए दो एजेन्सियाँ हैं। दिल्ली जल बोर्ड घरेलू सीवेज के शोधन हेतु तथा दिल्ली औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम औद्योगिक सीवेज के शोधन हेतु उत्तरदायी है। दिल्ली में सीवेज प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-12 की अवधि के लिए यह निश्चित करने के दृष्टिकोण से की गई कि क्या दोनो एजेन्सियाँ दिल्ली में उत्पन्न सीवेज को एक कुशल, मितव्ययी तथा पर्यावरण मैत्रीपूर्ण ढंग से एकत्र करने, शोधन करने तथा निपटान करने के योग्य थी ।

दि.ज.बो. ने 2007-12 के दौरान ₹ 1634.18 करोड़ व्यय करने के पश्चात् केवल 1 एम.जी.डी. क्षमता का एस.टी.पी. लगाया तथा 900 कि.मी. की सीवर लाइन बिछाई तथा 2010-11 (100 प्रतिशत) और 2011-12 (51 प्रतिशत) के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग नहीं कर सका।

दि.ज.बो. ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सीवेज प्रबंधन हेतु कोई सापेक्ष महत्व की योजना तैयार नहीं की थी । 32 में से 15 सीवेज शोधन संयंत्रों (एस.टी.पी.) के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि ये सभी एस.टी.पी. अपनी क्षमताओं से कम कार्य कर रहे थे जैसाकि दि.ज.बो. इन एस.टी.पी. के लिए पर्याप्त सीवेज लेने के लिए प्रणाली बनाने में असमर्थ रहा। दि.ज.बो. दिल्ली में उत्पन्न 680 एम.जी.डी. में से केवल 367 एम.जी.डी. (54 प्रतिशत) सीवेज को एकत्र करने तथा शोधन करने में समर्थ था तथा 543.40 एम.जी.डी. की सीवेज शोधन क्षमता रखने पर भी शेष सीवेज को अधिक मात्रा में बरसाती पानी के नालों के जरिये यमुना नदी में बहा रहा था।

15 एस.टी.पी. की नमूना जाँच में 206 एम.जी.डी. में से 51 एम.जी.डी. की बॉयो कैमिकल ऑक्सीजन माँग तथा कुल सस्पैंडिड सोलिडस इत्यादि निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं कर रहे थे।

एस.टी.पी. तथा सीवेज पंपिग स्टेशनों (एस.पी.एस) के निर्माण से कार्य सौंपने में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि,(₹ 92.74 करोड़), परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के लिए जुर्माने को न लगाना (₹ 37.14 करोड़) तथा ठेकेदारों को ब्याज मुक्त मोबेलाईजेशन अग्रिम देने के कारण (₹ 6.25 करोड़) हानि का पता चला। एस.टी.पी तथा एस.पी.एस के अनुरक्षण से करों के अनियमित भुगतान (₹ 19.24 करोड़), निष्फल व्यय (₹ 10.20 करोड़) का पता चला।

जनवरी 2008 में 3 तेज बरसाती पानी के नालों से सीवेज के एकत्रण और उसे इंटरसैप्टर के निर्माण से एस.टी.पी. संयंत्रों तक ले जाने की परियोजना आरम्भ की गई। तथापि यह कार्य केवल जुलाई 2011 में सौंपा गया जिसकी समाप्ति की तिथि जुलाई 2014 थी । यहाँ तक कि परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात भी यह संदेहजनक होगा क्योंकि क्या यह मानसून में प्रभावी होगा क्योंकि बरसाती पानी के नाले वर्षा के पानी से भी भर जाएंगे । हानिकारक गैसें जो विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग नहीं की गई, वातावरण में छोड़ी गई जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण हुआ ।

जहाँ तक औद्योगिक सीवेज शोधन का संबंध है यह पाया गया कि 15 में से चार कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटस (सी.ई.टी.पी) जो 1998 तक पूरे किए जाने थे, दिसम्बर 2012 तक पूरे नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप औद्योगिक सीवेज यमुना में अशोधित बह रहा था । सी.ई.टी.पी. सोसाइटियों को सी.ई.टी.पी के प्रचालन व अनुरक्षण करने का कार्य सौपने मे विलम्ब था । औद्योगिक सीवेज ले जाने वाली कई नालियाँ सी.ई.टी.पी. के साथ नही जुड़ी थी जिससे वे यमुना में सीधे बह रहीं थी । सी.ई.टी.पी. की अधिष्ठापन क्षमता वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक थी और इस प्रकार वे अधिष्ठापन क्षमता का केवल 5 से 62.50 प्रतिशत उपयोग कर रहीं थी। शोधन के दौरान इन सी.ई.टी.पी. से उत्पन्न कुल 12769 एम.टी. खतरनाक कीचड़ पर्यावरण और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते हुए नवम्बर 2012 तक परिसरों में पड़ा हुआ था।

दिल्ली में सीवेज प्रबंधन

दिल्ली में सीवेज प्रबंधन निष्पादन लेखापरीक्षा, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे) में जल प्रदूषण के नियंत्रण के उद्देश्य से सीवेज प्रबंधन और शोधन से संबंधित मामलों पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं की श्रृंखला में चौथी थी। पहले के तीन पुनरीक्षणों में रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में छापे गए तथा विधान मंडल में 2000, 2004 तथा 2005 के दौरान प्रस्तुत किए गए, इनमें अन्य बातों के अलावा सीवेज-शोधन संयंत्रों (एस.टी.पी.) और सीवेज पंपिग स्टेशनों (एस.पी.एस) के निर्माण की धीमी प्रगति, सीवर लाइनों का पुर्नविकास, औद्योगिक एफ्लुंटस का शोधन करने हेतु कॉमन एफ्लुंट ट्रीटमेंट प्लांटस (सी.ई.टी.पी) के निर्माण व उपयोगिता की धीमी प्रगति तथा अधिक मात्रा में औद्योगिक और घरेलू सीवेज का बरसाती पानी के नालों में शोधन के बिना लगातार बहने को दर्शाया गया था ।

सीवेज शोधन परियोजनाओं के निष्पादन के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण था कि यह निष्पादन लेखापरीक्षा एस.टी.पी., एस.पी.एस और उनको जोड़ने वाली सीवर लाइनों के प्रबंध को निर्धारित करने तथा शोधन की गुणवत्ता के साथ औद्योगिक व घरेलू सीवेज के वास्तविक शोधन के दृष्टिकोण से किया गया था।

2.1.1 प्रस्तावना

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.), दिल्ली नगर निगमों (एम.सी.डी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रो में सीवेज सुविधाएँ प्रदान करता है। नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी) दिल्ली छावनी बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए) अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों में शाखा सीवरों के निर्माण और उनकी मुख्य सीवरों में निकासी के लिए उत्तरदायी हैं। दि.ज.बो., एन.डी.एम.सी और दिल्ली छावनी बोर्ड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाओं के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रो से केवल थोक मात्रा में सीवेज एकत्र करता है । दि.ज.बो. कार्यकारी एजेन्सी है जिसे दिल्ली के रा.रा.क्षे. में एस.टी.पी., एस.पी.एस, मुख्य सीवरों के निर्माण व अनुरक्षण तथा घरेलू सीवेज का एकत्रण व शोधन और एन.डी.एम.सी व छावनी क्षेत्रों का सीवेज बल्क में सौंपा गया। दि.ज.बो. के पास 543.4 एम.जी.डी. की सीवेज शोधन क्षमता है और रा.रा.क्षे.दिल्ली मे कुल उत्पन्न सीवेज 680 एम.जी.डी. है । दि.ज.बो. केवल 367 एम.जी.डी. सीवेज का एकत्रण व शोधन करने में समर्थ है तथा शेष 313 एम.जी.डी. सीवेज यमुना नदी में बहा दिया जाता है ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (डी.एस.आई.आई.डी.सी) को सांकेतिक औद्योगिक संपदाओं में कॉमन एफ्लुंट ट्रीटमेंट प्लांटस (सी.ई.टी.पी) के निर्माण का कार्य सौंपा गया है । विभिन्न औद्योगिक संपदा गृह बड़ी संख्या में लघु तथा मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाईयाँ है। 1996 में एक पी.आई.एल. भारत सरकार के

विरूद्ध भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई जिसमें दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण की समस्या से संबंधित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को दिल्ली के 28 विभिन्न औद्योगिक संपदाओं में स्थित औद्योगिक इकाईयों के एफ्लुंट के शोधन हेतु सी.ई.टी.पी का निर्माण करने का निर्देश (फरवरी 1996) दिया । डी.पी.सी.सी. ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.) के साथ (मार्च 1996) एक अनुबंध किया जिसे एक सर्वेक्षण करने और औद्योगिक कचरे का शोधन हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव देना था । एन.ई.ई.आर.आई. ने अपनी रिपोर्ट (जून 1996) में दिल्ली के 21 औद्योगिक संपदाओं को कवर करने के लिए 15 सी.ई.टी.पी. की स्थापना का सुझाव दिया ।

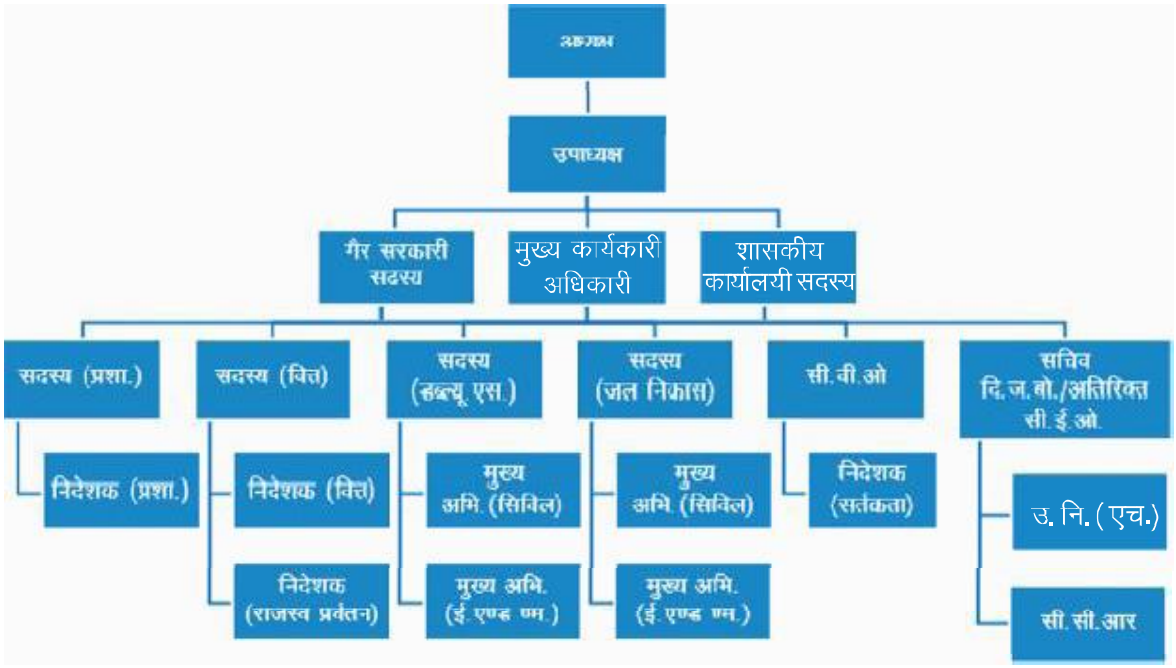
डी.पी.सी.सी. और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) प्रदूषण की निगरानी तथा प्रदूषण मानकों को लागू करवाने हेतु उत्तरदायी है।

एक प्रवेश सम्मेलन 5 जुलाई 2012 तथा समापन सम्मेलन 6 मार्च 2013 को किया गया।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

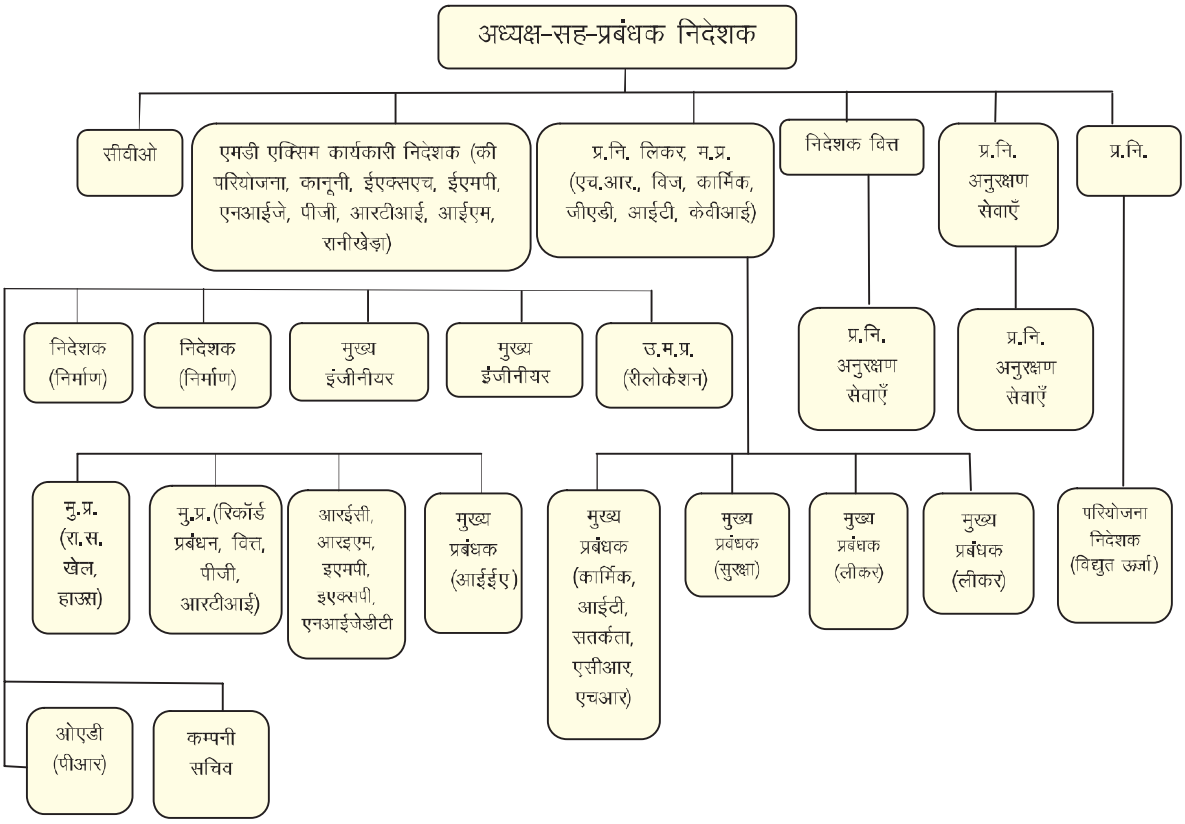
दि.ज.बो. का एक मुख्य अध्यक्ष होता है । इसमें एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक गैर सरकारी सदस्य, एक कार्यकारी शासकीय सदस्य, चार सदस्य (प्रशासन, वित्त, जल आपूर्ति तथा निकासी), तीन निदेशक, छः मुख्य इंजीनियर (निकासी), पर्यवेक्षण इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर, इंजीनियरिंग स्टाफ व क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी होते हैं।

दिल्ली जल बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट



2.1.2.1 दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा आधारभूत संरचना विकास निगम

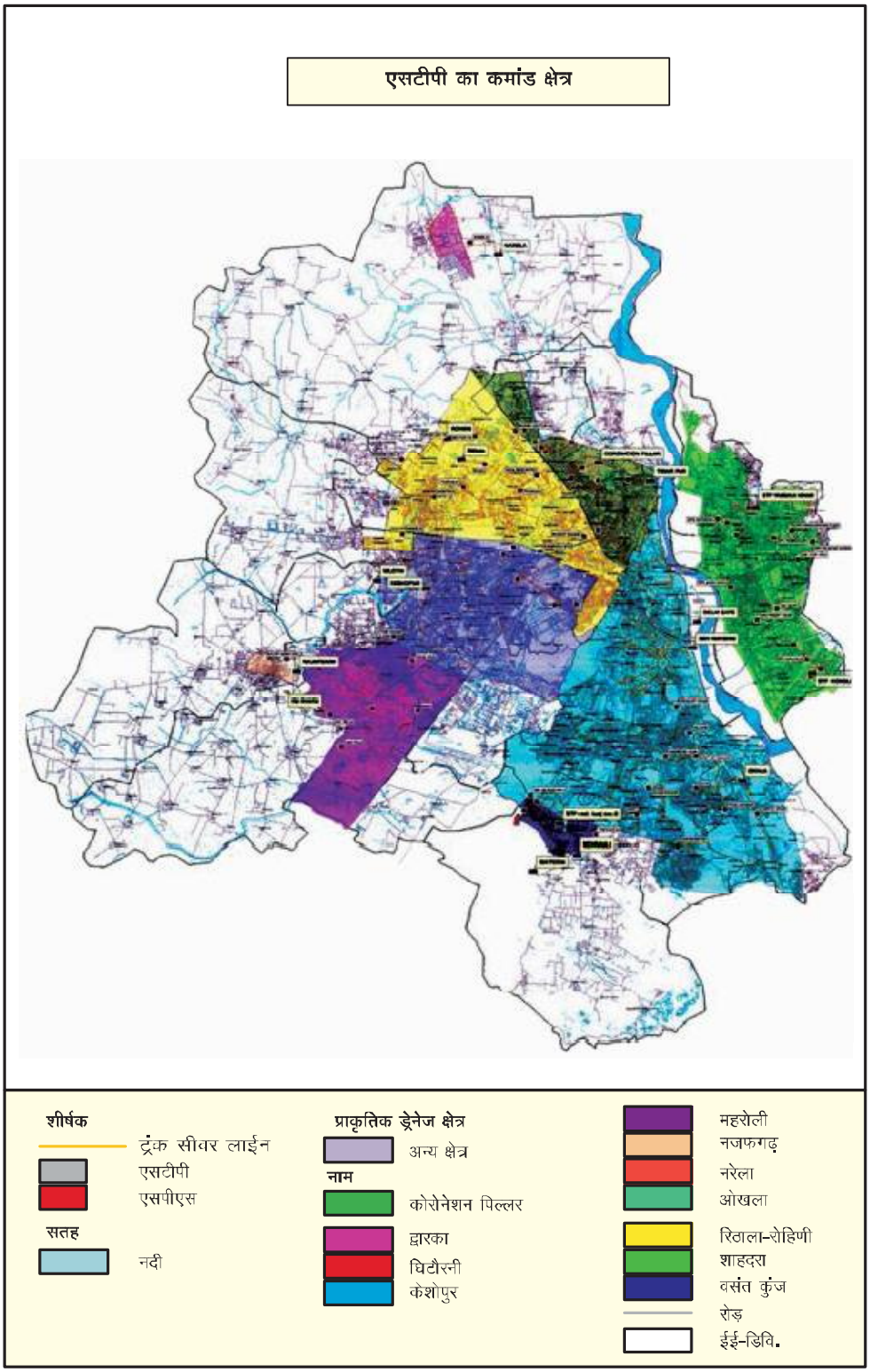
डीएसआईआईडीसी का अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक है। सीईटीपी के लिए एक मुख्य इंजीनियर, एक मुख्य परियोजना प्रबंधक (ई एण्ड एम) एक एस.पी.एम. (ई एण्ड एम), एक परियोजना प्रबंधक तथा सी.ई.टी.पी. के लिए एक प्रबंधक होता है।



2.1.3 दिल्ली में विद्यमान सीवेज प्रणाली

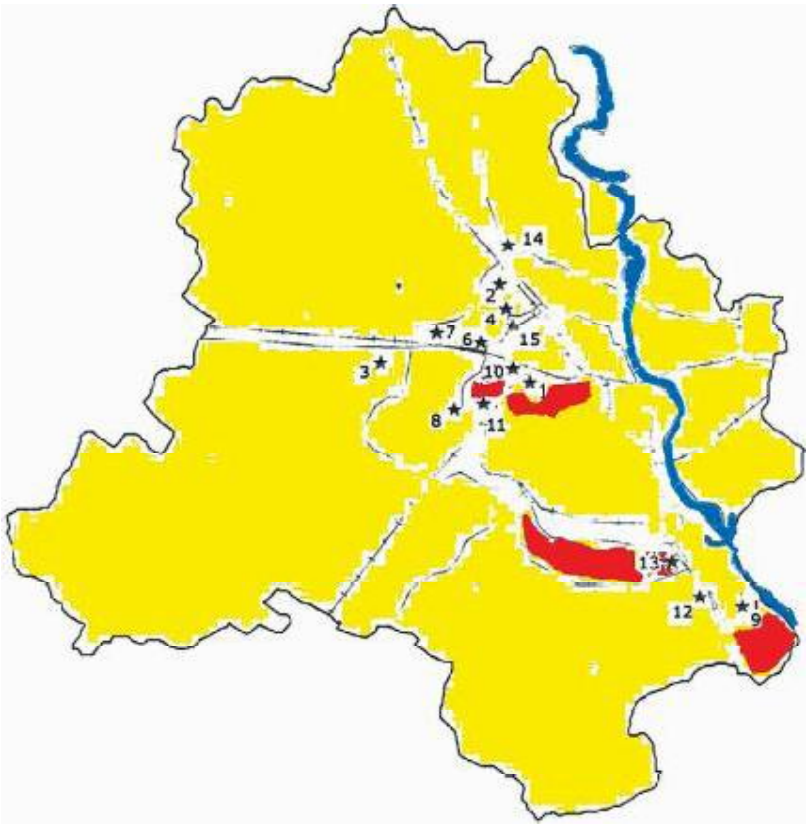
दि.ज.बो. के पास दिल्ली के रा.रा.क्षे. के 18 स्थानों में 42 एस.पी.एस. के साथ 31 एस.टी.पी. हैं । सीवेज नेटवर्क में शाखा सीवरों (बाह्य/आंतरिक सीवर) सहित 6500 कि.मी. की सीवर लाइनें शामिल होती हैं। इसमें कुल 150 कि.मी. के 29 मुख्य ट्रंक सीवर तथा लगभग 1500 कि.मी. के बाह्य परिधीन नेटवर्क सम्मिलित हैं । सीवर प्रबंधन के लिए दिल्ली को छ: निकासी क्षेत्रों ओखला, केशोपुर, रिठाला-रोहिणी, कोरोनेशन पिलर, शाहदरा और बाह्य दिल्ली मे बाँटा जाता है । एस.टी.पी. तथा छ:

निकासी क्षेत्रों की स्थिति को नीचे नक्शे में चित्रित किया गया है:-



एन.ई.ई.आर.आई द्वारा सिफारिश किए गए 15 सी.ई.टी.पी. में से डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने आनंद पर्वत, मोहन कॉओपरेटिव, बदरपुर-ओखला तथा नजफगढ़ रोड़ औद्योगिक एस्टेट में चार सी.ई.टी.पी. को छोड़कर 11 सी.ई.टी.पी. को निर्मित किया था और कार्यात्मक बनाया। इनके अलावा डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने नरेला और बवाना में दो ओर सी.ई.टी.पी. निर्मित किए थे चूंकि ये औद्योगिक एस्टेट एन.ई.ई.आर.आई. रिपोर्ट के बाद आए थे। एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा सिफारिश किए गए 15 सी.ई.टी.पी. के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 256 करोड़ थी जिसे नीचे नक्शे में चित्रित किया गया है:-

दिल्ली के सी.ई.टी.पी. की स्थिति



संकेत

- रा.रा.क्षे. सीमा
- नदी
- अनिर्मित सीईटीपी
- कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

1 आनन्द पर्वत
2 बादली
3 नागलोई
4 जी.टी.के. रोड़
5 झिलमिल
6 लारेंस रोड़
7 मंगोलपुरी
8 माया पुरी
9 मोहन को-ऑपरेटिव
10 नजफगढ़
11 नारायणा
12 ओखला
13 ओखला औद्योगिक एस्टेट
14 एस.एम.ए.
15 वजीरपुर

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई कि क्या :-

- दि.ज.बो. तथा डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा उत्पन्न सीवेज, सीवेज शोधन क्षमता तथा वास्तविक सीवेज शोधन के बीच अंतर था,
- दिल्ली में सीवेज प्रणाली के लिए कार्यक्रम और स्कीमें अपनाई गई थी और सीवेज के शोधन हेतु सुव्यवस्थित योजना बनाई गई थी,
- सीवेज प्रणाली के लिए उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया था,
- उत्पन्न सुविधाएँ निर्धारित निष्पादन मानकों के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं,
- एफ्लुेंट वॉटर की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग हेतु एक प्रभावी प्रणाली थी ताकि समय पर सुधारक उपाय किए जा सकें और किए गए उपायों ने एफ्लुेंट वॉटर की गुणवत्ता को सुधारने में प्रभाव डाला था,
- सी.ई.टी.पी. को पूरा हो जाने पर संबंधित सी.ई.टी.पी. सोसाईटी को सौंपा गया,
- सभी औद्योगिक क्षेत्रों को सी.ई.टी.पी. के शोधन के लिए औद्योगिक सीवेज के एकीकरण के लिए कवर किया गया, और
- उत्पन्न कीचड़ को उचित रूप से निपटाया गया ।

2.1.5. लेखापरीक्षा कसौटी

सीवेज प्रबंधन में दि.ज.बो. का निष्पादन निम्नलिखित से निकाली गई कसौटी के लिए

- पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भा.स. का सीवेज मैनुअल,
- सामान्य वित्तीय नियमावली तथा सरकार द्वारा जारी अन्य आदेश,
- सी.पी.डब्ल्यू.डी. बर्क्स मैनुअल,
- पर्यावरण प्रदूषण (निवारण व नियंत्रण) प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी दिशानिर्देश व अनुदेश, और
- माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा अनुदेश।

औद्योगिक सीवेज प्रबंधन में डी.एस.आई.आई.डी.सी. के कार्य को निम्नलिखित में निर्धारित कसौटीके विरूद्ध चिन्हित किया:

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों,
- ई.पी.सी.ए./डी.पी.सी.सी. सर्वेक्षण प्रतिवेदनों,
- एन.ई.ई.आर.आई. की रिपोर्ट, और
- सी.ई.टी.पी. के प्रलेखों को सौंपना/लेना इत्यादि ।

2.1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र व कार्यप्रणाली

अगस्त-नवम्बर 2012 के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि को कवर करते हुए दिल्ली के सीवेज प्रबंधन से संबंधित तथा दि.ज.बो. व डी.एस.आई.आई.डी.सी. के अभिलेखों की नमूना जाँच से संबंधित अभिलेखो का परीक्षण किया गया । लेखापरीक्षा दल ने सात स्थानों पर स्थित एस.टी.पी. एवं उनसे जुड़े एस.पी.एस. और वजीरपुर, बादली, झिलमिल, नांगलोई तथा ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति सी.ई.टी.पी. तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रीय बोर्ड द्वारा रखे गए अभिलेखों की भी जाँच की ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य से सात स्थानों के सी.शो.स. को स्टैटिस्टिकल रैनडम सैंपलिंग विदाऊट रिप्लेसमैंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) के माध्यम से चुना गया । लेखापरीक्षा नमूना 70 एमजीडी से अधिक क्षमता वाले सी.शो.सं. (तीन) के लिए 100 प्रतिशत, 20 से 70 एमजीडी क्षमता वाले सी.शो.सं. (दो) के लिए 40 प्रतिशत तथा 20 एम जीडी से कम क्षमता वाले सी.शो.सं. (दो) के साथ 30 प्रतिशत तथा उनसे जुड़े एसपीएस थे । दि.ज.बो. के 40 निर्मित व सीवेज अनुरक्षण डिवीजनों में से 8 डिवीजन (20 प्रतिशत) एसआरएसडब्ल्यूआर के माध्यम से चार अनुरक्षण डिवीजन से तथा चार निर्माण डिवीजन से चुने गए ।

दिल्ली में सीवेज प्रबंधन के लिए स्कीम के संदर्भ में निष्पादन लेखापरीक्षा डीएसआईआईडीसी में 2007-12 की अवधि को कवर करते हुए इसकी भूमिका की जाँच और सीईटीपी के प्रचालन में उत्तरदायी थी । पाँच सीईटीपीएस जैसे वजीरपुर, बादली, झिलमिल, नांगलोई तथा ओखला औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए ।

2.1.7 दिल्ली जल बोर्ड में लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

2.1.7.1 निधियों का उपयोग

दि.ज.बो. पूँजीगत व्ययों से प्रचालित व्ययों को करने हेतु अपना बजट दो भागों में तैयार करता है (i) गैर-योजनागत/राजस्व बजट (ii) योजना/पूँजीगत । बजट प्राप्तियों की मुख्य मदें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग से ऋण तथा सहायता अनुदान है, केन्द्रीय सरकार की स्कीमों जैसे जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूल मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी) से प्राप्त निधि हैं । अप्रैल 2007 और मार्च 2012 के बीच की अवधि के दौरान सरकार ने दि.ज.बो. को सीवेज शोधन सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए ₹ 2952.19 करोड़ प्रदान किए जिसमें से दि.ज.बो. ने ₹ 2714.8 करोड़ (91.96 प्रतिशत) का उपयोग किया । 2007-12 के लिए परिव्यय, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित शेष **तालिका-2.1** में दिया गया है:

तालिका-2.1 : 2007-12 के लिए परिव्यय, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	परिव्यय				व्यय			
	बल्क	निर्माण	अनुरक्षण	कुल	बल्क	निर्माण	अनुरक्षण	कुल (प्रतिशत)
2007-08	89.00	183.30	79.15	351.45	128.14	132.09	66.40	326.63 (92.92%)
2008-09	82.63	283.75	138.40	504.78	122.17	221.23	85.68	429.08 (85%)
2009-10	117.25	470.24	47.25	634.74	153.88	460.25	50.67	664.80* (104.74%)
2010-11	123.45	396.81	56.62	576.88	146.03	476.53	54.57	677.13 (117.38%)
सहा.अनु.*	0	161.48	0	161.48	0	0	0	0
कुल 2010-11	123.45	558.29	56.62	738.36	146.03	476.53	54.57	677.13 (91.71%)
2011-12 (अस्थायी)	133.20	274.33	90.34	497.86	174.79	233.19	98.29	506.27 (101.69%)
सहा.अनु.*	0	225.00	0	225.00	0	110.89	0	110.89 (49.28%)
कुल 2011-12	133.20	499.33	90.34	722.86	174.79	344.08	98.29	617.16 (85.38%)
कुल	**545.53**	**1994.91**	**411.76**	**2952.20**	**725.01**	**1634.18**	**355.61**	**2714.80 (91.96%)**

** जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान*

ए: बल्क में सी पं स्टे व सी शो सं. के अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है

बी: निर्माण में सी.शो.सं., सी पं स्टे व सीवर लाइनों के निर्माण पर व्यय सम्मिलित है

सी: अनुरक्षण में अनुरक्षण डिवीजनों द्वारा सीवर लाइनों पर किया गया व्यय सम्मिलित है

2007-12 वर्षों के दौरान ₹ 1634.18 करोड़ का व्यय दि.न.नि. क्षेत्रों में सी.शो.सं., सी.पं. स्टे. तथा सीवर लाइनों के निर्माण पर किया गया था । दि.ज.बो. ने 2007-12 के बीच केवल एक एम.जी.डी. क्षमता का सी.शो.सं. तथा 900 कि.मी. की सीवर लाइनों को जोड़ा ।

2007-12 के दौरान दि.ज.बो. का योजनागत परिव्यय का उपयोग 85 प्रतिशत और 117 प्रतिशत की रेंज में था । जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग की सीमा 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत थी । वर्ष 2009-10 के लिए वाईएपी-II के अन्तर्गत बजट अवधान ₹ 66.19 करोड़ था जबकि वास्तविक व्यय ₹ 106.37 करोड़ था ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि योजनावार निधि सरकार द्वारा प्रदान की गई तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक किये जाने वाले व्यय के आधार पर संशोधित अनुमान को पुर्नविनियोजित किया गया परन्तु कुछ मामलों में यहाँ तक कि कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् भी बिल अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्राप्त किए गए हैं । उत्तर सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 52(2) के संबंध में स्वीकार्य नहीं था जो बताता है कि अनुदान व विनियोग का उपयोग वित्त वर्ष के दौरान अदा किए जाने वाले अनुदान अथवा विनियोग के प्रभारों को कवर करने में किया जा सकता है और वर्ष के लेखे में समायोजित किया जा सकता है ।

2.1.7.2 योजना

किसी संगठन के समुचित कार्य के लिए आने वाले वर्षों में संगठन की प्रस्तावित गतिविधियों को शामिल करते हुए व्यापक योजना इसके अनिवार्य कार्य के तीव्र व सरल निपटान को सुनिश्चित करना सर्वोपरि महत्वपूर्ण है । स्वच्छता के लिए एक नगर पंचवर्षीय योजना एक जीवंत प्रलेख है जो अपने सभी नागरिकों तक स्वच्छता पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकाय आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों का विवरण देता है । स्वच्छता में सीवेज/कीचड़ का एकत्रण, शोधन तथा निपटान को मितव्ययी, मैत्रीपूर्ण पर्यावरण तथा टिकाऊढंग से करना सम्मिलित है । तथापि, दि.ज.बो. द्वारा सीवेज प्रबंधन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए ऐसी कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी ।

(क) एसटीपी का क्षमता से कम उपयोग

पिछले पाँच वर्षों (2007-12) के लिए नमूना जाँच किए गए सात सी.शो. संयंत्रों का स्थान, क्षमता तथा वास्तविक उपयोग के ब्यौरे **तालिका-2.2** में है:

तालिका 2.2: नमूना जाँच किए गए सी.शो.सं. का स्थान क्षमता व वास्तविक उपयोगिता

क्र. सं.	स्थान	सी.शो.सं. की सं.	अधिष्ठापित क्षमता (एमजीडी)	वास्तव में शोधित सीवेज (एमजीडी)	उपयोग की गई क्षमता (प्रतिशत)
1.	ओखला	5	170	113.07	66.51
2.	रिठाला	2	80	43.01	53.76
3.	केशोपुर	3	72	23.10	32.08
4.	रोहिणी	1	15	0.73	4.87
5.	यमुना विहार	2	20	11.53	57.65
6.	नरेला	1	10	1.20	12.00
7.	पप्पनकलां	1	20	13.45	67.25
	कुल	**15**	**387**	**206.09**	**53.25**

जैसा कि देखा जा सकता है कि सी.शो. संयंत्र क्षमता से कम कार्य कर रहे थे तथा समग्र उपयोगिता कुल क्षमता का केवल 53 प्रतिशत थी । रोहिणी तथा नरेला में क्षमता का उपयोग बहुत कम क्रमशः पाँच से 12 प्रतिशत था । दि.ज.बो. ने विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शोधन क्षमता उत्पन्न करने हेतु बहुत अधिक राशि व्यय की जबकि यह उन क्षेत्रों में जहाँ अधिक संख्या में सीवेज उत्पन्न किए जा रहे थे, आवश्यक शोधन सुविधाओं तथा वाहन प्रणालियों का सृजन करने में विफल रहा । ऐसी कम क्षमता उपयोगिता का कारण संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में उत्पन्न शोधन क्षमता तथा वास्तव में उत्पन्न सीवेज के बीच मिलान नहीं होना था।

रिठाला फेस-II सी.शो.सं. का एक दृश्य



(ख) कम सीवेज भार वाले क्षेत्रों में शोधन संयंत्रों का निर्माण

दि.ज.बो. ने जहाँ पर सीवेज उत्पत्ति कम थी सीवेज सुविधाओं की उत्पत्ति पर ₹ 54.46 करोड़ का व्यय किया, जो **तालिका 2.3** में दिया गया है:

तालिका-2.3 : कम सीवेज भार वाले क्षेत्र में सी.शो.सं.

	घिटोरनी	रोहिणी	नरेला	पप्पनकलां	कुल
उत्पन्न शोधन क्षमता (एम.जी.डी.)	5.00	15.00	10.00	20.00	**50.00**
वास्तव में उत्पन्न/सीवेज़ संशोधित (एमजीडी)	शून्य	0.75	1.20	13.45	**15.40**
कम उपयोग की गई शोधन क्षमता (एमजीडी)	5.00	14.25	8.80	6.55	**34.60**
सी.शो.सं. की पूँजीगत लागत (₹ करोड़ में)	6.62	16.85	13.52	17.47	**54.46**

34.60 एमजीडी की शोधन क्षमता अप्रयुक्त रही जबकि दि.ज.बो. ने उन स्थानों पर जहाँ मुश्किल से कोई सीवेज उत्पन्न किया गया वहाँ सी.शो.सं. के अनुरक्षण तथा प्रचालन पर व्यय को जारी रखा । लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 1997 में घिटोरनी में ₹ 6.62 करोड़ की लागत पर निर्मित संयंत्र अपने कमांडिग क्षेत्रों में सीवेज की गैर-उपलब्धता के कारण निर्माण से, खाली पड़ा था और दि.ज.बो. संयंत्र की निगरानी पर व्यय कर रहा था ।

दि.ज.बो. ने (मार्च 2013) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया ।

- यद्यपि, दि.ज.बो. ने 2002 में आरंभ किए गए रोहिणी में सी.शो.सं. पर 0.75 एमजीडी की सीवेज क्षमता को रिपोर्ट किया, डीपीसीसी ने (मार्च 2012) सूचित किया कि संयंत्र वास्तव में प्रचलन में नहीं था । दि.ज.बो. ने अप्रैल 2002 से मार्च 2012 तक संयंत्र के प्रचालन व अनुरक्षण पर ₹ 1.39 करोड़ व्यय किए।

 दि.ज.बो. ने प्रचालन व अनुरक्षण पर ₹ 1.39 करोड़ व्यय करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2013) कि रोहिणी सी.शो.सं. की कम उपयोगिता के लिए कारण यह था कि प्रक्षेपित सीवेज उत्पन्न नहीं किया जा रहा था जैसाकि दि.वि.प्रा. द्वारा क्षेत्र में योजनागत तथा प्रत्याशित किया गया था। तथापि संयंत्र कम प्रत्युक्त रही।

- 2001 में नरेला में आरंभ किए गए संयंत्र की क्षमता की उपयोगिता केवल 12 *प्रतिशत* थी।

(ग) सी.शो.सं. क्षमता में अयोजित वृद्धि

नौ सी.शो. संयंत्रों में कुल शोधन क्षमता की मात्रा 220 एमजीडी के प्रति वास्तविक शोधित सीवेज केवल 153 एमजीडी था जो दि.ज.बो. के सीवेज एकत्रण की सभी गतिविधियों के समग्र विकास की विफलता के कारण था। इसके अतिरिक्त सी.शो.सं. की क्षमता में वृद्धि निर्धारण/अधिकार क्षेत्र से परे था। सी.शो.सं. के कम उपयोग के ब्यौरे **तालिका-2.4** में दिए गए हैं:

तालिका 2.4 : संयंत्रों के कम उपयोग के विवरण

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	एमजीडी में क्षमता	आरंभ करने का वर्ष	मार्च 2012 को वास्तविक शोधन	वर्तमान क्षमता उपयोग
1	यमुना विहार	10 10	1999 2003	11.53	57.65
2	नीलोठी	40	2002	15.00	37.50
3	पप्पनकलां	20	2000	13.45	67.25
4	ओखला	30 12 37 45 16	1937 1982 1993 1993 2001	113.07	66.51

- यमुना विहार में शुरू किए गए 20 एमजीडी के दो सी.शो.सं. में 42.35 *प्रतिशत* तक कम उपयोग किया गया, दूसरा 25 एमजीडी का सी.शो.सं. उसी स्थान पर ₹ 62.05 करोड़ की लागत से विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किए बिना निर्मित किया जा रहा है ।
- निलोठी तथा पप्पनकलां में प्रत्येक में एक सी.शो.सं. 40 एमजीडी व 20 एमजीडी क्षमता के साथ स्थापित थे एवं जो कि क्रमशः 62.5 प्रतिशत व 32.75 *प्रतिशत* तक कम उपयोग किए गए । 20 एमजीडी क्षमता वाले दो और सी.शो.सं. उन्हीं स्थानों में प्रत्येक में क्रमशः ₹ 261.50 करोड़ व ₹ 134.5 करोड़ की लागत पर निर्मित किए जा रहे हैं ।
- 140 एमजीडी की सामूहिक क्षमता वाले पाँच सी.शो.सं. का ओखला में 33.49 *प्रतिशत* तक कम उपयोग किया गया । लेखापरीक्षा में देखा गया कि 30 एमजीडी का अन्य संयंत्र जो 2012 में ओखला में शुरू किया गया उसकी आवश्यकता नहीं थी जैसाकि दिल्ली गेट, डा. सेन नर्सिंग होम, निगमबोध, सीवेज पंपिंग स्टेशन सं. 1, 2, 4 व पहाड़ी धीरज का सीवेज इस सी.शो.सं. में नहीं आ रहे हैं ।
- इससे पूरी तरह से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ओखला सी.शो.सं. के विस्तार के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कमी थी जैसाकि वर्ष 2006 के लिए ओखला सी.शो.सं. हेतु शोधन के लिए अनुमानित 170 एमजीडी था परन्तु 2012 में जब यह पूरा हुआ तो केवल 113 एमजीडी का सीवेज शोधन किया जा रहा था ।

 दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि शोधन के लिए आवश्यक असंशोधित सीवेज की गैस-उपलब्धता के कारण कम उपयोग हुआ था और आगे कहा कि कमांड क्षेत्र में इंटरसेप्टर सीवर की शुरूआत तथा जल आपूर्ति में वृद्धि के पश्चात् इसका पूर्ण उपयोग किया जाएगा ।

(घ) आवश्यकता से अधिक सी.शो.सं. का निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दि.ज.बो.ने नवंबर 2012 को 543.40 एमजीडी की क्षमता वाले सी.शो.सं. का निर्माण किया । चूंकि दि.ज.बो. सीवेज नेटवर्क के साथ 54 प्रतिशत जनसंख्या को ही जोड़ रहा था, दिल्ली में कुल आवश्यकता 367.2 एमजीडी की क्षमता वाले सी.शो.सं. की थी । इस प्रकार 176.2 एमजीडी क्षमता वाले सी.शो.सं. का या तो कम उपयोग किया गया या वे व्यर्थ पड़े रहे ।

2.1.7.3 सी.शो.सं. को ग्रेड देना

वर्ष 2007 में सीपीसीबी द्वारा भारत में सी.शो.सं. (दिल्ली के 13 सी.शो.सं. सहित) के प्रचालन व अनुरक्षण के मूल्यांकन पर अध्ययन किया गया । अध्ययन में दिल्ली के सात संयंत्रों को "संतोषजनक[1] ", पाँच को "कमजोर[2] " तथा एक को "बहुत कमजोर[3] " ग्रेड दिया गया ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि सभी सी.शो.सं. संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सीपीसीबी का अध्ययन सी.शो.सं. के प्रचालन व अनुरक्षण के समग्र मूल्यांकन पर आधारित था ।

2.1.7.4 सीवेज का एकत्रण

दिल्ली की जनसंख्या को आपूर्तित पेय जल के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि दिल्ली में 680 एमजीडी का सीवर उत्पन्न होता है । इसमें से दि.ज.बो. शोधन हेतु केवल 367 एमजीडी का सीवेज एकत्रित करता है । एकत्रण में ऐसी कमी का कारण दिल्ली में केवल 54 प्रतिशत जनसंख्या सीवर लाइनों के जरिए कवर की जाती है जो सीवेज एकत्र करती हैं तथा उसे विभिन्न सी.शो.सं. को पहुँचाती हैं और दिल्ली में उत्पन्न 46 प्रतिशत सीवेज यमुना नदी में बरसाती पानी के नालों द्वारा अशोधित बह रहा है जो लगातार यमुना को प्रदूषित करता है ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए इंटरसेप्टर सीवर प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेजा गया । इंटरसेप्टर सीवर प्रणालियों के निर्माण हेतु निविदा लागत ₹ 1395 करोड़ थी । दि.ज.बो. ने परियोजना प्रबंध सलाह कार्य को ₹ 55.80 करोड़ की निविदा लागत के चार प्रतिशत की दर से मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को नामांकन आधार पर सौंपने का निर्णय लिया । बाद में ईआईएल ने (जून 2007) ₹ 69.75 करोड़ की निविदा लागत के पाँच प्रतिशत की दर से "निक्षेप सिद्धांत " पर परियोजना के निर्माण प्रबंधन को लेना स्वीकार किया । इंटरसेप्टर सीवर प्रणाली द्वारा तीन मुख्य बरसाती पानी के नालों द्वारा (18 में से) सीवेज एकत्रित करके और इसे शोधन हेतु सी.शो.सं. तक पहुँचाकर 30.36 प्रतिशत की जनसंख्या को कवर करने की आशा की गई । बाकी 15.64 प्रतिशत से प्राप्त सीवेज को दि.ज.बो. द्वारा दिल्ली गेट तथा सेन नर्सिंग होम की नालियों के मुहाने पर सी.शो.सं. की विद्यमान क्षमता का विस्तार करके, यमुना में पड़ने वाली 13 बरसाती पानी के नालों को दो मुख्य बड़े सीवरों से जोड़कर पुनरुद्धार करके विद्यमान सीवरों का पूरा उपयोग करने के पश्चात् नये सी.शो.सं. का निर्माण करके भी किया जाना था ।

[1] (i) डा. सेन नर्सिंग होम, (ii) महरौली, (iii) ओखला (iv) यमुना विहार (v) कोंडली (vi) पप्पनकलां तथा (vii) कोरोनेशन पिलर

[2] (i) दिल्ली गेट, (ii) बसन्त कुंज, (iii) निलोठी, (iv) केशोपुर और (v) रिठाला

[3] (i) नजफगढ़

जनवरी 2008 में दि.ज.बो. और ईआईएल के बीच परियोजना सलाह सेवाओं हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईआईएल ने सितंबर 2010 तक परियोजना की पूर्णता का लक्ष्य दिया जबकि कार्य केवल जुलाई 2011 में सौंपा गया जो जुलाई 2014 तक पूरा करना निर्धारित किया गया । इस प्रकार परियोजना को शीघ्र पूरा करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिसके लिए ईआईएल को नामांकन आधार पर चुना गया था ।

इसके अतिरिक्त, जब इंटरसेप्टर सीवर मानसून के महीनों के दौरान सीवेज वर्षा के पानी के साथ मिल जाएगा । बरसाती पानी की नालियों से सीवेज एकत्र करता है, सी.शो.सं. सीवेज की अतिरिक्त मात्रा को शोधित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा तथा सीवेज़ यमुना नदी में अशोधित बह जाएगा ।.

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवेज प्रणाली बिछाने का प्रस्ताव निर्णायक अवस्था में था तथा सीवेज प्रणाली इन कॉलोनियों में अगले 6-7 वर्षों के भीतर बिछा दी जाएगी । आगे कहा कि परियोजना में विलंब निधियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया और अन्य विभागों से क्लीयरेंस के कारण था । वर्षा के पानी के मिल जाने की समस्या बाँध बना कर सुलझा ली जाएगी । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ईआईएल ने मई 2010 से जबकि सभी रुकावटें दूर हो गयी थी 14 माह कार्य सौंपने के लिए तथा वर्तमान में कार्य निर्माण सौंपे जाने वाले में बांध लगाने का कार्य कार्यक्षेत्र में नहीं था ।

2.1.7.5 सीवेज प्रणाली का अनुरक्षण

सीवेज से कीचड़ तथा गाद को हटाने से सलफाइड उत्पत्ति कम होती है। इसलिए, सीवरों की आवधिक सफाई मशीनों अथवा कैमिकल साधनों से करनी आवश्यक है। यहाँ तक कि सीवर के कचरे से आंशिक रूप से अवरूद्ध होने के परिणामस्वरूप प्रवाह में बाधा आई तथा जिसके फलस्वरूप जमा हुए कीचड़ का अवायवीय अपघटन किया गया। समय पर मशीनों से सफाई तथा सीवरों को फ्लश करने से औसत सल्फाइड की उत्पत्ति को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। मशीनों से सफाई का एक अच्छा नियमित कार्यक्रम इन पैरामीटरों के नियंत्रण के लिए नींव है।

चयनित चार अनुरक्षण डिवीजनों में से मादीपुर, पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, इन्द्रपुरी तथा पंजाबी बाग विधान सभाओं के सीवरों के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी पश्चिम-II डिवीजन के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि वे सीवरों की नियमित अंतरालों पर सफाई नहीं करवा रहे थे । डिवीजन को एसडीडब्ल्यू-VI डिवीजन द्वारा किराए पर लेकर तीन जेटिंग-कम-संक्शन मशीनें, एक डिवीजन द्वारा स्वयं किराए पर लेकर तथा एक विभागीय मशीन उपलब्ध कराई गई। शिकायत रजिस्टर में केवल दर्शाया कि शिकायतों पर कार्यवाई की गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डिवीजन ने इन मशीनों के उपयोग से संबंधित समुचित अभिलेख जैसे लॉग बुक्स, शिकायत रजिस्टर

इत्यादि सही ढंग से नहीं रखे। उचित अभिलेखों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सकता था कि क्या उपलब्ध मशीनों का अधिकतम उपयोग किया गया तथा शैड्यूल के अनुसार सफाई कार्य पूरे किए गए और पार्टी को भुगतान सही किए गए ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि प्रत्येक वर्ष मानसून के आने से पहले सीवर की सफाई का कार्य किया जाता है और एक जैटिंग मशीन द्वारा औसतन 4-5 शिकायतों का निवारण किया जाता है । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उनके उत्तर के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं था और लॉग बुक का कोई उचित अभिलेख नहीं रखा गया था।

(क) अपर्याप्त सुरक्षा उपकरण

दि.ज.बो. के सुरक्षा कोड के अनुसार, सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो प्रभारी इंजीनियर के विचार से पर्याप्त थे उपलब्ध कराए जाने थे तथा स्थल पर नियुक्त व्यक्तियों के तत्काल उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में रखे जाने थे तथा ठेकेदार को उन संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपकरण के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए था। दि.ज.बो. ने सुरक्षा उपकरण तथा स्वयं द्वारा और ठेकेदार के कार्य स्थलों पर उनके उपयोग की जाँच के लिए सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से कार्यबल को गठित किया ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्यबल ने (अगस्त 2012) उत्तर पश्चिम-III के अंतर्गत पीतमपुरा/शालीमार बाग, रामपुरा, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, शकूरपुर, बेरीवाला बाग, निमरी कॉलोनी, धनधन सतगुरू सीवर स्टोर में सीवर स्टोर का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा उपकरण की कमी को इंगित किया ।

दि.ज.बो. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि (मार्च 2013) सभी सीवर स्टोरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.7.6 हानिकारक गैसों को वायु में उत्सर्जन

सी.शो. संयंत्रों में, स्लज डाइजेस्टर्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कीचड़ का संक्षेपण करते हैं । इस प्रक्रिया के दौरान, विषैली गैस जैसे मिथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड व कार्बन डाईऑक्साइड उत्पन्न होती हैं जो स्लज डाइजेस्टर्स के ऊपर एकत्रित होती हैं और इसके पश्चात् आगे निपटान हेतु गैस धारकों को स्थानांतरित कर दी जाती हैं । लेखापरीक्षा जाँच से पता चला (अगस्त 2012) कि चयनित 15 सी.शो.सं. में 62 डाइजेस्टर्स में से 37 कार्य नहीं कर रहे थे । इस कारण से ओखला, केशोपुर तथा रिठाला फेज़-I सी.शो. संयंत्रों में उत्पन्न हानिकारक गैसों का लगभग 7.27 लाख क्यूबिक फीट प्रत्येक दिन वातावरण में उत्सर्जित हो रहा था । इसके विपरीत, पिछले पाँच वर्षों के दौरान यमुना विहार सी.शो.सं. में विद्युत की उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग करने की बजाए 3.04 करोड़ क्यूबिक फीट गैसों को बर्नर से जलाया गया है क्योंकि इस संयंत्र में सीपीसीबी की सिफारिशों (2007) के बावजूद पॉवर की उत्पत्ति के लिए गैस के उपयोग का प्रावधान नहीं किया गया ।.

दि.ज.बो. ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (मार्च 2013) कि एसडीडब्ल्यू के कमांड क्षेत्र में उपयोगकर्त्ताओं को बायो-गैस की आपूर्ति पर वित्तीय, तकनीकी और सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी गई तथा गैस की उत्पत्ति को उन स्लज डाइजेस्टर की गैर-कार्यात्मकता के कारण कम हुई व सभी डाइजेस्टर तीन वर्षों में कार्यात्मक हो जाएंगे ।

2.1.7.7 शोधित सीवेज की गुणवत्ता

सी.शो. संयंत्रों में यमुना नदी में छोड़े जा रहे बहिःस्राव की मात्रा को मापने तथा निर्धारित गुणवत्ता पैरामीटरों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र का होना आवश्यक है ।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अधिकतर सी.शो.सं. में सी.शो.सं. की विभिन्न इकाईयों से एकत्रित बहिःस्राव के नमूना का विश्लेषण करने हेतु इन-हाऊस प्रयोगशालाओं को सुसज्जित किया जिससे उनकी अनुरूपता को जल (नियंत्रण एवं प्रदूषण निवारण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत डीपीसीसी द्वारा निर्धारित मानको के साथ सुनिश्चित किया जा सके । इसके अतिरिक्त सी.शो.सं. से छोड़े जा रहे बहिःस्राव की गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए डीपीसीसी ने टोटल सस्पेंडिड सोलिड्स (टीएसएस), बॉयो-कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) तथा कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) का मासिक विश्लेषण सी.शो.सं. से छोड़े जा रहे बहिःस्राव की गुणवत्ता को मॉनीटर करने के लिए किया था परन्तु वे कम थे । सी.शो.सं., डीपीसीसी तथा सीपीसीबी के अभिलेखों की नमूना जाँच से कमियों का पता चला जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

दि.ज.बो. द्वारा किए गए परीक्षणों के अनुसार नमूना जाँच किए गए सी.शो.सं. का बहिःस्राव निर्धारित मानकों से मेल नहीं कर रहे थे । यद्यपि रिठाला सी.शो.सं. फेज़-II निर्धारित मानकों (30 बीओडी व 50 टीएसएस) को पूरा कर रहा था, यह उन मानकों (15 बीओडी व 20 टीएसएस) को पूरा नहीं कर रहा था जिसके लिए यह डिजाइन किया गया था । इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान डीपीसीसी और सीपीसीबी के प्रतिवेदनों के अनुसार सी.शो.सं. 206 एमजीडी में से 51 एमजीडी की पूरी शोध क्षमता के साथ निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहा था । केशोपुर सी.शो.सं. के परिणामों का विश्लेषण नहीं किया गया क्योंकि इसका पुनरूद्धार कार्य मई 2008 से चल रहा था ।

कुल कोलीफोर्म तथा फैकल कोलीफोर्म बैकटीरिया की उपस्थिति को दर्शाता है जो मनुष्यों अथवा अन्य जानवरों की फैकल सामग्री के साथ मिलावट को सूचित करता है । संक्रमित जल में पैथोजीन सम्मिलित होता है जो बहुत सी बीमारियों को फैलाने हेतु उत्तरदायी है दि.ज.बो. ने नमूना जाँच के प्रत्येक संयंत्र में कुल कोलीफोर्म तथा फैकल कोलीफोर्म का विश्लेषण नहीं कर रहा था ।

नमूनों के एकत्रण और परीक्षण की प्रक्रिया के अनुसार नमूने संश्लिष्ट होने चाहिए अर्थात एक दिन के दौरान नियमित अंतराल पर नमूने उठाए जाने चाहिए ताकि परीक्षण परिणाम बहिःस्राव की गुणवत्ता की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करें । यह देखा गया कि दि.ज.बो. द्वारा ओखला, केशोपुर, रिठाला फेस-II, पप्पनकलां, यमुना विहार तथा नरेला सी.शो. संयंत्रों में परीक्षण दिन में केवल एक बार किया जबकि रिठाला फेज़-I में परीक्षण वैकल्पिक दिन और रोहिणी सी.शो.सं. में सप्ताह में एक बार किया जा रहा था। इस प्रकार दि.ज.बो. द्वारा किए गए परीक्षण शोधित सीवेज की गुणवत्ता का ठोस आश्वासन नहीं देते हैं ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि सभी सी.शो.सं. की प्रयोगशालाओं में नमूना एकत्रण ग्राह्य तथा संयोजन आधार पर किया गया और रिठाला फेस-II पर परीक्षण अपर्याप्त सीवेज के कारण वैकल्पिक दिन में किए गए तथा बहिःस्राव डीपीसीसी मानकों के साथ मिलता था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना एकत्रण का तरीका चयनित सी.शो.सं. पर संयोजित नहीं था तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए परीक्षण परिणामों ने विवरण की पुष्टि नहीं की। दि.ज.बो. ने आगे कहा कि कोंडली सी.शो.सं., रिठाला सी.शो.सं. तथा ओखला सी.शो.सं. के कमांड क्षेत्रों में सी.शो.सं. के पुनरूद्धार को वाईएपी-III में प्रस्तावित किया जा है और इससे आउटपुट पैरामीटरों में सुधार होगा।

2.1.7.8 सी.शो.सं./सी.पं.स्टे. के निर्माण व अनुरक्षण में अन्य अनियमितताएँ

दि.ज.बो. दिल्ली में सीवेज के शोधन हेतु उत्पन्न अवसंरचना के निर्माण तथा कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी था । सी.शो.सं. तथा सी.पं.स्टे. को चलाने में, निर्माण में मितव्ययता तथा इनपुट लागत को न्यूनतम करने के अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने हेतु दि.ज.बो. को आवश्यक कदम उठाने अपेक्षित थे ।

(क) खराब योजना के कारण ₹ 81.09 करोड़ की लागत वृद्धि तथा 42 एमजीडी के अशोधित सीवेज का वहाब

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा ओखला सी.शो.सं. की क्षमता में 140 एमजीडी से 170 एमजीडी तक की वृद्धि के लिए ₹ 94.37 करोड़[4] के ब्लॉक अनुमान तैयार किए गए तथा तकनीकी रूप में संस्वीकृत किए गए । दि.ज.बो. के योजना सैल ने सितंबर 2002 में प्रस्ताव को पास किया परन्तु सलाहकार साढ़े तीन वर्षों के पश्चात् 2006 मे नियुक्त किया गया । कार्य हेतु निविदाएँ जनवरी 2007 तक आमंत्रित की गई तथा कार्य दिसंबर 2007 में मैसर्स डेग्रामोंट (इंडिया) लिमि. को ₹ 149.50 करोड़ की निविदा लागत पर सौंपा गया । कार्य 20 मि.ग्रा./ली. के बीओडी तथा 30 मि.ग्रा./ली. टीएसएस के डिजाइन पैरामीटरों पर सौंपा गया । यद्यपि अनुमोदित अनुमान (सितंबर 2002) बीओडी के 10 मि.ग्रा./ली तथा टीएसएस के 15 मि.ग्रा./ली के थे । लेखापरीक्षा में देखा गया कि दि.ज.बो. ने कार्य की संस्वीकृति पाँच वर्ष के पश्चात कार्य को सौंपा।

[4] 10 मि.ग्रा./लीटर बीओडी तथा 15 मि.ग्रा./लीटर एसएस प्राप्त करने के लिए सुधार व्यय शामिल करना, (₹ 25.5 करोड) स्वचालन की लागत (₹ 6.90 करोड़) 10 वर्षों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए (₹ 8.25 करोड़), परामर्शदात्री सेवाएं (₹0.91 करोड़) तथा आकस्मिकता (₹2.75 करोड़) शामिल करते हुए।

इस समय लागत ₹ 56.04 करोड़ तक बढ़ गई थी जबकि 30 एमजीडी अशोधित सीवेज इस अवधि के दौरान यमुना नदी में बह रहा था ।

इसी तरह केशोपुर पर 12 एमजीडी क्षमता का संयंत्र 1999 से कार्य नहीं कर रहा था । संयंत्र को पुनः निर्माण की आवश्यकता थी । जिसके लिए सलाहकार आठ वर्षों के अंतराल के पश्चात् 2006 में नियुक्त किया गया । कथित कार्य के लिए निविदाएँ अगस्त 2007 में आंमत्रित की गई तथा कार्य ₹ 51.20 करोड़ की निविदा लागत पर सौंपा गया (मई 2008) । साढ़े आठ वर्षों के पश्चात् कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप ₹ 25.05 करोड़ की लागत वृद्धि हुई । उस अवधि के दौरान 12 एमजीडी का अशोधित सीवेज यमुना नदी में बह रहा था ।

दि.ज.बो.ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (मार्च 2013) कि दोनों सी.शो.सं. का निर्माण धीमी गति से होने का कारण ओखला आवास क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क की धीमी प्रगति थी तथा केशोपुर सी.शो.सं. में पूरा सीवेज प्राप्त नहीं हो रहा था । तथ्य यह रहा कि असाधारण विलम्ब के कारण दि.ज.बो. ने इन दो सी.शो.सं. के निर्माण पर ₹ 81.09 करोड़ का अधिक व्यय किया ।

(ख) परियोजना के विलम्ब से पूर्ण होने पर ₹ 37.14 करोड़ का दण्ड शुल्क न लगाना

दि.ज.बो. निविदा में अनुबंध किया गया था कि परियोजना के विलंब पर क्षतिपूर्ति 0.10 प्रतिशत (1 प्रतिशत का दशांश) अनुबंध शुल्क पर दैनिक दर से लगाया जाएगा जो अधिकतम अनुबंध शुल्क के 10 प्रतिशत तक होगा जो अनुबंधित समय सीमा तथा कार्य पूर्ण होने के प्रमाणपत्र पर दर्शाए गए दिनों की बीच की अवधि पर लगाया जाएगा ।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि दि.ज.बो. ने पाँच कार्य, सितम्बर 2005 से मई 2008 तक दिए, जिनको दिए जाने के 24 महीने में **(अनुलग्नक-2.1)** पूर्ण करना था। दो से चार वर्षों की देरी के बाद भी चार कार्य दिसम्बर 2012 तक पूर्ण नहीं कराए गए जबकि केवल एक कार्य 30 महीने की देरी से (जून 2012) में पूर्ण कराया गया । दि.ज.बो. के द्वारा परियोजना की रूपरेखा, निर्माण तथा परिचालन (डी.बी.ओ.) को देखते हुए विलम्ब नहीं था तथा ठेकेदार ने समय पर, कार्य पूर्ण किया । यह पाया गया कि दि.ज.बो., ठेकेदार को निर्माण कार्य की प्रगति के देर से होने पर भी नोटिस नहीं दिया । परियोजना पूर्ण होने में देर के लिए ₹ 37.14 करोड़ का जुर्माना उगाही योग्य था । कार्य के देरी से न केवल समय और मूल्य प्रभावित हुए बल्कि यमुना एक्शन प्लान (फेज़-II) परियोजना का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो सका ।

दि.ज.बो. का कहना है कि (मार्च 2013) बिलंब के कारण मौसमी वर्षा, सामग्री के मूल्य में असामान्य वृद्धि, ग्रीष्म कालीन फसल के कारण मजदूरों की कमी, संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन इत्यादि थे । जिसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी नहीं थे इसलिए जुर्माना नहीं लगाया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दि.ज.बो. द्वारा बताए गए

कारण अनुमान किए जाने योग्य थे एवं दि.ज.बो. द्वारा कार्य सौंपे जाने के पूर्व उनको परिकलित किया जाना चाहिए था ।

(ग) सी.पी.डब्ल्यू.डी, डी.डी.ए. और पी.पी.सी.एल से ₹ 23.81 करोड़ का जल प्रभार की वसूली नहीं किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 9 के अनुसार, केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग का यह उत्तरदायित्व है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि सरकारी प्राप्तियाँ तथा बकाया सही और शीघ्रतापूर्वक निर्धारित, संग्रहीत और संबंधित संचित निधि या लोक लेखा निधि को क्रेडिट किया गया है । दि.ज.बो. के निर्देशों के अनुसार उद्यान कार्य के लिए ₹ 1.25 प्रति कि.लि. तथा व्यवसायिक कार्य के लिए ₹ 4 प्रति कि.ली., की वसूली की जानी थी ।

ओखला और रिठाला के एस.टी.पी. के अभिलेखों की जाँच से यह पता चलता है कि दि.ज.बो. एस. टी.पी. ओखला से 20 एमजीडी एफ्युलेंट जल, सी.पी.डब्ल्यू.डी. को बागवानी के लिए, एक एम.जी.डी. जल प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (पी.पी.सी.एल.) को व्यवसायिक उपयोग के लिए 3 एमजीडी जल डी.डी.ए. को उद्यान कार्य के लिए आपूर्ति एस.टी.पी. रिठाला से कर रहे थे । हालांकि इन इकाईयों द्वारा न तो कोई एम.ओ.यू./सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए थे न जल की आपूर्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें सुनिश्चित की गई । ओखला एस.टी.पी से 2007-12 की अवधि में सी.पी.डब्ल्यू.डी को 138.67 लाख कि.ली. एफ्लुयेंट जल जिनका मूल्य ₹ 17.27 करोड़ था की आपूर्ति की थी । इसी प्रकार डी.डी.ए. तथा पी.पी.सी.एल. पर रिठाला एस.टी.पी. से जल आपूर्ति के लिए ₹ 6.54 करोड़ बकाया था । लेकिन दि.ज.बो. द्वारा न तो यह धनराशि इन इकाईयों से माँगी गई न ही इकाईयों द्वारा यह धनराशि का भुगतान किया गया । दि.ज.बो. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि दि.ज.बो. द्वारा 20 एम.जी.डी. जल की आपूर्ति सी.पी.डब्ल्यू.डी को की जा रही थी, जिसकी एवज में सीपीडब्ल्यूडी का 40 एमजीडी यमुना जल का हिस्सा दि.ज.बो. द्वारा प्रयोग किया जा रहा था । यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा कोई भी दस्तावेज अपने जवाब के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि इसका सत्यापन किया जा सके ।

दि.ज.बो. ने (मार्च 2013) में दोबारा अपना जबाव दोहराया एवं कहा कि दि.ज.बो. या सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास कोई एम.ओ.यू. उपलब्ध नहीं थे । पुनः यह घोषित किया गया कि दि.ज.बो. और पी.पी.सी.एल. के मध्य संशोधित जल की आपूर्ति के लिए समझौता हो गया है । तथ्य यह है कि इन इकाईयों पर शुल्क बकाया है । सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 40 एम.जी.डी. के बजाए 20 एम.जी.डी. संशोधित जल की आपूर्ति का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि । दि.ज.बो. के सदस्य (वित्त) ने (दिसम्बर 2010) सी.पी.डब्ल्यू.डी. से अनुरोध किया कि वह 20 एम.जी.डी. शोधित जल का मूल्य और ई.पी.एच. के रख रखाव का खर्च जमा करा दें ।

(घ) सेवा शुल्क व वैट के रूप में ₹ 17.85 करोड़ का अनियमित भुगतान

जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रैक्ट (जी.सी.सी.) की धारा 37 और 38 (1) के अनुसार, सभी निविदा दर, सभी कर और उगाही (सेवा शुल्क के अलावा) को सम्मिलित करेगा जो उचित संविधि को देय होंगे । सेवा शुल्क के मामले में, संबंधित विभाग द्वारा मांग करने पर ठेकेदार द्वारा सेवा शुल्क देय होगा, इंजीनियर इंचार्ज द्वारा संतुष्ट हो जाने पर कि ठेकेदार द्वारा वास्तविक और सही सेवा शुल्क अदा किया गया, यह सेवा शुल्क उसके द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । अभिलेखों की जाँच द्वारा यह पता चलता है कि दि.ज.बो. ने सहमति पत्र पर जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रैक्ट की उपर्युक्त धाराओं को सम्मिलित नहीं किया ।

दि.ज.बो. ने 2007-12 की अवधि में चालू बिल के आधार पर विभिन्न ठेकेदारों को सेवा शुल्क के रूप में ₹ 4.12 करोड़ दिए । ठेकेदार ने संबंधित विभाग को सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया था, इससे संतुष्ट हुए बिना सेवा शुल्क का भुगतान अनियमित था ।

कार्य ठेकेदार को देते समय दि.ज.बो. ने वैट की अदायगी के लिए अन्य शर्तों को स्वीकार किया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को वैट की ₹ 13.73 करोड़ की अदायगी 2007-12 के दौरान दि.जे.बो. द्वारा की गई । लेखापरीक्षा मतानुसार ये राशि भी सरकारी खजाने में जमा होने की सुनिश्चितता के पश्चात किया जाने चाहिए था क्योंकि ठेकेदारों ने यह राशि सरकारी संरक्षक के तौर पर एकत्रित की थी ।

अतः ठेका अनुबंध में जी.सी.सी. के प्रासंगिक शर्तों को शामिल न करने से ₹ 17.85 करोड़ सेवा शुल्क और वैट के रूप में ठेकेदारों को भुगतान किया गया जो कि अनियमित था।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि पूर्व में कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि सेवा शुल्क केवल जमा करने के बाद ही पुनर्भुगतान होंगे । वैट उपबंधों के अनुसार दि.ज.बो. को ठेकेदार के बिल से टी.डी.एस.-वैट की कटौती करनी थी । जी.सी.सी. की धारा 37 और 38 के आधार पर जवाब स्वीकार्य नहीं है, जो कहता है कि सेवा शुल्क का पुनर्भुगतान होगा और ठेकेदार के भुगतान में सभी कर और उगाहियाँ शामिल होंगी । इसके बावजूद दि.ज.बो. ने ठेकेदार द्वारा वैट को सरकारी खाते में जमा कराना सुनिश्चित नहीं किया ।

(ङ) दि.ज.बो. द्वारा कार्य को असामान्य रूप से देरी से प्रदान करने के कारण ₹ 11.65 करोड़ की मूल्य वृद्धि

सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के उपबंधों के अनुसार निविदा स्वीकार करने के 90 दिनों के अन्दर दि.ज.बो.को कार्य ठेकेदार को प्रदान कर देना चाहिए था । यह पाया गया कि दि.ज.बो. द्वारा ओखला के 30 एम.जी.डी. एस.टी.पी. को निर्माण कार्य निविदा प्राप्ति के एक वर्ष के बाद प्रदान किया गया । जैसा कि ठेकेदार, निविदा की शर्तों के आधार पर मूल्य वृद्धि प्रतिपूर्ति पा सकता था, अतः दि.ज.बो. ने परियोजना में देरी के कारण मूल्य वृद्धि ₹ 2.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिव्यय किया ।

इसी प्रकार, दि.ज.बो. द्वारा अगस्त 2007 में केशोपुर एस.टी.पी. के 10 वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण, कार्य के विध्वंस, रूपरेखा तैयार करने तथा निर्माण के कार्य प्रारंभ करने तथा प्रबंधन के लिए निविदा निकाली गई लेकिन कार्य आठ महिने की देरी से प्रदान किया गया जिससे आधार मूल्य में वद्धि के कारण ₹ 8.75 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा । इस प्रकार कार्य को असामान्य रूप से देरी से प्रदान करने और परियोजना के देरी से प्रारंभ होने से ₹ 11.65 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कॉपरेशन (जे.बी.आई.सी.) से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद कार्य प्रदान किया गया था, जिसके कारण देरी हुई । जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली निर्धारित करती है कि समय निर्धारण के समय सभी कारणों को ध्यान में लेना चाहिए इसलिए निविदा स्वीकार करने के एक वर्ष बाद कार्य प्रदान करना असाधारण है ।

(च) जैविक उपचार पर ₹ 10.20 करोड़ का निष्फल खर्च

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला है कि दि.ज.बो. ने एकत्रित तंत्र के उचित बिन्दुओं पर/अन्य एस.टी.पी. पर सीवेज़ से जैविक उपचार विधि से गन्ध दूर करने और अन्य बहिस्राव से बी.ओ.डी. और टी.एस.एस. को कम करने का प्रस्ताव दिया । यह पाया गया कि कार्य प्रदान करने से पहले कोई भी जाँच नहीं की गई और न ही सुनिश्चित किया गया कि उपचार आवश्यक और प्रभावशाली होगा या नहीं । अप्रैल 2007 से अप्रैल 2010 की अवधि में ₹ 10.20 करोड़ का जैविक उपचार के कार्य ठेकेदार को प्रदान किये गये । अभिलेखों से यह पता चला कि उपचार निरंतर न होकर सविराम था । 2 जून 2009 से 8 नवम्बर 2009 एवं 31 जनवरी 2010 से 20 मई 2010 की अवधि में 30 एम.जी.डी. सयंत्र में जैविक उपचार किया गया, 9 सितम्बर 2009 से 6 जनवरी 2010 तक 45 एम.जी.डी. ओखला में उपचारित किया गया । रिठाला फेस-I और ओखला एस.टी.पी. पर बी.ओ.डी. सीमा में कोई सुधार नहीं हुआ । शीर्ष सलाहकार समिति ने जैविक उपचार की उपयोगिता के लिए अध्ययन करवाया, जैव प्रतिपादन परीक्षा की गणना के लिए टाटा एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) को नोडल ईकाई के रूप में नियुक्त किया गया । टीईआरआई ने पाया कि ओखला की अन्य इकाईयों पर उपचारित बहिःस्राव के मानक डी.पी.सी.सी. मानक के अनुरूप ही थे इसलिए जैविक उपचार की आवश्यकता नहीं थी । बाद में दि.ज.बो. ने निर्णय किया कि किसी भी एस.टी.पी. पर इस प्रकार के इन्जायम/जैव प्रतिपादन किसी भी प्रकार या किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे ।

इस प्रकार सीवेज के जैविक उपचार की उपयोगिता और आवश्यकता का प्राथमिक अध्ययन किए बिना, जैविक उपचार करने से ₹ 10.20 करोड़ का निष्फल खर्च हुआ । **(अनुलग्नक-2.2)** ।

दि.ज.बो. ने वास्तविकता को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2013) कि, ओखला एस.टी.पी. का कार्य जो पायलट आधार पर लिया गया था और गंध कम करने तथा बी.ओ.डी. और सी.ओ.डी. मानक के सुधार का कार्य किया जा रहा था, नीति निर्णयन के आधार पर रोक दिया गया है । एंजाइम का प्रयोग न केवल ओखला एस.टी.पी. पर बल्कि अन्य एस.टी.पी. पर भी किया जा रहा था लेकिन प्रयोगशाला रिपोर्ट जोकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, के आधार पर बी.ओ.डी. और सी.ओ.डी. मानक में कोई सुधार नहीं हुआ ।

(छ) एस.टी.पी. ओखला के अल्प प्रयोग के कारण ₹ 6.39 करोड़ की हानि

ओखला में 5 एस.टी.पी. जिनकी कुल क्षमता 140 एम.जी.डी. थी जो 20 एम.जी.डी. की क्षमता से कम कार्य कर रहे थे । संयत्र के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए बिना, जून 2012 में एक नया एस.टी.पी., जिसकी क्षमता 30 एम.जी.डी. थी ₹ 149.50 करोड़ की लागत पर निर्माण करवाया गया जिसमें दस वर्ष तक का प्रचालन एवं रखरखाव खर्च सम्मिलित था । 120 एम.जी.डी. उत्सर्जित सीवेज में से 110 एम.जी.डी. पुराने प्लांट से और 10 एम.जी.डी. नए प्लांट से उपचरित किया जा रहा था । नये प्लांट का प्रचालन एवं अनुरक्षण का प्रबंधन 10 वर्ष के ठेके पर है जिसका खर्च ₹ 2.56 करोड़ वार्षिक है । आगे, संयत्र को उप-उत्पाद से उत्पन्न जैव गैस द्वारा उत्पन्न विद्युत से चलना था । इसलिए संयत्र का अल्प उपयोग, प्रचालन एवं प्रबंधन तथा विद्युत उत्पादन के कारण ₹ 6.39 करोड़ की हानि नवम्बर 2012 तक हुई । 10 एम.जी.डी. वाले दो एस.टी.पी. के व्यर्थ पड़े रहने के कारण भी ₹ 49.13 लाख प्रतिमाह का नियमित घाटा हो रहा है ।

दि.ज.बो. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2013) कि संयत्र का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(ज) ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम देने के कारण ₹ 6.25 करोड़ की हानि

सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के सैक्शन 32.5 के अनुसार, कुछ विशेष और पूँजीगत कार्यों में, जिनकी लागत दो करोड़ से कम नहीं है अग्रिम निविदा के अनुमोदित लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा । अनुबंधों की शर्तों अनुसार, ठेकेदार के विशेष अनुरोध पर 10 प्रतिशत के साधारण व्याज पर अग्रिम अनुमोदित होगा। सी.वी.सी. ने भी निर्देशित किया (1997) कि किसी भी हालत में ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल और सीवीसी निर्देशों के विरुद्ध दि.ज.बो. ने ठेकेदारों को छः परियोजनाओं पर ₹ 50.37 करोड़ का मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.5** में हैः

तालिका 2.5 : मोबिलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना लागत/संविदा राशि	मोबिलाईजेशन अग्रिम की राशि	मोबिलाईजशन अग्रिम पर ब्याज
	सिविल कार्य			
1	यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली में 50 एमजीडी एसपीएस का निर्माण और आरेखन, निर्माण और प्रचालन से संबंधित	15.84	0.95	0.14
2	यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली में 25 एमजीडी एसटीपी का निर्माण और आरेखन, निर्माण और प्रचालन से संबंधित,	44.83	1.51	0.40
3	ओखला में वाईएपी-II के अधीन 136.4 एमएलडी (30 एमजीडी) क्षमता का एसटीपी का आरेखन निर्माण, प्रर्वतन, प्रचालन और रख रखाव,	123.87	6.02	0.45
4	केशोपुर, वाईएपी-II के अधीन 12 एमजीडी क्षमता का एसटीपी को गिराना, आरेखन, निर्माण, प्रवर्तन, प्रचालन और रख रखाव तथा 20 एमजीडी और 40 एमजीडी क्षमता के एसटीपी के दो पहले से उपस्थित मॉड्यूल का पुर्नस्थापन,	139.34	7.94	0.52
5	वाईएपी-II के अधीन रिंग रोड़ ट्रंक सीवर-स्लाइस 'ए' का पुर्नस्थापन, लाल किला से प्रगति मैदान (प्रदर्शनी मैदान) तक,	43.79	4.37	0.48
6	वाईएपी-II के अधीन रिंग रोड़ ट्रंक सीवर स्लाइस 'बी' का पुर्नस्थापन, प्रगति मैदान (प्रदर्शनी मैदान) से रिंग रोड़ एसपीएस तक,	63.80	6.38	1.22
7	जेबीआईसी के लिए परामर्श सेवा उपलब्ध कराना, वाईएपी-II के परियोजना दिल्ली में कार्य का भौतिक कार्यान्वयन	17.51	1.56	0.18
	विद्युत और अनुरक्षण (ई और एम) कार्य			
8	यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली में 50 एमजीडी एसपीएस का निर्माण और कार्य से संबंधित आरेखन निर्माण और प्रचालन,	15.84	6.38	0.12
9	यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली में 25 एमजीडी एसपीएस का निर्माण और कार्य से संबंधित आरेखन निर्माण और प्रचालन,	44.83	2.98	0.89
10	ओखला में, वाईएपी-II के अधीन 136.4 एमएलडी (30 एमजीडी) क्षमता के एसटीपी का आरेखन, निर्माण, प्रवर्तन, प्रचालन एवं रख रखाव,	123.87	5.80	1.24
11	केशोपुर, वाईएपी-II के अधीन 12 एमबीडी क्षमता के एसटीपी को गिराना, आरेखन, निर्माण, प्रचालन का खरखाव तथा 20 एमजीडी और 40 एमजीडी क्षमता के एसटीपी के पहले से विद्यमान दो मॉड्यूल का पुर्नस्थापन,	139.34	8.05	0.60
	योग		**51.93**	**6.25**

अग्रिम देने के एक वर्ष बाद ई और एम का कार्य प्रारम्भ करना था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि परामर्शदाता को ₹ 1.56 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया गया जो मैनुअल की व्यवस्था का उल्लंघन था जिसके कारण ₹ 0.19 करोड़ के ब्याज की हानि हुई । यद्यपि, समझौते के अनुसार ऋण अदायगी के बाद अग्रिम 12

महीने के अन्दर वसूल करना था लेकिन यह अग्रिम देने के 48 महीने तक वसूल किया गया ।

अनियमित मोबिलाईजेशन अग्रिम से दि.ज.बो. को ₹ 6.25 करोड़ की हानि हुई जिसका लाभ ठेकेदार को हुआ ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि दो कार्यों में एफआईडीआईसी शर्तों को अपनाना था और पाँच कार्यों में, दि.ज.बो. को जेबीआईसी के मानक दस्तावेजों की शर्तों को अपनाना अनिवार्य था, जो दि.ज.बो. को ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम ठेकेदारों को देने की अनुमति देता है । दि.ज.बो. के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जे.बी.आई.सी की बोली के मानक दस्तावेज की शर्तों को पालन करने की अनिवार्यता का कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया । जबकि सीवीसी के 1997 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी स्थिति में ठेकेदारों को ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम नहीं देना था ।

(झ) सी.पी.डब्ल्यू.डी के एफ्यूलेंट पंप हाउस (ईपीएच) के मरम्मत और अनुरक्षण प्रभार के लिए ₹ 2.69 करोड़ की गैर-वसूली

दि.ज.बो. की नीतियों के अनुसार दि.ज.बो., एस.टी.पी. से एफ्यूलेंट जल की आपूर्ति करेगा और इसको ले जाने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी । एस.टी.पी. ओखला की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि ओखला प्लांट का ईपीएच, सी.पी.डब्ल्यू.डी. को बागवानी के लिए 20 एमजीडी जल की आपूर्ति कर रहा था । दि.ज.बो. द्वारा ईपीएच के विद्युत और परिचालन व रखरखाव के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को इसकी प्रतिपूर्ति करनी थी । जाँच से पता चला है कि दि.ज.बो. ने ईपीएच के मरम्मत एवं प्रचालन के लिए 2009-11 की अवधि में ₹ 2.69 करोड़ खर्च किए जिसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. को वहन करना था । दि.ज.बो. द्वारा ₹ 2.69 करोड़ की माँग नहीं की गई । कार्यकारी अभियंता (डिवीजन) ने अभिव्यक्त किया कि समझौते के अनुसार ईपीएच के मरम्मत एवं रख रखाव का खर्च दि.ज.बो. द्वारा वहन किया जा रहा था तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. को विद्युत एवं इसके प्रचालन का खर्च वहन करना था जिसकी वसूली की जा रही थी । अपने जवाब के समर्थन में दि.ज.बो. ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया ।

दि.ज.बो. ने पुनः अभिव्यक्त किया (मार्च 2013) कि पारस्परिक समझौते के आधार पर इपीएच ओखला की मरम्मत और प्रचालन बनाये रखने का खर्च सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अदा नहीं किया जाना था । हालांकि, दि.ज.बो. ने स्वीकार किया कि ईएमयू की प्रतिलिपि इसके साथ उपलब्ध नहीं थी । दि.ज.बो. को जुलाई 2004 के पत्र और सदस्य (वित्त) के दिसम्बर 2010 के पत्र के आधार पर मरम्मत और प्रचालन का खर्च सी.पी.डब्ल्यू.डी. से मांग करने की आवश्यकता थी ।

(ण) ₹ 1.39 करोड़ वैट का अमान्य भुगतान

30 माउण्टेड जेटिंग-कम-सक्शन सीवर सफाई मशीन के प्रबंधन एवं प्रचालन और रख रखाव का कार्य **(अनुलग्नक-2.3)** मैसर्स सिटी लाइन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रैल

2006 में 5 वर्ष के लिए ₹ 5.76 करोड़ (₹ 3200 प्रतिदिन प्रति मशीन की दर से) के लागत पर दिया गया । सहमति के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार दरें में सभी कर सम्मिलित थे, जो सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों पर लागू होते है जब तक मशीनें दिल्ली में कार्यरत हैं एवं किराये पर दी जानी वाली मशीनों पर सरकारी कर जो लागू होगें अतिरिक्त दिये जाएगे।

वैट एक्ट के अनुसार, मशीनरी को किराए पर लिए जाने के कारण वैट तभी लागू होगा जब इसे प्रयोग किए जाने का अधिकार हस्तांतरित किया जाएगा । यद्यपि, इस मामले में ठेकेदार ने मशीनों का रखरखाव एवं परिचालन व्यवस्था स्वयं कराई । अतः यहाँ 'प्रयोग किए जाने के अधिकार के हस्तांतरण' नहीं था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिल्स बनाते समय ठेकेदार ने अपने दावों के साथ-साथ 12.5 प्रतिशत की दर से वैट की भी माँग की । मशीनरी/उपकरणों को प्रचालक के साथ स्थानान्तरण को स्वामित्व के स्थानांतरित अधिकार तथा प्रभावी नियंत्रण के अलावा वस्तुओं के स्थानांतरण जैसा समझा गया । इसलिए इस पर वैट की उगाही लागू नहीं होती । यद्यपि, दि.ज.बो. ने जेटिंग-कम-सक्शन सीवर सफाई मशीन के 2007-12 की अवधि में किराये पर लेने के लिए ₹ 1.39 करोड़ वैट का भुगतान ठेकेदार को दिया, जो कि अनियमित था । इसलिए ठेकेदार से यह राशि वसूली-योग्य है ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि वैट का भुगतान 'प्रयोग किए जाने के अधिकार के हस्तांतरण को लागू' मान कर किया गया था और मशीन का पूरा नियंत्रण दि.ज.बो. के पास था । जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस स्थिति में दि.ज.बो. मशीनों का उपयोग केवल 8 घंटे प्रतिदिन तथा सप्ताह में 6 दिन ही कर रहा था । प्रयोग के अधिकार का हस्तांतरण तभी मान्य होता जबकि दि.ज.बो. मशीनों को सहमति संविदा की पूर्ण अवधि के लिए प्राप्त करता ।

(ट) पम्पिंग स्टेशन पर पावर फैक्टर के सुधार के लिए ₹ 0.17 करोड़ का निष्फल व्यय

विद्युत कार्यो के सामान्य विनिर्देशन के पैरा 13.3.8 (बी) एवं (सी) के अनुसार, पॉवर फैक्टर को 0.8 स्तर पर या लाइसेंसी द्वारा निश्चित किए गए उच्च स्तर पर स्थिर रखना चाहिए । बी.एस.ई.एस. मानको के अनुसार, दिल्ली में पॉवर फैक्टर 0.98 होना चाहिए । अभिलेखों की जाँच से पता चला कि अप्रैल 2009 से मई 2010 की अवधि में किलोकरी पम्पिंग स्टेशन का पावर फैक्टर 0.86 से 0.94 के बीच था और अप्रैल 2008 से मार्च 2010 की अवधि में रिंग रोड़ पम्पिंग स्टेशन का पॉवर फैक्टर 0.74 से 0.89 के बीच था । दोनो पम्पिंग स्टेशनों के पॉवर फैक्टर में सुधार के लिए रिंग रोड़ पम्पिंग स्टेशन के पावर फैक्टर में सुधार का कार्य और किलोकरी पम्पिंग स्टेशन के पावर फैक्टर में सुधार का कार्य, मैसर्स राजधानी इन्टरप्राइजेज को फरवरी 2010 और जून 2010 में क्रमशः ₹ 8.63 लाख और ₹ 7.93 लाख के खर्च पर प्रदान किया गया । कार्य क्रमशः मार्च 2010 और जुलाई 2010 में पूर्ण कराया गया और दि.ज.बो. द्वारा

ठेकेदार को भुगतान की अदायगी मार्च 2010 और अक्टूबर 2010 में की गई । दोनों कार्यों की गारण्टी अवधि एक वर्ष की थी । अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सुधार कार्य के बाद भी रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन का पॉवर फैक्टर 0.84 से 0.96 के मध्य था ओर कभी भी 0.98 के आवश्यक स्तर तक नहीं पहुँचा और यह घटकर जनवरी 2011 में 0.79 तथा मई 2011 में 0.77 हो गया जो कि आवश्यक स्तर के नीचे था । इसी प्रकार किलोकरी पम्पिंग स्टेशन का पॉवर फैक्टर अगस्त 2010 और सितम्बर 2011 के मध्य 0.89 से 0.94 के बीच था और कभी भी 0.98 के आवश्यक स्तर तक नहीं पहुँचा । यह भी पाया गया कि सुधार कार्य के बाद भी किलोकरी पम्पिंग स्टेशन का पॉवर फैक्टर उसी स्तर पर रहा जो कि सुधार कार्य से पूर्व था । इस प्रकार ₹ 16.56 लाख के खर्च में भावी उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं किया गया । अतः खर्च निष्फल रहा ।

दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2013) कि नये संधारितों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि पुराने/अतिग्रस्त संधारितों के साथ उन्हे स्थापित किया गया था । ठेकेदार को समझौते के अनुसार गारंटी अवधि में पॉवर फैक्टर 0.98 तक या अधिक स्तर तक बनाये रखने की आवश्यकता थी, इसलिए जवाब स्वीकार्य नहीं था ।

2.1.7.9 अनुरक्षण एवं मूल्यांकन

किसी योजना के सरल रूप से चलने के लिए एक प्रभावशाली अनुरक्षण तंत्र की उपस्थितिपूर्ण अपेक्षित है । पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार दि.ज.बो. को एक परियोजना अनुरक्षण समिति गठित करने की आवश्यकता थी और मंत्रालय को एस.टी.पी. तथा परियोजनाओं की प्रगति तथा निगरानी की संवीक्षा करनी चाहिए थी । यह देखा गया कि दि.ज.बो. द्वारा परियोजना अनुरक्षण समिति का गठन किया गया किन्तु यह प्रभावशाली नहीं थी । परिणामस्वरूप, सीवर सफाई परियोजना का कार्यान्वयन, योजना और बजटिंग सतर्कता पूर्वक समन्वित नहीं हुआ । जिससे दिल्ली में सीवर सफाई का प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वयन नहीं हुआ । यद्यपि, एस.टी.पी. लम्बे समय से कार्यरत थे, एस.टी.पी./एस.पी.एस. और सीवेज़ के प्रभाव का 2007-12 की अवधि में मूल्यांकन नहीं किया गया । एस.टी.पी./एस.पी.एस./नेटवर्क डिवीजनों द्वारा एफ्यूलेंट के दैनिक जांच विवरण और परियोजनाओं के मासिक प्रगति विवरण (भौतिक और वित्तीय) को छोड़कर कोई रिटर्न उच्च प्राधिकारी को नहीं भेजी जा रही थी । सी.पी.सी.बी., पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत ने, एस.टी.पी. के प्रचालन एवं रख रखाव के मूल्यांकन के समय पाया (2007) कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना (एन.आर..सी.पी.) के अधीन निर्मित और अधिकृत एस.टी.पी. के प्रदर्शन की फिजिकल मॉनिटरिंग की कोई क्रियाविधि नहीं थी । सी.पी.सी.बी. ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2008 में ये भी कहा कि इनका निरीक्षण मंत्रालय में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) के उच्च अधिकारियों द्वारा शायद ही की गई थी ताकि राज्य सरकार/कार्यान्वयन संस्था की एस.टी.पी. के प्रचालन एवं रख रखाव की पहली जानकारी प्राप्त कर सकें । इनके अलावा, वाईएपी – II के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के कार्यक्षेत्र में

वाईएपी-I के अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सभी निर्मित एसटीपी के परिचालन एवं अनुरक्षण की निगरानी के तहत शामिल है लेकिन यह ज्ञात हुआ है कि पीएमसी के नियुक्त होने के दो वर्षों तक भी इस संबंध में कोई भी कार्रवाही नहीं की गयी है। वर्ष में दो बार सभी एस.टी.पी. के केन्द्रीय स्तर पर निष्पादन कर मूल्यांकन शोधित जल के स्वतंत्र नमूना/परीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि एसटीपी के परिचालन एवं अनुरक्षण में सुधार तथा शोधित एफ्यूलेंट की वांछित गुणवत्ता प्राप्त की जा सके ।

दिल्ली जल बोर्ड के अनुरक्षण की असफलताओं के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैः

- रिठाला फेज-I में 40 एमजीडी एसटीपी निर्माण 1989 में किया गया और इसका संचालन दि.ज.बो. द्वारा किया जा रहा था । वर्ष 2002 में एक दूसरा संयत्र रिठाला फेज-II में 40 एमजीडी एसटीपी की क्षमता का एसटीपी ₹ 81.93 करोड़ की लागत (संयत्र की परिचालन एवं अनुरक्षण को शामिल करते हुए) समझौते के नियम एवं शर्तो के मुताबिक, मैसर्स डेगरामोंट (इंडिया) लि. कम्पनी को संयत्रों के संचालन के साथ छोटी-मोटी मरम्मत एवं लुब्रिकेंट्स का निर्माण पूरा किया गया । समझौते के अनुसार उपकरण (औजारों) के प्रतिस्थापन की लागत खर्च दि.ज.बो. वहन करेगा और इसके लिए फर्म को 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाना था । संयत्रों का प्रत्याशित जीवन 30 वर्ष होने के बाद भी उन संयंत्रों को 10 वर्ष के अन्दर ही ₹ 12.74 करोड़ खर्च करके इन्हे पुनः प्रतिष्ठित किया गया जब कि फेज-I संयंत्र 1989 से सुचारू ढंग से काम कर रहा था । पुनःप्रतिष्ठित करने का तथाकथित कारण दि.ज.बोर्ड की समय पर बजट उपलब्ध कराने की नाकामी बताया गया । इस प्रकार, दि.ज.बो. द्वारा संयत्रों के संचालन की निगरानी में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.74 करोड़ का परिहार्य खर्च हुआ ।
- ओखला एसटीपी से उत्पादित बायो गैस आस-पास के निवासियों को ₹ 125 प्रति महिने की दर से दी जा रही थी । पाइपलाइन को निगरानी, अनुरक्षण तथा समय पर मरम्मत कार्य दि.ज.बो. की असफलता के कारण बायो गैस की सप्लाई जनवरी 2010 से रोक दी गई। परिणामस्वरूप वातावरण में हानिकारक गैसें मिल रही थी ।

दि.ज.बो. ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (मार्च 2013) कि प्रभावी निगरानी के लिए परियोजना निगरानी समिति बनाई जाएगी ।

2.1.8 सीईटीपी के निर्माण हेतु डीएसआईआईडीसी की लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.8.1 औद्योगिक सीवरेज़

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2004 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट खण्ड-2 में दिल्ली में यमुना नदी में पानी के लिए मापकों पर दिल्ली के औद्योगिक सीवेज सिस्टम के काम काज की पहले समीक्षा की थी । रिपोर्ट में कॉमन एफ्यूलेंट

प्लांट (सीईटीपी) के निर्माण के साथ ही परिचालन के कुप्रबंधन को मुख्य रूप से दर्शाया गया था । उपयोग विभाग जो डीएसआईआईडीसी** का प्रशासनिक अंग है, ने औद्योगिक सीवरेज़ प्रणाली पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की कोई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीएन) प्रेषित नहीं की ।

आगे लेखापरीक्षा ने सीईटीपी के निर्माण से संबंधित दस्तावेज की जाँच जोकि डीएसआईआईडीसी एवं विभिन्न सीईटीपी सोसाईटी द्वारा संयत्रों के संचालन से संबंधित थी । इस संबंध में डीएसआईआईडीसी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जाँच की गई और लेखापरीक्षा प्राप्तियों को आगे के पैराग्राफ में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है ।

(क) संयत्र जिनका निर्माण नहीं हुआ

दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार, दिल्ली में 28 अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र हैं वर्ष 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को दिल्ली जल प्रदूषण का अध्ययन कर इसे नियंत्रित करने के सुझाव देने का निर्देश दिया । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एनईईआरआई को सीईटीपी के डिजाइन तथा विनिर्देशन को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परामर्शदाता नियुक्त किया (मार्च 1996) । दिल्ली प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एनईईआरआई द्वारा उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के अनुसार डीएसआईआईडीसी ने सीईटीपी का निर्माण तकनीकी रूप से उपलब्ध कराया ।

एनईईआरआई ने दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण के बाद (जून 1996) में 21 औद्योगिक क्षेत्रों में 15 सीईटीपी के निर्माण की सिफारिश की जिसकी शोधन क्षमता 191.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है । बाकी सात औद्योगिक क्षेत्रों के पास या तो प्रदूषण मुक्त उद्योग थे अथवा उनके अपने संशोधन प्रबन्ध थे ।

2005 से पहले इन सबके अलावा डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में 11 सीईटीपी निर्मित एवं कार्यशील किये जिनकी क्षमता 34.05 एमजीडी है । शेष चार सीईटीपी (i) मोहन कोपरेटिव, बदरपुर (ii) नजफगढ़ रोड़ (iii) आनन्द पर्वत और (iv) औखला औद्योगिक क्षेत्र लम्बित पड़े हैं जिनकी डीपीसीसी द्वारा समीक्षा की जानी है कि इनकी जरूरत है कि नहीं । मार्च 2013 तक डीपीसीसी की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी । इसके अलावा डीएसआईआईडीसी ने दो और सीईपीटी नरेला एवं बवाना में बनाए; नरेला योजना और प्रतिस्थापना योजना के तहत ।

निर्माण की निर्धारित समय सीमा के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी औद्योगिक अशोधित पानी के उपचार हेतू बनी योजना पूरी नहीं हुई । वे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ कि चार सीईटीपी बनने की योजना है, वहाँ बहुत से उद्योग है जिसका अशोधित जल प्रवाहित होकर यमुना में मिलता है । अतः यमुना नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रस्ताव अपने लक्ष्य को नहीं पा सका । आगे यह ज्ञात हुआ कि डीएसआईआईडीसी ने इन सीईटीपी के निर्माण पर पूँजीगत व्यय के रूप में ₹ 8.88 करोड़ खर्च किए । इस प्रकार, दिल्ली सरकार ने इस संबंध में निष्फल व्यय किया **(अनुलग्नक-2.4)** ।

**दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट कॉरपोरेशन

(ख) सोसायटियों को सीईटीपी को सौपने में विलम्ब

दिल्ली सामान्य जल प्रवाह शोधन संयत्र अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार सीईटीपी सोसायटियों का निर्माण किया जाना था जिसे संयंत्रों के पूरा होने के बाद प्रचालन एवं अनुरक्षा का कार्यभार सौंपा जाना था । सभी सीईटीपी 1998 तक बनाये जाने थे और सीईटीपी सोसायटियों को सौंपा जाना था । फिर भी सीईटीपी को पूरा करने तथा सौंपने में हुई असाधारण देरी का विवरण **तालिका-2.6** में दिया गया है:

तालिका-2.6 : सीईटीपी के सौंपने में विलम्ब

सीईटीपी का नाम	पूरा होने का वर्ष	सौंपने की तिथि
वजीरपुर	2001	31.3.2006
मंगोलपुरी	2001	25.10.2005
मायापुरी	2002	27.10.2005
जीटीके रोड	2004	20.10.2005
एसएमए	2004	17.02.2007
नांगलोई	2004	21.10.2005
बादली	2005	16.03.2006
ओखला औद्योगिक क्षेत्र	2005	1.03.2006
नारायणा	2010	1.06.2011
नरेला*	2004	15.03.2012
बवाना*	2011	16.04.2012
लारेंस रोड	2004	डीएसआईआईडीसी द्वारा चलित

** सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए*

सीईटीपी के पूरा होने में 3 वर्ष से 12 वर्ष की देरी हुई । सीईटीपी के सोसाईटियों को प्रचालन के लिए सौंपने में 1 से 8 वर्ष की देरी हुई । इसे इंगित किए जाने पर डीएसआईआईडीसी ने बताया (मार्च 2013) कि सीईटीपी सोसाईटियाँ प्रारंभिक तौर पर

संयंत्रों को अधिकार में लेने के अनिच्छुक थीं और उन्होंने केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और ईपीसीए के हस्तक्षेप के पश्चात् ही सीईटीपी का कार्यभार लिया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संयंत्रों के पूरा होने में असाधारण विलंब से औद्योगिक एस्टेट से अशोधित पानी के शोधन में विलंब हुआ जिससे इसे यमुना नदी में अशोधित पानी छोड़ दिया गया ।

लॉरेंस रोड में सीईटीपी का निर्माण 2004 में पूरा हुआ लेकिन सीईटीपी सोसाईटी को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि वह बीओडी की वांछित मानको को नहीं प्राप्त कर रहा था। संयत्र का निर्माण बीओडी के सिर्फ 89 पीपीएम वाले सीवरेज़ के शोधन के लिए किया गया था जब कि वहाँ आने वाले बीओडी 200 से अधिक पीपीएम थे और इस प्रकार इस संयंत्र में शोधित नहीं किया जा सका । मामले की एनईईआरआई, डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी द्वारा जाँच नहीं की गई । डीएसआईआईडीसी ने इस संयंत्र को चलाने पर अक्तूबर 2012 तक ₹ 6.75 करोड़ खर्च किए। यदि यह मामला सीईटीपी सोसायटी के साथ हल कर लिया जाता और संयंत्र को सोसायटी को सौंप दिया जाता तो डीएसआईआईडीसी ने जो रकम इस संयंत्र को चलाने पर खर्च की इससे बचा जा सकता था ।

डीएसआईआईडीसी ने बताया (मार्च 2013) कि लारेंस रोड पर सीईटीपी को सीईटीपी सोसाईटी को नहीं सौंपा जा सका था चूंकि इस दलील पर कि सोसायटी ने संयंत्र को लेने से मना कर दिया था कि इसमें अधिक बीओडी बॉयोलोजिकता शोधन क्षमता की इकाई उनके पास नहीं है । बाद में यह कहा गया कि बीओडी मानकों में सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । वर्तमान में डीपीसीसी के विश्लेषण ने संकेत दिया कि संयंत्रों को बीओडी मानकों से अब पूरा किया गया और इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सीईटीपी सोसायटी, लारेंस रोड को सौंपने की कोशिश की जा रही है ।

तथ्य यह है कि संयंत्र अतिरिक्त बीओडी पैरामीटरों के लिए कम मानकों के साथ तैयार किया गया था ।

(ग) सी.ई.टी.पी. द्वारा कवर नहीं किए गए औद्योगिक क्षेत्र

किसी भी क्षेत्र में सीईटीपी का निर्माण उस क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों के अशोधित पानी को शोधित करने के लिए किया जाता है । तथापि, झिलमिल एवं फ्रेन्डस कालोनी औद्योगिक क्षेत्र सी.ई.पी.टी. सोसाइटी द्वारा दी गई सूचना अक्टूबर 12 के अनुसार 54 औद्योगिक इकाईयाँ उनके सीईटीपी से जुड़ी नहीं हैं । सीईटीपी के कार्य पर ईपीसीए की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार ओखला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक नाली को ओखला से सीईटीपी में नहीं जोड़ा गया था । यह इस बात को सूचित करता है कि इन क्षेत्रों से औद्योगिक अशोधित पानी यमुना नदी में नालों के जरिए जा रहा है ।

अतः दिल्ली सरकार द्वारा परियोजना को दुबारा जाँच की आवश्यकता है कि अशोधित पानी जो नजदीकी नालों में गिराया जा रहा है वो अंतिम रूप से यमुना में पहुँच रहा है,

शोधिन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिल्ली के सभी औद्योगिक इकाईयों को कवर करने की स्थिति सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त तथ्य को सामने लाये जाने पर डीएसआईआईडीसी नें उत्तर दिया (मार्च 2013) कि 54 औद्योगिक इकाईयाँ गैर-अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं । अतः सीईटीपी झिलमिल से जुड़े नहीं हैं । यह प्रत्युत्तर तथ्यताः गलत था चूंकि लेखापरीक्षा के दोरान यह बात सामने आयी कि ये इकाइयाँ सीईटीपी सोसायटी तथा झिलमिल और फ्रेन्डस कालोनी इलाके के सदस्यों की सूची में शामिल है । पुनः यह आगे बताया गया कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सभी उद्योग सीईटीपी से जुड़े नहीं थे और अगर कोई औद्योगिक इकाई यदि अपने अपशिष्ट को ओखला नाले में बहाती है तो उपर्युक्त चूककर्त्ता पर कार्यवाही के लिए डीपीसीसी सक्षम प्राधिकारी है । दिया गया प्रत्युत्तर ओखला औद्योगिक क्षेत्र में ओखला नाले को सीईटीपी से न जुड़े होने के मुद्दे को संबोधित नहीं करता तथा इस बारे में भी नहीं बतलाता है ।

(घ) संयंत्रों की क्षमता

एनईईआरआई के सिफरिशों के अनुसार डीएसआईआईडीसी ने 211.80 एमएलडी की कुल क्षमता वाले 13 सीईटीपी का निर्माण किया । डीपीसीसी की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार सभी संयत्र सामूहिक रूप से 55.48 एमएलडी गंदगी का शोधन कर रहे हैं और कोई भी संयंत्र अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है । ये सभी संयत्र की क्षमता का उपयोग 5% से 62.5 % के बीच था। यह इस तथ्य का सूचक है कि संयंत्रों की क्षमता जरूरत से ज्यादा औद्योगिक अपशिष्ट उत्पादनों के गलत आकलन को दर्शाती है । अतः सीईटीपी और इसमें निवेशित राशि दोषपूर्ण योजना के कारण कम उपयोग हो रहे थे ।

डीएसआईआईडीसी ने कहा (मार्च 2013) कि सीईटीपी का निर्माण एनईईआरआई द्वारा प्रदान किए गए डिजाईन तथा क्षमता के अनुसार किया गया था । सीईटीपी द्वारा औद्योगिक अशोधित पानी संशोधन हेतु कनवेंश प्रणाली से प्राप्त किया जा रहा था । जवाब आगे, पुष्टि करता है कि परियोजना की त्रुटिपूर्ण योजना तथा खराब परिकल्पना के परिणामस्वरूप संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग हुआ ।

(ङ) सीईटीपी का मलबा प्रबंधन

डीपीसीसी के द्वारा 2007 में कराये गए सर्वे के अनुसार, 5769 मिट्रीक टन (एमटी) उत्पन्न मलबा विभिन्न सीईटीपी परिसरों में जमा थे । सर्वेक्षण यह भी इशारा करता है सीईपीटी प्रत्येक वर्ष 1400 एमटी मलबा का उत्पादन करता है । तदानुसार सीईपीटी परिसर में नवम्बर 2012 तक कुल 12769 मिट्रीक टन मलबा पड़ा था ।

ईपीसीए ने अपने नवम्बर 2011 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दिल्ली सरकार को खतरनाक अवशिष्ट के निपटान के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया ।

ईपीसीए ने सीपीसीबी एवं डीपीसीसी को यह भी कहा कि इस खतरनाक मलबे के बारे में जिसमें भट्टे में उपयुक्त खतरनाक अवशिष्ट के उचित उपयोग की संभावना हो का पता लगाये । ईपीसीए के स्पष्ट निर्देशों के वाबजूद, मलबा सीईटीपी के परिसर में पड़ा हुआ है और पर्यावरण एवं आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ।

डीएसआईआईडीसी (मार्च 2013) में बताया कि डीपीसीसी/पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में मलवा के उचित निपटान के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने का प्रयास कर रही है ।

(च) सीईटीपी के लागत की गैर वसूली

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली सीईटीपी सोसाईटीज अधिनियम 2000 के दिशा-निदेर्शो के अनुसार सीईटीपी के परियोजना लागत को भारत सरकार दिल्ली सरकार एवं सीईटीपी सोसाईटीज में कम्रशः 25:25:50 के अनुपात में विभाजित किया गया था । सीईटीपी के आवर्ती लागत सम्पति के दखलदारों द्वारा वहन किया जाएगा डीएसआईआईडीसी को भारत सरकार, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं सीईटीपी सोसाईटीज से योजना लागत को अनुपातिक/संतुलित हिस्से में संग्रह करना था।

डीएसआईआईडीसी द्वारा 15 सीईटीपी के निर्माण एवं परिपालन पर अक्टूबर 2012 तक ₹ 222.53 करोड़ खर्च कर चुके थे । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दिल्ली सरकार से ₹ 85.35 करोड़ प्राप्त के एवज में डीएसआईआईडीसी ने ₹ 124.97 करोड़ प्राप्त किए। अतः डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली सरकार से ₹ 39.62 करोड़ के अतिरिक्त प्राप्त कर लिए। जबकि ₹ 78.71 करोड़ (भारत सरकार से ₹15.02 करोड़ तथा सीईटीपी सोसाईटी से ₹ 63.69 करोड़) जिसे डीएसआईआईडीसी द्वारा वसूल किये जाने की आवश्यकता है **(अनुलग्नक-2.4)** ।

डीएसआईआईडीसी ने (मार्च 2013) बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीसीए को फरवरी 2006 में भारत सरकार एवं उद्योगों द्वारा वहन किए जाने वाले लागत के दायित्व के मामलों की जाँच करने के निर्देश दिए परन्तु ईपीसीए की रिपोर्ट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की रिपोर्ट पर आधारित थे जो प्रतीक्षित थे ।

निष्कर्ष

दिल्ली के सिवेज प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में अनियमितताएं पाई गई । यह देखा गया दि.ज.बो. दिल्ली का कुल उत्पादित सीवरेज़ का 54 प्रतिशत ही ईकट्ठा एवं उपचारित/शोधित करने में सक्षम हो सका जब कि शेष 313 एमजीडी सीवरेज़ बगैर शोधित सिवेज बडी नालियों द्वारा यमुना में बह रहा था । स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज़ से 207 एमजीडी सीवेज को ईकट्ठा करने के लिए एक इण्टर सेप्टर सिवैज सिस्टम के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को जून 2007 में अंतिम रूप दे दिया गया था, परन्तु जुलाई 2014 में निर्माण पूरा होने की तिथि के साथ जुलाई 2011 में काम सौपा गया । बाकी ईकट्ठा एवं उपचारित शोधित करने की कार्यवाही अभी शुरू की जानी थी । दि.ज..बो. के दिल्ली में उत्पादित सीवरेज़ के संग्रहण एवं शोधन के लिए एसटीपी को

स्थानान्तरण में हुई विफलता के परिणामस्वरूप एसटीपी की उपलब्ध वर्तमान क्षमता का कम उपयोग हुआ । सात एसीटीपी में सिवेज शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था । यह भी पाया गया कि दि.ज.बो. द्वारा की गई शोधित सीवरेज़ की गुणवत्ता जाँचें भी विश्वसनीय सुनिश्चितता प्रदान नहीं करते, वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं था, परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में देरी, निष्फल एवं अनियमित व्यय, दोषी ठेकेदारों पर जुर्माना न लगाना तथा अग्राह्य करों के भुगतान के दृष्टांत पाए गए ।

14 वर्ष बीतने के बाद भी औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन में एक महत्वपूर्ण कमी है कि 15 सीईटीपी में चार का निर्माण अभी बाकी था । सीईटीपी का निर्माण आवश्यकता से अधिक क्षमता के साथ किया, परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग का दायरा 5 से 62.50 प्रतिशत मात्रा के बीच रहा । आगे, दिल्ली की समस्त औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी से नहीं जुड़ा था । सीईटीपी द्वारा उत्पादित मलबा सभी परिसरों में पड़ा है जो स्थानीय आबादी की सेहत के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है ।

सिफारिशें

- *दि.ज.बो. को 100 प्रतिशत सीवेज एकत्रण तथा शोधन के भा.स. के दिशानिदेशों को समयबद्ध ढ़ंग से प्राप्त करने के लिए पहल को सुदृढ़ करना चाहिए ।*
- *इसे सभी संबंधित अवसंरचना के एक साथ कार्यान्वयन तथा पूर्णता को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सीवरेज़ के संग्रहण और सी.शो.सं. की शोधन क्षमता के बीच असंगति से बचा जा सके ।*
- *शोधन क्षमता अर्जित करने के प्रस्ताव संबंधित आवाह क्षेत्रों में अनुमानित सीवेज उत्पत्ति और उसे सी शो सं में लाने हेतु सुविधाओं की उपलब्धता पर आधारित होने चाहिए तथा इनके संदर्भ में इनकी प्राथमिकता तय की जानी चाहिए ।*
- *सीईटीपी से मलवा के निपटान के लिए नीति निर्मित होनी चाहिए तथा इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा नियत की जानी चाहिए ।*
- *ईपीसीए द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन होना चाहिए तथा निरीक्षण तंत्र को ईपीसीए के निर्णयों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।*
- *अंशधारकों से सीईटीपी की लागत के बकाया अंश की वसूली हेतु प्रेरक कदम उठाने की आवश्यकता है ।*

2.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण लक्ष्य

कार्यकारी साराश

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण लक्ष्य का सूत्रपात (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) दिसबंर 2005 में देश भर में शहरों के तीव्र विकास एवं सुधारों के विस्तार के उद्देश्य से किया गया । लक्ष्य समयावधि सात वर्ष (मार्च 2012 तक) थी, जिसे अग्रगमन परियोजनाओं की समाप्ति के लिए 2013-14 तक बढ़ा दिया गया । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सुधारों के कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था, फिर भी, यह पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सका । राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) लक्ष्य के अधीन परियोजनाओं की कार्यान्वयन निगरानी के लिए मानवशक्ति से पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे । परियोजनाओं को बिना राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन के सीधे केन्द्रिय परिचालन एवं निगरानी समिति (एसएलएमसी) को प्रस्तुत किया गया । परियोजनाओं के विकास पर निगरानी रखने के लिए कार्यक्रम प्रबंध इकाई एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई नहीं शुरू किये गये । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार शहरी निर्माण और शासन (यूआईजी) के लिए तीसरे निरीक्षण एजेंसी एवं निगरानी विभाग का गठन नहीं किया । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार यूआईजी के लिए आवंटित ₹ 2823.18 करोड़ में से ₹ 196.88 करोड़ का उपयोग ही नहीं कर सकी । राज्य स्तरीय परिचालन समिति और एस.एल.एन.ए. से ₹ 200 करोड़ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार समिति (डीएसयूआईबी) को माँग के बिना ही दे दिये । यद्यपि, शहरी गरीबी के आधारिक सेवाओं (बीएसयूपी) के मुख्य मांग प्रदत्त आश्रय के लिए परियोजनाओं के द्वारा मलिन बस्तियों के एकीकृत विकास थी । मूल आधार एवं दूसरे नागरिक संबंधित सुविधाएँ, मलिन बस्तियों में निवास करने वालों के लिए निवास की कुछ परियोजनाओं को स्वीकार किया गया ।44720 निवास इकाईयों (नि.इ.) के संरचना अवरोध मुक्त स्थानों के अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया गया । 10684 नि.इ. में से केवल 85 लाभार्थियों को आवंटित किया गया । जैसा कि आवंटन के नीति केवल जनवरी, 2011 में पूर्ण किया जाना था । सरकार के द्वारा निर्णय लेने में विलंब के कारण यमुना नदी पर पुल की लागत ₹ 672 करोड़ बढ़ गयी । इस परियोजना के अनुबंध के प्रावधानों और शर्तो का उल्लंघन कर ठेकेदार ने पुल के फैब्रिकेशन का कार्य चीन में करवाया । चीन में ठेकेदार को माल की प्राप्ति के लिए प्रतिभूत अग्रिम के रूप में ₹ 20.60 करोड़ भुगतान किए गए । अनुबंधो के निष्पादन में दूसरे अनियमितताएँ जैसे बिना निविदा के परामर्श के कार्य के अवार्ड की कीमत के लिए अनुचित भुगतान, सडक की अति रूपरेखा के कारण ₹ 70 लाख का अधिक खर्च, कार्य के स्कोप में अनधिकृत कटौती, ₹ 35.03 करोड़ का अनियमित खर्च, कार्य समाप्ति में देरी के लिए दण्ड का न आरोपण इत्यादि थे । यद्यपि, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के द्वारा यूआईजी परियोजनाएँ आमतौर पर पूर्ण किए गए थे, दूसरी यूआईजी परियोजनाएँ जोकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)को सौंपी गई थी, बुरी तरह पिछड़ी हुई थी। डीजेबी परामर्श कार्य को 'लेइंग ऑफ इन्टरसेप्टर सेवेरेज सिस्टम' परियोजना के लिए मैसर्स इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के नामित आधार पर अवॉर्ड किया और कई बिन्दुओं पर करार में कमी थी। दिल्ली नगर निगम सड़कों के सुधार पर ₹ 4.33 करोड़ का खर्च किया जो कार्यसंचालन समिति के द्वारा अनुमोदित नहीं था।

2.2.1 प्रस्तावना

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण लक्ष्य (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) दिसम्बर 2005 मे सुधार विस्तार एवं देशभर में शहरों के तीव्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया । लक्ष्य समयावधि सात वर्षो के समयान्तराल में वर्ष 2012 तक था । इसे मात्र मार्च 2012 तक अनुमोदित चालू परियोजनाओं के समाप्ति के लिए 2013-14 तक विस्तारित किया गया है । जे.एन.एन.यू.आर.एम. के मुख्य उद्देश्य निम्न थेः

(i) आधारभूत अवसंरचनात्मक सेवाओं के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रिकृत ध्यान

(ii) शहरी बुनियादी ढाँचा विषयक सेवाओं में कमियों के सुधार के लिए उचित निधि सुनिश्चित करना ।

(iii) नागरिक सुविधायें और शहरी गरीबों तक सार्वभौमिक पहुँच से महत्वपूर्ण पर प्रावधान के सोपानिक वितरण

(iv) पुराने शहरी क्षेत्रों में भीड-भाड़ कम करने के लिए कार्यक्रम पर विशेष घ्यान

(v) शहरी गरीबों के लिए आधार सेवाओं का प्रावधान

2.2.1.1 लक्ष्य का क्षेत्र

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दो उप-लक्ष्य हैः

(i) **शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी):** यूआईजी अवयव जल आपूर्ति से संबंधित शहरी बुनियादी परियोजनाओं मलजल, अवशिष्ट प्रबंध, सड़क तंत्र शहरी परिवहन और 65 लक्षित शहरों में आंतरिक (पुराने) शहरी क्षेत्रों इत्यादि के पुर्नविकास का प्रबंध करता है ।

(ii) **शहरी गरीबों के लिए मूल सेवायें (बी.एस.यू.पी):** बी.एस.यू.पी 65 लक्षित शहरों में आश्रय, मूल सेवाएँ और दूसरे नागरिक से संबंधित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निवास और मलिन बस्तियों के विकास को आच्छादित करता है ।

इसके अतिरिक्त दो दूसरे अंग हैः (अ) छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी बुनियादी विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और (ब) 2001 की जनगणना के अनुसार, शहरों/कस्बों से संबंधित एकीकृत निवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम आईएचएसडीपी, शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.) यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी के लिए नोडल मंत्रालय हैं । निवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (एमओएचयूपीए) मंत्रालय बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के लिए नोडल मंत्रालय है ।

2.2.1.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा/रूपरेखा और प्रक्रिया

(क) केन्द्रीय स्तर

जेएनएनयूआरएम राष्ट्रीय परिचालन समूह (एनएसजी) के पूर्ण मार्गदर्शन एवं निगरानी के अधीन कार्य करता है जिसके अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री एवं उपाध्यक्ष निवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं । एनएसएजी कार्यान्वयन, निगरानी और संवीक्षा के लिए नीतियाँ तैयार करता है एवं जहाँ आवश्यकता हो उचित सुधारात्मक सुझाव देता है । एनएसएजी की सहायता के लिये एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) की जिसका कार्य प्रस्तावों का मूल्यांकन करना है तथा एक केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति (के.अ.नि.स.) जो कि आगे के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए जवाबदेह है, की सहायता प्राप्त है ।

(ख) राज्य स्तर

राज्य स्तर पर, जेएनएनयूआरएम राज्य स्तरीय परिवालन समिति (एसएलएससी) के द्वारा समन्वित किया जाता है जिसके प्रधान राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं । यह जेएनएनयूआरएम में शामिल करने के लिए प्रस्तावों को परिवेक्षण एवं प्राथमिकता प्रदान करता है । एसएलएससी को नोडल विभागों द्वारा सहायता दी जाती है जो परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित, मूल्यांकित, करते हैं और जेएनएनयूआरएम का प्रबंधन एवं निगरानी करते हैं ।

2.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली में जेएनएनयूआरएम का कार्यान्वयन

रा.रा.क्षे. दिल्ली विधान सभा के साथ संघीय क्षेत्र है जिसमें राज्य के साथ-साथ महानगरीय शहर की विशेषता है । दिल्ली के तीन नगरपालिका निगमों (दि.न.प.नि.), नइ दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), और दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.), रा.रा.क्षे. दिल्ली के अनुषंगी सरकारी विभाग है । दिल्ली देश में तीव्रगति से वृद्धि करने वाले शहरों में से एक है जिसकी दशकीय वृद्धि दर 1991-2001 में 47 *प्रतिशत* रही, जो राष्ट्रीय दर के दो गुणा से अधिक है । 2001 के जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 1.38 करोड़ थी तथा जनसंख्या घनत्व औसतन 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो अन्य सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में उच्चतम है ।

2.2.2.1 अनुबंध का ज्ञापन

शहरी विकास मंत्रालय और शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार और शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम, दि.जे.बी. और न.दि.न.नि. के बीच समझौता के ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर भारत सरकार (भा.स.) से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए 11 सितम्बर 2007 को हस्ताक्षर किये गये ।

(अ) दिल्ली में जेएनएनयूआरएम के लिए निधि पैटर्न

दिल्ली के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का पैटर्न तालिका-2.7 में दिया गया है:

तालिका 2.7 : जेएनएनयूआरएम के लिए निधि पैटर्न

यूआईजी			बीएसयूपी	
केन्द्रीय	राज्य	यूएलबी अथवा पैरास्टैटल अंश/वित्तीय संस्थाओं से ऋण	केन्द्रीय अंश	राज्य/यूएलबी/पैरास्टैटल अंश
35 *प्रतिशत*	15 *प्रतिशत*	50 *प्रतिशत*	50 *प्रतिशत*	50 *प्रतिशत*

योजना आयोग ने पूरे लक्ष्य अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को ₹ 4280.58 करोड़ (यूआईजी- ₹ 2823.18 करोड़, बीएसयूपी- ₹ 1457.40 करोड़) आवंटित किये ।

(ब) राज्य स्तरीय परिचालन समिति और नोडल एजेन्सी

दिल्ली में राज्य स्तरीय परिचालन समिति फरवरी 2006 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया और शहरी विकास विभाग (विभाग) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के रूप में नामित किया गया ।

2.2.3 जेएनएनयूआरएम की निष्पादन लेखापरीक्षा

रा.रा.क्षे. दिल्ली के संबंध में जेएनएनयूआरएम की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान संचालित की गई, जिसे अप्रैल से जून 2012 तक अद्यतन, दिसम्बर 2005 से मई 2012 तक लक्ष्य अवधि को आवृत करते हुए किया गया ।

2.2.3.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में निर्धारित किया गया है कि क्या:

- सुधार कार्यसूची की प्राप्ति निष्पादित की गई है,
- शहरी विकास योजना (श.वि.यो.) व्यापक तौर पर शहर के सतत् भावी विकास के लिए विजन और रणनीति तैयार करता है और ठीक ढंग से दस्तावेजित करता है ।
- प्रत्येक निर्माण क्षेत्र में आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण निर्धारण था और परियोजनाएँ उचित रूप से नियोजित थे ।
- परियोजनाओं को दक्षता पूर्वक निष्पादित किया तथा अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की गई
- वित्तीय प्रबंधन नियंत्रित करने के पर्याप्त प्रयत्न किये गये ।
- निर्मित परिसम्पति के क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया गया था,
- उपयुक्त और प्रभावशाली निगरानी और मुल्यांकन के लिए तन्त्र था ।

2.2.3.2 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नलिखित स्रोतों से उद्धृत मापदण्ड के विरूद्ध बनाया गयाः

- दिशानिर्देशन,संकेतों, परिपत्रों, आदेशों, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और वित्तमंत्रालय (भा.स.) द्वारा प्रकाशित ।
- समझौते के ज्ञापन (स.ज्ञा.) और चयनित परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहर विकास परियोजनाएं और जेएनएनयूआरएम के अधिन विभिन्न मामलों के लिए एमओयू,डीसीडीपी एवं द्वारा प्रकाशित टूलकीट
- शहरी गरीबी के लिए मूल सेवाओं की निगरानी -सीएसएमसी के विभिन्न सभाओं का विवरण

2.2.3.3 लेखापरीक्षा विधि तंत्र

शहरी विकास विभाग (युडीडी), अनुषंगी एजेंसी दिल्ली नगरपालिका निगमों (दि.न.नि.), दिल्ली जल बोर्ड़ (दि.ज.बो.) और कार्यान्वित एजेंसी लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) दिल्ली शहर आश्रय सुधार समिति (डीयूएसओबी), दिल्ली राज्य उद्योग एवं निर्माण विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) में अभिलेखों के जाँच के द्वारा लेखापरीक्षण संचालित किया गया ।

लेखापरीक्षा 13 मई 2011 को प्रारंभिक सम्मेलन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें सचिव (यूडी), निर्देशक (निर्माण), लोक निर्माण विभाग, और दी.जे.बी., डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीटीसी और डीयूएसआईबी के प्रतिनिधियों संचालक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, विधितंत्र और रूपात्मकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए उपस्थित थे । नवम्बर 2011 में दिल्ली सरकार को सिंचित प्रतिवेदन दिया गया । अंकेक्षण संस्थाओं के साथ निर्गमित सम्मेलन 23 जनवरी 2011 को लेखापरीक्षा के परिणामों पर विचार-विमर्श के लिए हुआ । ऊपर वर्णित दफ्तरों, इकाईयों, और संगठन के पुर्नगठन के द्वारा 31 मई 2012 तक अद्यतन करना तथा प्रतिवेदन दिल्ली सरकार को जारी किया गया । सरकार का जबाव मार्च 2013 तक प्राप्त नहीं हुआ था ।

2.2.3.4 अभिस्वीकृति

अंकेक्षण को सुगम बनाने में यूडीडी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दि.ज.बो. डीयूएसआईबी, डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी के सहयोग के लिए हम अपना आभार प्रकट करते है ।

2.2.4 दिल्ली में सुधार का कार्यान्वयन

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से राज्य सरकार के द्वारा निश्चित आवश्यक और वैकल्पिक सुधारों के क्रियान्वयन के अधीन थी। सुधारों का मुख्य उद्देश्य व्यापक प्रभावशाली शहरी सेवा प्रदाता और नागरिक अवसंरचना के द्वारा शहरों के विकास के लिए समर्थ वातावरण प्रदान करना है । राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय संस्थानों (यूएलबी) को इस प्रकार लक्ष्य अवधि के दौरान सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वयन किये जाने के लिए स्वीकार किये जाने की आवश्यकता थी।

(i) दिल्ली में आवश्यक सुधारों की स्थिति

	सुधारों का कार्यान्वयन	स्थिति
1.	74 वाँ संविधान संसोधन अधिनियम का कार्यान्वयन	12 वीं अनुसूची में लिखित सभी कार्यों की- (i) भूमि उपयोग के विशेष नियोजन एवं निगरानी (ii) जल आपूर्ति और मलजल और (iii) अग्नि सेवाओं को छोड़कर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया ।
2.	शहरी नियोजन और कार्य सपूर्दगी का एकीकरण	सभी शहरी नियोजन और कार्य सपूर्दगी यूएलबी के साथ भूमि उपयोग, नये क्षेत्रों का स्थानिक नियोजन ओर विकास जल आपूर्ति एवं मलजल, परिवहन सेवाओं और अग्नि सेवाओं को छोड़कर एकीकृत गया है ।
3.	भाड़ा सुधार नियंत्रण सुधारों	भारत सरकार के नियंत्रण के अधिन
4.	स्टाम्प ड्यूटी का यौक्तिकरण	वर्तमान में पुरूषों के लिए 6 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत अंकन (स्टाम्प) सेवा है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पुरूषों के लिए इसे 5 प्रतिशत तक कम करने के लिए कोई वादा नहीं किया ।
5.	शहरी भूमि सीमांत एवं नियंत्रण अधिनियम	निरस्त कर दिया गया ।
6.	सामुदायिक सहभागिता कानून	इस संबंध में दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है।
7.	लोक प्रकतीकरण कानून	इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा कुछ नही निर्णय लिया गया है ।

(ii) श.स्था.नि. स्तर पर महत्वपूर्ण सुधारों की स्थिति

1.	शहरी गरीबों के लिए मूल सेवायें	इस संबंध में उपलब्धियाँ नगण्य रहा है। मलिन वस्तियों एवं शहरी गरीब क्षेत्रों का रेखा चित्रण नहीं किया गया है।
2.	ई-गवर्नेन्स	इन्टरनेट संचार एवं तकनीकी (आईसीटी) को उपयोग में लाने के लिए दि.न.नि. ने ई-गवर्नेन्स परियोजनाएं शुरू किया है।
3.	नगरपालिका लेखाकरण	एमसीडी ने दोहरे प्रविष्टी प्रणाली अपनायी है ।
4.	संपत्ति कर	2004 से सम्पत्ति कर के लिए स्व-निर्धारण प्रणाली प्रारंभ किया गया है। सम्पत्ति कर संचयन क्षेत्र संतोषप्रद नहीं है ।
5.	उपभोक्ता भार	उपभोक्ता बोझ के संचयन पर नीति अब भी अन्तिम किए जाने को है ।
6.	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं के लिए निधियों का आन्तरिक व्यवस्था	एमसीडी शहरी गरीबों के सेवाओं के लिए निधियों को चिन्हित किया है।

(iii) राज्य और शहरी स्थानीय संस्था स्तर पर वैकल्पिक सुधार

	कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक सुधार	स्थिति
1	संपत्ति शीर्षक प्रमाणन प्रणाली का प्रस्तावना	सम्पत्तियों को सूचीकरण नहीं किया गया है ।
2	अनुमोदित प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उप-नियम निर्माण का संसोधन	विचाराधीन
3	भविष्य में होने एवे जल संरक्षण मापों के संग्रहण के लिए सभी निर्माण में वर्षा जल को आवश्यक सिंचाई युक्त बनाने के लिए उप-नियम निर्माण का संसोधन	पहले ही ग्रहण किया गया
4	क्रॉस अनुदान प्रणाली के साथ इ.डब्ल्यू.एस/ एलआईजी वर्ग के लिए सभी निवास परियोजनाओं में विकसित भूमि का कम-सं. कम 20-25 प्रतिशत चिन्हित ।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि सम्बध भारत सरकार से है ।
5	कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए वैधानिक एवं कार्यविधिक प्रारूपों का सरलीकरण	संघ क्षेत्र दोनों के कारण यह भारत सरकार से संबंधित है ।
6	भूमि और सम्पत्ति का पंजीकरण का कम्प्यूटराइज्ड प्रक्रिया का प्रस्तावना ।	कार्याधीन
7	जल के पुनराहत प्रयोग पर उप-नियम	निहित नहीं है ।
8	प्रशासनिक सुधार	अभी किया जाना है ।
9	अवसंरचनात्मक सुधार	अभी किया जाना है ।
10	सरकारी एवं निजी भागेदारी का प्रसुधार	उचित कुछ नहीं किया गया है ।

जबकि कई सुधारों की पहल की गई । विकास उद्देश्यों को प्राप्ति के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा सुधार पहल को आगे तक ले जाने एवं अस्पष्ट करने और निवेश माहौल उत्पन्न करने की जरूरत थी ।

2.2.4.1 राज्य और शहरी क्षेत्रीय संस्था स्तर पर प्रारंभिक बनावट

आवश्यक निधि प्राप्ति के लिए नीति, कार्यक्रम और मुहिम को दर्शाते हुए 20-25 वर्षों के अवधि के लिए नियोजित शहरी संभावित संरचना को यह योजना संबोधित करता था । सेवाओं, शहरी परिवहन और पर्यावरण प्रबंधन के साथ भूमि उपयोग को एकीकृत करने वाले शहरी विकास के तैयारी द्वारा संभावित योजना को बनाया जाना था । केन्द्रीय और राज्य सरकार से निधि सीधे ग्राण्ट-इन-एड के रूप में एसएलएनए को जाता है । एसएलएनए निधि को यूएलबी/अनुषंगी विभाग को मुलायम ऋण/अनुदान या अनुदान यह ऋण के रूप में चयनित परियोजनाओं के लिए वितरित करता है ।

2.2.4.2 गैर कार्यशील एसएलएनए

राज्य स्तरीय परिचालन समिति का समर्थन राज्य स्तरीय नोडल विभाग द्वारा किया जाना था। यह विभाग परियोजित उद्देश्यो को निमंत्रित उसका मूल्यांकन प्रबन्धन और अनुमोदित परियोजनाओं के भौतिक और आर्थिक विकास के निगरानी करने वाला था। अंकेक्षण अवलोकन किया कि दिल्ली में एसएलएनए अपनों कार्यों को तंत्र के अभाव में चलाने के स्थिति में नहीं था। राज्य स्तरीय नोडल विभाग में अनुभवी मानव शक्ति का अभाव था और यह अपने सभी कार्यों के लिए कार्यान्वयन विभागों पर आश्रित था।

विभाग (अक्टूबर 2011) ने बताया कि एसएलएनए उचित संख्या में लोगों के नियुक्ति के प्रक्रिया में था। अनुत्तर स्पष्टः बताता है कि राज्य सरकार स्तर पर निष्पादन विभागों के द्वारा प्रस्तुत डीपीआर तकनिकी जाँच बिना एसएलएससी के द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया।

2.2.4.3 स्थानीय निधि समुदाय का गैर-चालन

स्थानीय स्तर पर अनिभव परिवर्तन को बढ़ाने के लिए जेएनएनयूआरएम के प्रगति में समुदाय को सम्मिलित करने के लिए सहभागिता निधि समुदाय (सीपीएफ) का गठन किया गया । समुदाय विकास तंत्र (सीडीएन) जो समुदाय विकास सुरक्षा (सीडीएस), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और दूसरे गरीबी उन्मूलन एवं आजिविका विकास के लिए समुदाय स्तरीय संस्थाओं के तंत्र द्वारा गरीबी के सहभागिता पर लक्ष्य करता है, को विकसित किया जाना था । फिर भी, सीपीएफ ओर सीडीएन दोनों का स्थापना नहीं किया गया ।

तथ्य को सुनिश्चित करते हुए विभाग (अक्टूबर-2011) ने फैसला किया कि सीपीएफ संरचित किया जाएगा । परन्तु, स्थिति मई 2012 जैसा कि रहा।

2.2.4.4 परियोजना निरूपन में गैर-एकीकृत उपगमन

यद्यपि जेएनएनयूआरएम शहर में अवसंरचनात्मक सेवाओं के एकीकृत विकास पर लक्ष्य करता है फिर भी यूआईजी के अधीन केवल सड़क निर्माण से संबंधित लिए गए 24 परियोजनाओं को सीडब्ल्यूजी 2010 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शुरूआती तौर पर नियोजित किया गया। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर फरवरी 2009 में विशेषकर आर्थिक उद्देश्यों के लिए योजना आयोग जेएनएनयूआरएम के अधिन इन परियोजनाओं को सम्मिलित करने के लिए अनुमोदित किया। चूँकि ये अग्रचालित परियोजनएं थी कोई साक्ष्य नहीं था कि इन परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार किए गए एवं निर्धारित विवरणों को समाविष्ट किए। विभाग (अक्टूबर 2011) ने बताया कि जिस प्रकार सीडब्ल्यूजी के समय युआईजी परियोजनाएं अनुमोदित किया गया, निर्धारित प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया गया।

2.2.4.5 भारत सरकार से सहायता प्राप्ति के लिए एसएलएससी की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त नहीं की

जेएनएनयूआरएम के तहत् केन्द्रीय सहायता पाने हेतु एसएलएनए के अधिन युएलबी द्वारा परियोजनाओं को पहले एसएलएसजी को प्रस्तुत किया गया । फिर भी बीएसयुपी के 15 परियोजनाओं और एक युआईजी की एक परियोजना का निष्पादन विभाग। एसएलएनए के द्वारा सीधे सीएसएम को प्रस्तुत किया और इसके अनुमोदन के बाद, परियोजना नियमन और केन्द्रीय सहायता प्राप्ति के बाइपास को दर्शाते हुए इसे एसएलएससी को प्रस्तुत किया गया।

विभाग (अक्टूबर-2011) ने बताया कि एसएलएससी के अनुमोदन की आशा में परियोजनाओं को एएसएमसी को प्रस्तुत किया गया।

2.2.4.6 यूएलबी के गैर सहभागिता

दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी मुख्य आश्रित ऐजेंसी है फिर भी, इनमें से किसी भी ऐजेंसी द्वारा बीएसयूपी के अधिन कोई शहरी विकास परियोजना नहीं पेश किया गया ।

यूडीडी (अक्टूबर 2011) ने बताया कि डीयूएसआईबी चार परियोजनाओं के लिए स्वीकृति लिया है और एनडीएमसी एक प्रस्ताव बीएसयूपी में पेश किया है उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि ये परियोजनायें केवल निवास परियोजनाए थी तथा शहरी विकास परियोजनाएं नहीं थी ।

2.2.4.7 आवृत्ति निधि का गैर स्थापन

यूआईजी प्रस्तुति प्रबंध करता है कि एसएलएनए को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन विभागों के बंटित निधि के कम से कम 25 प्रतिशत आवृत्ति निधि में प्राप्त और प्रयोग किया जाता है, और यह अनुरक्षित करता है। अवसंरचना परियोजनाओं में अग्र निवेश को अथप्रबन्धन के लिए उत्तोलक बाजार निधि हेतु इस निधि को उपयोग किया जाएगा। लक्ष्यावधि के अंत के दौरान आहत निधि को राज्य स्तरीय शहरी अवसंरचना निधि तक बढ़ाया जा सकता है।

इसी प्रकार, बंटित निधियों का 10 प्रतिशत के साथ बीएसयूपी के लिए उप-लक्ष्य के अधिन आवृत्त निधि पर विचार किया जाएगा। लक्ष्यावधि के अंत में, आवृत्त निधि की शहरी गरीब निधि हेतु राज्य स्तरीय मूल सेवाओं तक बढ़ाया जा सकता है। फिर भी यह अवलोकित किया गया कि एसएलएनए द्वारा कोई आवृत्त निधि नही प्रारंभ किया गया।

विभाग ने इसे (अक्टूबर 2011) पुष्टि किया ।

2.2.4.8 कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई और कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई की गैर-शुरूआत (संगठन)

जेएनएनयूआरएम के साथ कार्यों के जटिलता के प्रबन्धन एवं कार्यान्वित करने के लिए एसएलएनए के क्षमता को बढ़ाने के दृष्टि से एक कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई (पीएमयू) विशेषज्ञों एवं अनुभवियों से युक्त इस मिशन में अभिकल्पित किया गया। इसी प्रकार कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)यूएलबी स्तर पर स्थापित किया गया। फिर भी, न तो पीएमयु और न ही पीआईयू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया।

विभाग (अक्टूबर 2011) ने बताया कि इन इकाईयों को नहीं प्रारंभ किया गया लेकिन इन्हें यथाशीघ्र स्थापित किया जाएगा । अनुत्तर युक्तियुक्त नही है जैसा कि मिशन पहले ही समाप्त हो गया है।

2.2.4.9 त्रुटिपूर्ण शहरी विकास योजना

शहर के भविष्यकालीन विकास के लिए दृष्टि एवं विकास मुहिम को रेखांकित करने वाले दस्तावेज विस्तार हेतु शहर विकास योजना (सीडीपी)पर विचार किया गया। यह शेयरधारकों के परामर्श में पूर्ववर्ती आधार पर विकसित किए जाने हेतु प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिए तैयार किया गया । पहली जबाव देही राज्य और यूएलबी पर सीडीपी की तैयारी थी । फिर भी यह अवलोकन किया गया कि सीजीपी तैयार करने के लिए ₹ 18 लाख की कीमत पर विभाग ने निजी कम्पनी आईएल एफएस नियुक्त किया।

सीडीपी का अध्यतन उजागर किया कि तंत्र सूची शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन में वर्णित नियमों के रूप में इस दस्तावेज का नियमन नही किया गया। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने के लिए शहर के जरूरतों का कोई विवेचनात्मक विवरण नही तैयार किया गया।

आईएल एवं एफ एस द्वारा तैयार सीडीपी के जाँच उजागर किया कि यह मात्र आंकडे को समुह थ और शहर के भविष्यकालिन विकास के लिए दिशा निर्देश को प्रदान नहीं किया यह उल्लेख नहीं किया गया :

- कहाँ शहर है और कहॉ शहर आना चाहता के बीच के भेद को सेतु बंधन हेतु मुहिम
- दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए रणनितिक विकल्पों का उपलब्धता,
- योजना को कार्यान्वयन के लिए निवेश की आवश्यकता, और
- अग्र सुधारों जिसकी शहरों की जरूरत है ।

इस प्रकार यह अपूर्ण दस्तावेज था ।

2.2.4.10 रणनितिक दस्तावेज के रूप में सीडीपी का गैर उपयोग

निष्पादन विभागों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर स्पष्ट रूप से बनाया कि किसी विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को पार्थक्य में नियोजित किया गया । सीडीपी में सुझावित कोई भी परियोजना किसी भी यूएलबी द्वारा नहीं कार्यान्वित किया गया । इस प्रकार, सीडीपी सरकार द्वारा औपचारिकता पूरी की गई ।

तथ्यों को सुनिश्चित करते हुए, विभाग ने बताया कि परियोजनाओं की प्राथमिकता दिल्ली में तेजी से बदल रहा था । इस तरह, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वयन विभागे परियोजनाओं को प्रस्तुत कर रहे थे । सीडीपी में उपलब्ध में नहीं हो सकते थे । जबाव बताता है कि दिल्ली में परियोजना नियोजन के लिए रणनितिक दस्तावेज के रूप में सीडीपी का उपयोग नही किया गया । भविष्य में इसे प्रासंगिक रखने के लिए किसी तंत्र का खोज नहीं किया गया । यह स्पष्ट है कि दिल्ली के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण और समसामयिक परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रस्तावों के बीच पूर्ण असम्बद्धता है ।

2.2.5 निगरानी और मूल्यांकन

2.2.5.1 एसएलएससी, एसएलएनए और यूएलबी की भूमिका

दिल्ली में जेएनएनयुआरएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन किए जाने हेतु निगरानी में कोई भूमिका एसएलएससी या एसएलएनए नही निभागया और परियोजनाएं मात्र निष्पादन विभागों के हाथों में थी । परिणामतः समय सारणी से काफी पहले रह गए । अवलोकन किया गया कि परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय निगरानी प्रणाली को वास्तविक रूप से अप्रभाशाली बनाते हुए पूरे लक्ष्यवधि के दौरान दो क्रमिक बैठकों के बीच 5 से 20 महीने के अन्तराल पर एसएलएससी का केवल 6 बैठकें हुई ।

2.2.5.2 कार्यक्रम निगरानी मूल्यांकन प्रणाली (पीएमइएस)

पीएमईएस का शुरूआत भारत सरकार स्तर पर राज्यों में क्रियान्वित परियोजनाओं के प्रगति पर निगरानी रखने के लिए किया गया । इस प्रणाली के द्वारा, परियोजनाओं के विकास पर सुचना एसएलएनए द्वारा आँन लाइन प्रस्तुत किया जाना था । फिर भी, विभाग ने स्वीकार किया कि एसएलएनए में पीएमई एस नहीं निहित था । यह निर्दिष्ट करता है कि पीएमईएस के प्रारंभ करने की वही उद्देश्य, जो केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन पेश करना है विफल कर दिया गया है और निर्धारित रीति में राज्य सरकार द्वारा नियमित प्रतिवेदन के अभाव में, केन्द्र सरकार परियाजनाओं के विकास को निगरानी करने की स्थिति में नहीं थी ।

2.2.5.3 स्वतंत्र परिवेक्षण और निगरानी विभागों का गैर-नियुक्ति

स्वतंत्र परिवेक्षण ओर निगरानी विभागों (आईआरएमए) की नियुक्ति युआईजी परियोजनाओं के भौतिक और आर्थिक विकास पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए की जानी थी। यद्यपि ₹ 7878.48 करोड़ को आवेस्तित करते हुए 30 वृहद परियोजनाएं एएसएमसी द्वारा अनुमोदित किए गए, एसएलएनए किसी भी परियोजना के लिए आईआरएमए नहीं नियुक्त किया। विभाग ने बताया कि चूँकि सीडब्ल्यूडी योजना के तहत परियोजनाएं अग्रचालित थी। बहुत परियोजनाओं में तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षा संचालित किया गया, तब भी आईआर एम ए नहीं नियुक्त किया गया। अनुत्तर स्वीकार योग्य नही था क्योंकि आईआरएमए की भूमिका से बडा था।

2.2.5.4 तृतीय पक्ष जाँच और निगरानी विभाग की गैर/विलम्बि नियुक्ति

तृतीय पक्ष जाँच और निगरानी विभाग की नियुक्ति बीएसयुपी परियोजनाओं के विकास पर निगरानी रखने के लिए किया। इन विभागों को स्थल का निरीक्षण करना एवं अपनी प्रतिवेदन नियोजन अवस्था से पूर्ण अवस्था तक एसएलएनए को पेश करना था। अंकेक्षण जाँच उजागर किया कि मई 2007 और जून 2008 के बीच 55120 फ्लैट के संरचना के लिए 12 परियोजनाओं को सौंपा। एसएलएनए ₹ 36.13 लाख के शुल्क पर देर मार्च में टीपीआइएमए नियुक्त किया। उस समय तक, चार परियोजनाएं समाप्त कर दिया गया था, छः पूर्ण कर लिया गया था या पूर्ण होने के नजदीक थे, एक कोर्ट के स्थगित आदेश के कारण प्रारंभ नही किया जा सकता था, केवल एक परियोजना प्रगति में था। टीपीआइएमए के नियुक्त करते हुए स्थगित या पूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रासंगिता नहीं था। यह भी अवलोकन किया गया कि जुलाई 2008 और मार्च 2012 के बीच अनुमोदित 12 परियोजनाओं के लिए एसएलएनए टीपीआइएमए नियुक्त नहीं किया था। यद्यपि टीपीआइएमए 14 प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, एसएलएनए के पास इन प्रतिवेदनों को जाँच किए जाने एवं खामियों को सुधारने के लिए को अनुभवी/विशेषज्ञ नही था।

विभाग ने बताया कि टीपीआइएमए प्रत्येक सात परियोजनाओं का दो प्रतिवेदन पेश किया और वे प्रतिवेदनें कार्यान्वयन विभागों को उपचारी कार्य के लिए प्रेषित किये जा रहे थे। अनुत्तर निर्देशित किया कि विभाग को टीपीआइएमए के प्रतिवेदन के जाँच के लिए आंतरिक तंत्र नही था।

2.2.6 वित्तीय प्रबंधन

सीएसएमसी 30 यूआईजी परियोजनाओं और 24 बीएसयूपी परियोजनाओं को अनुमोदित किया, जिसमें पाँच यूआईजी परियोजनाएं और छः बीएसयूपी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। मार्च 2012 के अतं में ' 3335.80 करोड़ का खर्च कार्यान्वयन विभागों द्वारा प्राप्त किया गया था।

2.2.6.1 यूआईजी के लिए जारी पूरक केन्द्रीय सहायता पर एसएलएनए का अनियंत्रण

मार्गदर्शन के अनुसार, पूरक केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियों को एसएलएनए द्वारा कार्यान्वयन विभागों को निर्मुक्त किया जाना चाहिए । फिर भी, निधियों को आर्थिक विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा सीधे कार्यान्वयन विभागों को बिना एसएलएनए के द्वारा उसे मार्गित करते हुए मुक्त कर दिया है । अंतिम लेखा के अभाव में कार्यान्वयन विभागों द्वारा निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका । एसएलएनए इन निधियों के ट्रेंक/पदचिन्ह को नहीं रखा । विभाग घोषणा (अक्टूबर 2011) किया कि समय के अभाव के कारण, निधियों को वित्त विभाग द्वारा सीधे सरकारी विभागों को आवंटित किया गया ।

2.2.6.2 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की गैर अदायगी

मार्गदर्शन प्रबंध करता है कि प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता की 25 *प्रतिशत* की प्रथम किश्त राज्य सरकार/आश्रित विभाग के द्वारा स.वि.स. के हस्ताक्षर पर मुक्त किया जाएगा। शेष राशि प्रयोज्य प्रमाणपत्र और लक्ष्य प्राप्ति के पावती पर तीन किश्तों में मुक्त किया जाएगा। भारत सरकार दिल्ली में युआईजी परियोजनाएं एवं बीएसयुपी परियोजनाएं के लिए ₹ 4588.56 करोड़ पूरक केन्द्रीय सहायता (एसी) देने का विचार किया। लेकिन नवम्बर 2012 तक दिल्ली सरकार द्वारा ₹ 1416.76 करोड़ एसीए के रूप में प्राप्त किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त शेष एसीए पाने हेतु एसएलएनए द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

2.2.6.3 आबंटित निधियों का गैर-उपयोग

यह पाया गया कि योजना आयोग द्वारा यूआईजी परियोजनाओं के लिए ₹ 2823.18 करोड़ के आबंटन के विरूद्ध केवल ₹ 2732.20 करोड़ के लिए 30 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई। इनमें से ₹ 105.88 करोड़ के संस्वीकृत मूल्य की 5 परियोजनाओं को बन्द कर दिया गया। इसलिए एसएलएनए ₹ 196.86 करोड़ के आबंटन का उपयोग नहीं कर सका। विभाग (अक्टूबर 2011) ने तथ्यों के पुष्टिकरण के दौरान कहा कि अनुमोदित एसीए का उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार को बहुत ज्यादा परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थी। हालाँकि योजना (स्कीम) की समाप्ति तक शेष आबंटन को उपयोग में लाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कोई नयी परियोजना नहीं प्रस्तुत की गई थी।

2.2.6.4 ₹ 0.76 करोड़ का निरर्थक व्यय

दिल्ली सरकार को कड़कड़ी मोड़ पर क्लोवर लीब्ज के निर्माण एवं कड़कड़डूमा के पास स्थित मुख्य नाले पर विद्यमान पुल को चौड़ा करने के नाम से एक यूआईजी परियोजना की मंजूरी प्राप्त हुई तथा निर्माण कार्य को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सौंपा गया। यह पाया गया कि एकीकृत यातायात एवं परिवहन अवसंरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र (यूटीटीईपीईसी) के द्वारा अनुमति न मिलने के कारण परियोजना को बंद कर (रोक) दिया गया। हालाँकि डीडीए अपने ऊपर इस परियोजनापर ₹ 0.76 करोड़ का व्यय पहले ही उठा चुका था जो कि निरर्थक सिद्ध हुआ।

2.2.6.5 डीयूएसआईबी को ₹ 200 करोड़ की अनुचित अदायगी

विभाग (दिसम्बर 2011) ने डीयूएसआईबी को ₹ 200 करोड़ जारी किया गया ताकि यह डीएसआईआईडीसी को अपने ऋण का पुनर्भुतान कर सके। हालाँकि यह पाया गया कि जिस प्रकार डीयूएसआईबी के पास डीएस आईआईडीसी को किसी ऋण का भुगतान करने के लिए कोई देनदारा नहीं थी। उसी प्रकार से डीयूएसआईबी ने डीएसआईआईडीसी को कोई भुगतान नहीं किया परन्तु इस राशि को अपने पास रखे रहा । इस प्रकार विभाग ने डीयूएसआईबी को ₹ 200 करोड़ बिना किसी माँग के जारी किया था । विभाग का प्रत्युत्तर नवम्बर 2012 से प्रतीक्षित है ।

2.2.6.6 जेएनएनयूआरएम निधियों से स्टॉफ के लिए कारों की खरीद

डीयूएसआईबी जो कि बीएसयूपी परियोजनाओं के लिए एकक्रियान्वयन एजेंसी है जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं के लिए अपने द्वारा प्राप्त निधियों में से ₹ 27.82 लाख की 8 स्टॉफ कारों को खरीद चुकी थी ।

2.2.7 बीएसयूपी के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.7.1 बीएसयूपी के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं के चयन में असंगति

बीएसयूपी के निवेदन का प्रमुख उद्देश्य इस दृष्टिकोण के साथ कि मलिन बस्तियों को परियोजनाओं के माध्यम से शरण, आधारभूत सेवाएं एवं अन्य संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराकर उनका एकीकृत विकास करना था ताकि शहरी गरीबों को जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध हो सके ।

सीएसएमसी की 25वीं बैठक में इस रात पर जोर दिया गया कि जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत आवासीय परियोजनाओं के लिए 50 से 60 *प्रतिशत* तक की सीमा एवं शेष सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए होगी । हालाँकि यह पाया गया कि दिल्ली सरकार ने केवल आवासीय परियोजनाओं-मलिनवासियों के वहन करने

योग्य लागत पर घरों की जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर लिया । डीयूएसआईबी के अनुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं मलिनवास नामित क्षेत्रों में 685 समूहों में फैली लगभग 4 लाख झुग्गियों में लगभग 47.36 लाख लोग रह रहे थे । हालाँकि दिल्ली में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत नागरिक सुविधाएं उलब्ध कराकर अथवा पुराने दुर्ग नगर विकास हेतु किसी परियोजना के द्वारा जेजे समूहों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया ।

2.2.7.2 बीएसयूपी के अंतर्गत कम लागत की आवासीय परियोजनाएं

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने कम लागत पर 4 लाख आवासीय इकाईयों का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा मार्च 2012 तक जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत सीएसएमसी से केवल 110584 वास इकाईयों (डीयू) की संस्वीकृति मिली जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8 : बीएसयूपी के अन्तर्गत डीयू की स्थिति

कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित डीयू की सं.	परियोजना की लागत (करोड़ में)	बंद कर दिये गये डीयू	पूर्ण किए गए डीयू
डीएसआईडीसी	14	81528	3007.34	40048	9660
डीयूएसआईबी	8	24076	1102.12	5872	1024
डीडीए	1	4740	196.00	-	-
एनडीएमसी	1	240	22.00	-	-
कुल	**24**	**110584**	**4327.46**	**45920**	**10684**

(क) डीएसआईआईडीसी के द्वारा आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

बीएसयूपी के अधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए डीएसआईआईडीसी सबसे बड़ी क्रियान्वयन एजेंसी है । 14 परियोजनाओं के अधीन डीएसआईआईडीसी के द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु सीएसएमसी ने 81528 डीयू का अनुमोदन किया । लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई कमियों का सार नीचे दर्शाया गया है:

- बापरौला स्थिति 5552 डीयूके निर्माण के लिए बोली के आमंत्रण के जबाव में केवल एक बोली (नीलामी) की प्राप्ति हुई । एकल बोली लगाने वाले के द्वारा निर्धारित लागत निविदा में रखी गयी अनुमानित लागत का लगभग दुगुना थी । हालाँकि डीएसआईआईडीसी ने पुनर्निविदा न जारी करने का निर्णय किया । जब इस पर सवाल उठाया गया तो डीएसआईआईडीसी (जनवरी 2012) ने कहा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप

उचित दरों को अंगीकार किया । हालाँकि डीएसआईआईडीसी ने इस बात का कोई जबाव नहीं दिया कि पुनर्निविदा जारी करने पर विचार क्यों नहीं किया गया था ।

- डीएसआईआईडीसी को आवासीय परियोजनाओं के लिए बाधामुक्त भूमि उपलब्ध कराने में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की असफलता के कारण डीएसआईआईडीसी के द्वारा परियोजनाओं पर वहन किए गए ₹ 50.59 लाख मुख्यतः ताक पर रखे गए ।
- सीएसएमसी (दिसम्बर 2007) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 18 महीने से कम की प्रत्येक परियोजना के समापन हेतु निर्धारित (उल्लिखित) अवधि को ध्यान में रखा जाएगा ताकि उनकी लागत वृद्धि के कारण भुगतान से बचा जा सके । हालाँकि डीएसआईआईडीसी ने 31 मार्च 2012 तक चार परियोजनाओं में उनकी लागत वृद्धि के कारण ठेकेदार को ₹ 12.97 करोड़ का भुगतान किया क्योंकि उनके समापन का निर्धारित समय जो कि 18 महीने से कम का था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था ।
- यद्यपि 9660 डीयू को पूरा किया गया जबकि डीएसआईआईडीसी द्वारा इन निवास इकाईयों के निर्माण की योजना के लिए स्थानीय निकायों से स्वीकृति नहीं ली गई थी । इस मामले को जून 2012 में डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया परन्तु इसका प्रत्युत्तर सितम्बर 2012 से प्रतीक्षित है ।

(ख) डीयूएसआईबी के द्वारा शुरू की गई आवासीय परियोजना

डीएसएमसी ने डीयूएसआईबी के द्वारा कार्यान्वित की जानी वाली 24076 निवास इकाईयों के लिए उपरियोजनाओं की संस्वीकृति दी । अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला किः

- दो परियोजनाओं में ₹ 28.45 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध डीयूएसआईबी ने ₹ 35.46 करोड़ के व्यय का वहन किया (अर्थात् अनुमोदित लागत से 7 करोड़ ज्यादा) जबकि कार्य की बहुत सी अन्य मदों को कार्यान्वित किया जाना शेष है । मिशन के मानकों के अनुसार सीएसएमसी के द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक व्यय का वहन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाना है ।
- दिसम्बर 2011 तक इन परियोजनाओं के अधीन 1024 निवास इकाईयों को पूरा किया गया परन्तु मई 2012 तक इन इकाईयों में घरेलू उपयोग हेतु पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी ।
- इन परियोजनाओं के अधीन 9780 निवास इकाईयों के निर्माण कार्य को उनको अवॉर्ड करने के तुरन्त बाद रोक दिया गया क्योंकि सभी प्रखण्डों में सीढ़ियों की चौड़ाई राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार नहीं थी । भवन-निर्माण योजना के संशोधन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय न होपाने के कारण परियोजनाएं बन्द पड़ी थीं । इस कारण से 7400 निवास इकाईयों हेतु अन्य परियोजनाओं के लिए

निर्माण कार्य सौंपा नहीं गया । ₹ 38.74 करोड़ का संग्रहण अग्रिम के रूप में जारी कर दिया गया जबकि निर्माण कार्य प्रगति नहीं कर रहा था ।

- सीएसएमसी (मार्च 2008) ने ₹ 35.13 करोड़ की 1200 निवास इकाईयों के लिए एक परियोजना की स्वीकृति दी लेकिन निर्माण कार्य को अवॉर्ड नहीं गया क्योंकि डीयूएसआईबी निविदा को अंतिम रूप नहीं दे सका। जब डीयूएसआईबी ने ₹ 70.40 करोड़ (जनवरी 2011) की 1340 निवास इकाईयों के लिए संशोधित प्रस्ताव सौंपा तब सीएसएमसी ने परियोजना को स्वीकृति नहीं दिया क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई थी। इस प्रकार जब से डीयूएसआईबी की निष्क्रियाता के कारण 1200 निवास इकाईयों के निर्माण का मौका खो दिया गया क्योंकि जेएनएनयूआरएम योजना के अधीन नयी परियोजनाओं की संस्वीकृति रोक दी गई।

उपरोक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 74.20 करोड़ वहन करने के बावजूद डीयूएसआईबी ने निर्धारित समय में एक भी निवास इकाई को पूर्ण नहीं किया ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवासीय परियोजनाएं

सीएसएमसी ने डीडीए के द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ₹ 196.06 करोड़ लागत की 4740 निवास इकाईयों के लिए परियोजना की मंजूरी दी । डीडीए ने परियोजना की मंजूरी दी । डीडीए ने परियोजना को पाँच भागों में बाँट दिया एवं केवल जून 2010 में अर्थात् सीएसएमसी से अनुमोदन के 30 महीने बाद ₹ 176.45 करोड़ की निविदाकृत राशि पर 4060 निवास इकाईयों के लिए चार संविदाओं के निर्माण कार्य को सौंपा नहीं जा सका क्योंकि इन इकाईयों के लिए भू-सीमा निर्धारण का न्यायालय में मुकदमा चल रहा था । लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला किः

- मिशन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डीडीए ने प्रत्येक संविदा के लिए 30 महीने का समय दिया एवं 31 मई 2012 तक लागत वृद्धि के कारण ₹ 5.33 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया था जबकि निर्माण कार्य अभी पूरा किया जाना शेष था ।
- डीडीए ने 4740 निवास इकाईयों के लिए अनुमोदित ₹ 196.06 करोड़ के विरूद्ध ₹ 176.45 करोड़ की 4060 निवास इकाईयों हेतु निर्माण कार्य को सौंपा जबकि शेष 680 निवास इकाईयों के लिए ₹ 19.61 करोड़ छोड़ा गया । शेष निवास इकाईयों की कुल लागत कम से कम ₹ 29.55 करोड़ है । उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार लादा गया।

(घ) एनडीएमसी के द्वारा आवासीय परियोजनाएं

सीएसएमसी (जून 2011) ने एनडीएमसी के द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ₹ 21.89 करोड़ के लिए 240 निवास इकाईयों की एक परियोजना को मंजूरी दी जबकि जून 2012 तक कार्य को अवॉर्ड नहीं किया गया ।

(ङ.) बीएसयूपी के उद्देश्यों का परिणामी निर्धारण

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 110584 निवास इकाईयों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था जिसमें से 44720 निवास इकाईयों के निर्माण को इसके द्वारा बाधामुक्त स्थल उपलब्ध न करा पाने के कारण रोक दिया गया । डीयूएसआईबी की निष्क्रियता के कारण 1200 निवास इकाईयों हेतु एक परियोजना को रोक दिया गया । जबकि 20340 निवास इकाईयों हेतु निर्माण को राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के गैर-अनुपालन के कारण बीच में ही रोक दिया गया । 23860 निवास इकाईयों का निर्माण प्रगति पर था एवं सीएसएमसी के द्वारा अनुमोदित 109518 निवास इकाईयों में से केवल 10684 निवास इकाईयों के निर्माण कार्य को पूरा किया जा सका । विभिन्न एजेंसियों के द्वारा निवास इकाईयों के निर्माण की स्थिति **तालिका 2.9** में दी गई है:

तालिका 2.9 : निवास इकाईयों के निर्माण की स्थिति

एजेन्सी	अनुमोदित निवास इकाई	रोक दी गई निवास इकाईयाँ	रोकी गई निवास इकाईयाँ	निवास इकाईयों में प्रगति	पूर्ण की गई निवास इकाईयाँ	सौंपे जाने वाली निवास इकाईयाँ
डीएसआईआईडीसी	81528	40048	-	19800	9660	12020
डीयूएसआईबी	24076	5872	9780	Nil	1024	7400
डीडीए	4740	-	-	4060	-	680
एनडीएमसी	240	-	-		-	240
कुल	**110584**	**45920**	**9780**	**23860**	**10684**	**20340**

हालाँकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मलिनवास निवासियों को सम्पूर्ण अवधि में केवल 85 निवास इकाईयों को आबंटन किया जा सका ।

सीएसएमसी की 42 वीं दौर की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि बीएसयूपी के अधीन लक्ष्यों एवं परिव्यय का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को आबंटित किया जाएगा एवं विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी परन्तु रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई ।

(च) निम्न लागत की निवास इकाईयों के आबंटननीति को अंतिम रूप देने में विलम्ब

यद्यपि जेएनएनयूआरएम वर्ष 2006 में आरम्भ किया गया जबकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2010 में निम्न लागत की निवास इकाईयों के आबंटन के लिए नीति एवं पात्रता कसौटी को अंतिम रूप दिया तथा जनवरी 2011 में इसका संशोधन किया गया ।

(छ) निवास इकाईयों के आबंटन में डीयूएसआईबी की भूमिका का विवेचनात्मक विश्लेषण

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (फरवरी 2010) ने डीयूएसआईबी को जेएनएनयूआरएम के अधीन निर्मित निवास इकाईयों को शहरी गरीबों के लिए आबंटन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया था । डीयूएसआईबी को योजना के लाभार्थियों की पहचान एवं उनके दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य भी सौंपा गया जबकि डीयूएसआईबी के पास न तो कोई मानव शक्ति न ही विशेषज्ञता /क्रियाविधि थी जो इस अत्यन्त कठिन कार्य को पूरा कर सके ।
- डीयूएसआईबी चिन्हित मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को छोड़कर अन्य शहरी गरीबों को पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू नही की है ।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने ₹ 60,000 प्रति निवास इकाई लाभार्थी अंश निर्धारित किया था तथा डीयूएसआईबी को राज्य अवसंरचना विकास निधि के नाम से एक अलग से निधि बनाने का निर्देश दिया था जिसमें लाभार्थी अंश जमा किया जाना था । डीयूएसआईबी ने इस प्रकार की कोई निधि नहीं बनायी ।
- डीयूएसआईबी ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को ₹ 310 प्रतिमाह की अनुज्ञति शुल्क के आधार पर 85 निवास इकाईयों का 15 वर्षों के लिए किया परन्तु अब तक शुल्क की राशि की वसूली नहीं कर पाया था ।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने यह निर्णय (फरवरी 2010) किया कि भूमि की देनदार एजेंसी को ₹ 93000 प्रति निवास इकाई की दर पर निवास इकाईयों की लागत का हिस्सा देना था एवं इस हिस्से को रखने के लिए डीयूएसआईबी को एक अलग से खाता बनाना चाहिए था । डीयूएसआईबी ने एक अलग से खाता बनाने के बजाय ₹ 9.60 करोड़ को अपने पास रखा जो 14 फरवरी 2012 तक भूमिदार एजेंसियों से इसके नियमित खाते में प्राप्त होता रहा ।
- डीयूएसआईबी अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाया था कि आबंटितियों एवं भूमि देनदार एजेंसियों से प्राप्त निधियों को किस प्रकार उपयोग में लाया जाए ।

डीयूएसआईबी (जुलाई 2012) ने कहा कि मानवशक्ति, विशेषज्ञता एवं क्रियाविधि की कमी के बावजूद उसने योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए प्रयत्न किया । इसने आगे यह कहा कि विभाग के द्वारा प्रथामिकता प्राप्त समूहों

में भूमि की देनदार एजेंसियों के निवेदन पर कार्यवाही करने के अलावा इसके पास सभी जेजे समूहों को पुनर्निधारित करने को कोई उद्देश्य नहीं था । इसके जवाब से यह स्पष्ट है कि बीएसयूपी के अधीन परियोजनाएं एवं बीएसयूपी के अधीन निर्मित निवास इकाईयों के आबंटन का कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा डीयूएसआईबी को बिना इसकी क्षमता जाँचे सौंपा गया ।

2.2.8 यूआईजी के अधीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने मुख्यतः सड़कों/फ्लाईओवरों/पुलों पर सड़क/जलापूर्ति एवं मल निकास व्यवस्था से संबंधित यूआईजी उप-मिशनों के अधीन ₹ 8007.68 करोड़ (अनुलग्नक 2.5) की 30 परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त किया । इनमें से पाँच परियोजनाओं को बंद कर दिया गया क्योंकि यूटीटीपीईसी ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी एमसीडी एवं डीएमआरसी दोनों की अलग-अलग परियोजना अभी तक शुरू नहीं की गई थी । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के द्वारा आरंभ की गई । 25 यूआईजी परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं संवीक्षा के लिए चयनित की गई **(अनुलग्नक 2.6)** । इन निर्माण कार्यों के लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है ।

2.2.8.1 डीटीटीडीसी के अधीन परियोजना

(क) पुल का निर्माण एवं वजीराबाद में स्थित यमुना नदी में इसका प्रवेश केबिल के सहारे मुख्य पुल का निर्माण

यमुना पार क्षेत्र की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण नहीं के पश्चिम किनारे पर स्थित राष्ट्रीयराजमार्ग-1 (सड़क संख्या 59) को जोड़ने के लिए वजीराबाद में विद्यमान पुल के साथ बाँध की अनुप्रवाह पर एक नए पुल का निर्माण प्रस्तावित था । लोक निर्माण कार्य विभाग ने अप्रैल 2004 में इस डीटीटीडीसी को निक्षेप निर्माण कार्य के रूप में सौंपा जिसके लिए ₹ 1131 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति को मंजूरी दी गई । डीटीटीडीसी ने निर्माण कार्य को दो पैकेजों में सौंपा जिसमें से एक को मुख्य केबिल के सहारे पुल के निर्माण के लिए और जबकि दूसरे, इस पर पहुँचने के लिए सड़क के निर्माण के लिए । सेवाओं का स्थानान्तरण, कार्यालय भवन के निर्माण आदि के लिए कुछ लघु संविदाएँ भी सौंपी गई ।

(ख) बजट प्राक्कलन एवं निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी के कारण प्राक्कलन में ₹ 672 करोड़ की वृद्धि

प्राथमिक आकलन की तैयारी से लेकर मुख्य पुल के निर्माण कार्य को सौंपे जाने तक की घटना एवं इसके प्रवेश का विशिष्ट वर्णन तालिका 2.10 में दिया गया है

तालिका 2.10 : घटनाओं का तिथिवार वर्णन

क्र.सं.	महीना एवं वर्ष	घटनाएं
1	मई 2005	डीटीटीडीसी ने प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति हेतु ₹ 544 करोड़ (संशोधित ₹ 464 करोड़ के प्राथमिक आकलन सौंपा
2	जून 2005	पुल की रूप रेखा बदलकर अंतिम रूप दिया गया ।
3	मार्च 2006	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने ₹ 459 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृत का अनुमोदन किया था ।
4	नवम्बर 2006	(i) डीटीटीडीसी ने आरम्भिक रूपरेखा पर आधारित ₹ 421 करोड़ के पुल की पूर्व निर्धारित रूपरेखा की अनुमानित लागत पर पुलों एवं उनके अभिगमन हेतु संयुक्त निविदा आमंत्रित किया । (ii) ₹ 845 करोड़ की न्यूतनम निविदा प्राप्त हुई ।
5	मई 2007	डीटीटीडीसी ने सरकार को ₹ 993.11 करोड़ का संशोधित आकलन प्रस्तुत किया था मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव की मंजूरी नही दी ।
6	अक्टूबर 2007	डीटीटीडीसी ने ₹ 887.29 करोड़ का संशोधित प्राथमिक आकलन प्रस्तुत किया था ।
7	जनवरी 2008	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने ₹ 887.29 करोड़ के संशाधित प्राथमिक आकलन को मंजूरी दी ।
8	मई 2008	डीटीटीसी ने गैमान इण्डिया लिमिटेड को प्राथमिक आकलन में ₹ 322.56 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹ 348.90 करोड़ पर 'अभिगमन' निर्माण को सौंपा था ।
9	अगस्त 2008	डीटीटीडीसी ने मुख्य पुल के लिए अक्टूबर ₹ 372.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर निविदा आमंत्रित की गई । ₹ 697.87 करोड़ न्यूनतम निविदा की प्राप्त हुई । निविदाएं रद्द कर दी गई थी ।
10	मार्च 2009	डीटीटीडीसी ने ₹ 1196.40 करोड़ का संशोधित प्राथमिक आकलन प्रस्तुत किया और निविदाओं पुनःआमंत्रित की गई । न्यूनतम निविदा की राशि ₹ 631.81 करोड़ थी ।
11	अक्टूबर 2009	वास्तविक निविदा राशि के आधार पर प्राथमिक आकलन को फिर से संशोधित करके ₹ 1185.00 करोड़ कर दिया गया था ।
12	फरवरी 2010	₹ 1131.00 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति का अनुमोदन किया गया ।
13	फरवरी 2010	मैसर्स कॉन्स्ट्रूटोरा सिडाडे-टेनससिआई (जेवी) को मुख्य पुल के लिए ₹ 631.81 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य सौंपा गया था ।

इस प्रकार डीटीटीडीसी ने आकलनों को मई 2005 एवं अक्टूबर 2009 के बीच 6 बार संशोधित किया था एवं निर्माण कार्य को सौंपने मे लगभग 6 वर्ष लगाए । डीटीटीडीसी ने ₹ 887.29 करोड़ (जनवरी 2008) के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की मंजूरी प्राप्त किया परन्तु मुख्य पुल के लिए निविदाओं (अक्टूबर 2008) को आमंत्रित करने में 8 महीने का समय लगा उसके बाद निविदा को रद्द करने में तीन महीने लग गए एवं ₹ 1185.00 करोड़ के लिए संशोधित प्राथमिक आकलन प्रस्तुत करने में और 3 महीने लगे । पहली बार में ही

अर्थात् नवम्बर 2006 में डीटीटीडीसी पुल की संशोधित रूपरेखा के आधार पर प्राथमिक आकलन तैयार एवं प्रस्तुत करता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था तथा उसके बाद निविदा प्रक्रिया को आगे बढाना चाहिए था ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के द्वार निर्णय लेने में देरी के कारण भी परियोजना की अनुमानित लागत बढ़ गई थी क्योंकि इसने मई 2007 में ₹ 993.11 करोड़ के लिए संशोधित प्राथमिक आकलन को रद्द कर दिया था जबकि उद्घृत राशि केवल ₹ 845.97 करोड़ थी, परन्तु इसे फरवरी 2010 में उसी परियोजना के लिए ₹ 1131.00 करोड़ की लागत अनुमोदित करना पड़ा था । इस प्रकार प्रबंधन में डीटीटीडीसी की असफलता के कारण मार्च 2006 में परियोजना की अनुमानित लागत जो कि ₹ 459.00 करोड़ थी से बढ़कर फरवरी 2010 में उसी परियोजना के लिए ₹ 1131.00 करोड़ की लागत का अनुमोदन करना पड़ा था । इस प्रकार घटनाओं के प्रबंधन में डीटीटीडीसी को असफलता के कारण मार्च 2006 में परियोजना की अनुमानित लागत जो कि ₹ 459.00 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2010 में ₹ 672 करोड़ की वृद्धि से ₹ 1131.00 हो गई । इसके अतिरिक्त इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए अब दिसम्बर 2013 नियत किया गया ।

डीटीटीडीसी ने इसके प्रत्युत्तर (जनवरी 2012) में कहा कि इसकी लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण सामग्री की कीमत में वृद्धि एवं विदेशी विनिमय था । उनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लागत वृद्धि का कारण डीटीटीडीसी के द्वारा घटनाओं का समय पर एवं प्रभावी प्रबंधन न होना था ।

(ग) करार की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन

डेक एवं पाइलोन के लिए संरचनात्मक इस्पात की ढ़लाई एवं पुरजों को जोड़ने का कार्य समझौते में विनिर्दिष्ट तीन भारतीय निर्माण कारखानों में किसी भी एक के द्वारा पूरा किया जाना था अथवा इंजीनियर-इन-चार्ज/प्रभारी अभियंता के द्वारा अनुमोदित उसके समतुल्य कारखानों के द्वारा किया जाना था । तथापि पाया गया कि:

(अ) ठेकेदार समझौते की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रभारी अभियंता से बिना औपचारिक अनुमोदन के ढ़लाई का कार्य चीन में करवा रहा था ।

(ब) समझौते में एक अन्य शर्त यह भी थी कि चार चयनित भारतीय फर्मों में से किसी एक के द्वारा निर्मित संरचनात्मक इस्पात का उपयोग करना था। हालाँकि डेक एवं पाइलोन के लिए इस्पात की खरीद चीन से की जा रही थी, और

(स) पुल में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की सुनिश्चत की प्राथमिक जिम्मेदारी डीटीटीडीसी की थी परन्तु इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चीन में किए जा रहे ढ़लाई कार्यों हेतु डीटीटीडीसी के पास अपनी कोई कार्य प्रणाली नहीं थी ।

डीटीटीडीसी (जनवरी 2010) ने कहा कि लेखापरीक्षा का यह निष्कर्ष था की ढ़लाई कार्य के लिए केवल भारतीय कारखाने लगाए जाने थे गलत था और आगे कहा कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से ठेकेदार के द्वारा एक फर्म को सामग्री की गुणवत्ता एवं चीन में किए जा रहे ढ़लाई कार्य के लिए लगाया गया था । उपरोक्त फर्म डीटीटीडीसी को सीधे प्रतिवेदन करती थी । डीटीटीडीसी ने आगे कहा (जुलाई 2012) कि ठेकेदार ने एनआईटी में चयनित किसी फर्म का प्रस्ताव नहीं किया था । संरचनात्मक परामर्शदाता के द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी की जानी थी ।

इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदन प्राप्त ढ़लाई का कार्य करने वाली फर्मों का नाम एनआईटीएवं समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था तथा ये सभी भारतीय थीं । डीटीटीडीसी (20 जुलाई 2012) के प्रत्युत्तर से स्पष्ट है कि ठेकेदार ने चीनी फर्म का नाम प्रस्तावित किया था एवं वह परामदर्शदाता के द्वारा स्वीकार्य किया जाना था जो कि एक निजी परामर्शदाता था । गुणवत्ता नियंत्रण फर्म को ठेकेदार ने ही लगाया था । अतः इसके द्वारा डीटीटीडीसी के लिए स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करना संभव नहीं था । चीन से इस्पात की खरीद के विषय/मुद्दों पर इनका कोई जबाव नहीं था ।

(घ) ठेकेदार को ₹ 20.60 करोड़ अप्राधिकृत एवं अनियमित रूप से जारी किया

के.लो.नि.वि. के निर्माण कार्य नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए डीटीटीडीसी ने मई 2012 तक इस सामग्री जिसकी चीन में खरीद एवं भण्डारण की गई थी के लिए प्रतिभूति अग्रिम के रूप में ठेकेदार को ₹ 20.60 करोड़ जारी किया था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य स्थल पर सामग्री नहीं लायी गई थी,

(ii) डीटीटीडीसी ने चीन में खरीदी गई सामग्री की खरीद, उपलब्धता, मात्रा आवश्यकता एवं लागत का सत्यापन नहीं किया गया था ।

(iii) ठेकेदार के, साथ सामग्री पर सरकार का ग्रहणाधिकार सुरक्षित रखने हेतु अपेक्षित समझौता भी नहीं हो पाया था ।

डीटीटीडीसी (अगस्त 2012) में कहा कि ठेकेदार को, किया गया भुगतान समझौते की धारा के अनुरूप था । इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रतिभूत अग्रिम प्रदान करने हेतु नियमवाली का प्रावधान सभी प्रकार के ठेकों पर लागू होता है ।

(ड.) संहिता की औपचारिकताओं के बिना पूरा किए परामर्शदाता को ₹ 5.99 करोड़ का निर्माण कार्य सौंपा गया

(i) मुख्य पुल के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए डीटीटीडीसी (अक्टूबर 2005) ने केवल मैसर्स शैलैक वर्गमैन एण्ड पार्टनर (एसबीपी) जर्मनी को यह

निवेदन करते हुए अपना प्रस्ताव भेजा कि वे अपनी वित्तीय एवं तकनीकी बोली इस कार्य के लिए भेजी । डीटीटीडीसी (दिसम्बर 2005) ने ₹ 5.99 करोड़ के निर्माण कार्य को फर्म को सौंपा । निविदा आमंत्रित किए बिना कार्य सौंपा जाना प्रचलित नियमों के विरूद्ध था । विभाग (अगस्त 2012) ने कहा कि चूँकि एसबीपी भारतीय वातावरण से भली-भाँति परिचित भी एवं कोलकाता में एक पुल की प्रमुख डिजाइनर थी, इसलिए इन्हें कार्य सौंपा गया, इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना निविदा प्रक्रिया शुरू किए निर्माण कार्य को सौंपा जाना-याथोचित नहीं था ।

(ii) यह भी पाया गया कि डीटीटीडीसी ने एसबीपी को कॉन्स्ट्रमा कन्सल्टैन्सी प्राइवेट, मुम्बई (सीसीपीएल) के साथ संयुक्त वेंचर (उद्यम) बनाने की अनुमति प्रदान किया था । बोली के दस्तावेजों तथा एसपीबी एवं सीसीपीएल के बीच हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन पत्रों के अनुसार एसबीपी को प्रमुख परामर्शदाता के कार्यों की निगरानी करना था और डीटीटीडीसी के द्वारा केवल एसपीबीको ही भुगतान किया जाना था । हालाँकि यह पाया गया कि डेक के स्तर से नीचे के सभी घटकों का नक्शा एवं रूपरेखा सीसीपीएल के द्वारा एसबीपी से बिना अनुमोदन प्राप्त किए ही सीधे डीटीटीडीसी को प्रस्तुत किया गया या तथा डीटीटीडीसी से सीसीपीएल को मार्च 2012 तक भुगतान करना जारी रखा था । तथा इसने सीधे सीसीपीएल को उसके कार्यों के लिए ₹ 1.54 करोड़ का भुगतान किया ।

इसके प्रत्युत्तर में डीटीटीडीसी (अगस्त 2012) ने कहा कि यह सही था कि मुख्य पुल की रूपरेखा हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए एसबीपी से पूछा गया था । बोली दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार बोली को एसबीपी एवं सीसीपीएल के संयुक्त उद्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें संयुक्त उद्यम को अनुमति प्रदान की गई थी । संयुक्त उद्यम के दोनों साझेदार योग्यता मापदण्डों के अर्हक है । इनके प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट है कि परामर्शी सेवाओं के लिए निर्माण कार्य एक भारतीय फर्म को भी सौंपा गया था जिससे संबंधित जानकारियों को सत्यापित नहीं किया गया था तथा निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित नहीं किया गया था ।

(च) मूल्य में वृद्धि (परिवर्तन) के नाम पर ठेकेदार को ₹ 4 करोड़ का अनियमित अदेय भुगतान

समझौते अनुसार सामग्री के मूल्य में परिवर्तन के कारण भुगतान के लिए निर्माण कार्य नियमावली की धारा 10सीए लागू हो गई है । भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर तय किए गए मूल्य सूचकांकों के आधार पर महानिदेशक (लोक निर्माण), लो.नि.वि. के द्वारा सीमेंट एवं इस्पात के लिए धारा 10सीए के अधीन जारी किए गए सूचांक के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाना था । हालाँकि यह पाया गया कि डीटीटीडीसी ने महानिदेशक (निर्माण कार्य) के द्वारा तय किए गए मूल्य सूचांक के आधार पर चीन में ठेकेदार द्वारा खरीदी गई सामग्री

के लिए ₹ 4 करोड़ का भुगतान किया । चुँकि महानिदेशक (निर्माण कार्य) के.लो.नि.वि. अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित मूल्यसूचकांक चीन में लागू नहीं है इसलिए मूल्यपरिवर्तन के लिए ₹ 4 करोड़ का भुगतान अनियमित था ।

डीटीटीडीसी (अगस्त 2012) ने कहा कि सामग्री की खरीद कहीं से भी की जा सकती थी तथा यह केवल निर्माण स्थल तक सीमित नहीं है । विभिन्न सामग्रियों की खरीद विभिन्न स्थानों से हो सकती थी । चुँकि निर्माण स्थल दिल्ली में है इसलिए महानिदेशक (निर्माण) के.लो.नि.वि. के प्राधिकार के अधीन जारी आधार मूल्य एवं मूल्य सूचकांक की अनुसूची एफ के अंतर्गत लिया गया दिल्ली के लिए लागू है । इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौते की अनुसूची एफ के अनुसार सामग्री की खरीद समझौते में उल्लिखित फर्म से की जानी थी एवं उनका मूल्य दिल्ली में प्रचलित मूल्य सूचकांक पर आधारित था ।

2.2.8.2 मुख्य पुल के लिए अभिगम का निर्माण

(अ) खुली निविदा आमंत्रित किए बिना संविदा को सौंपा जाना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अभिगमन के निर्माण कार्य के लिए डीटीटीडीसी ने ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक की लागत वाले निर्माण कार्य हेतु लो.नि.वि. द्वारा चयनित 10 एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किया था । डीटीटीडीसी ने बोली के दस्तावेजों में एक अतिरिक्त शर्तयह भी जोड़ा कि बोली कर्ताओं को फ्लाईओवर/पुल/नगरीय परिवहन संरचना में से कम से कम एक निर्माण कार्य पूर्व निर्मित खण्डीय तकनीक से किया हो । जबकि पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने निर्माण कार्य नारायना स्थित फ्लाईओवर के लिए पूर्वनिर्मित खण्डीय तकनीकी का उपयोग करने की शर्त रखे बिना ही निविदा आमंत्रित किया था । इस कार्य को मैसर्स गैमॉन को ₹ 348 करोड़ की निविदाकृत लागत पर सौंपा (मई 2008) गया था जो कि न्यायसंगत लागत से ₹ 26 करोड़ अधिक एवं अनुमानित लागत से ₹ 74 करोड़ ज्यादा थी इन दोनों की गणना डीटीटीडीसी के द्वारा ठेकेदार के लाभ एवं उपरिव्यय के रूप में 37.5 *प्रतिशत* की राशि जोड़ने के बाद की गई थी । इस प्रकार बिना खुली निविदा के निर्माण कार्य को सौंपना अनियमित था तथा सरकार अन्य के द्वारा प्रतिस्पर्धी दर से निविदा प्राप्त करने से वंचित रह गई ।

(ब) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार पर ₹ 78.61 लाख का अनावश्यक भार

समझौते के अनुसार ठेकेदार ने डीटीटीडीसी के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को निर्माण कार्य स्थल पर 18 कमरे निःशुल्क में उपलब्ध कराये थे, तथापि यह पाया गया कि डीटीटीडीसी ने दिल्ली में स्थिति मजनू के टीले पर एक कार्यालय भवन के निर्माण पर ₹ 78.61 लाख खर्च किया तथा इस पर खर्च मुख्य निर्माण कार्य में से ही निकाल दिया गया ।

इसके प्रत्युत्तर में डीटीटीडीसी (जनवरी 2012) ने कहा कि कार्यालय भवन का निर्माण परियोजना के केन्द्रीयकृत समन्वय एवं अभिलेखों के रख-रखाव के लिए किया गया था ।

इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू के अनुसार केवल ₹ 10 लाख डीटीटीडीसी को कार्यालय भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये थे जिसका आकस्मिकताओं के विरूद्ध समायोजन किया जाना था ।

(स) अन्य अनियमितताएं

- डीटीटीडीसी ने माल रोड़ स्थित लो.नि.वि. के कार्यपालक अभियंता के लिए कार्यालय भवन के निर्माण पर ₹ 49.66 लाख के अनियमित व्यय का भार उठाया तथा इस व्यय को मुख्य निर्माण कार्य से प्रभारित किया गया ।
- डीटीटीडीसी ने **अनुलग्नक 3** में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को निर्माण कार्य 'अभिगम का निर्माण' के लिए चालू खाता बिलों (31मई 2012 तक 48 बिलों) के माध्यम से ₹ 225.62 करोड़ का भुगतान किया था जबकि भुगतान निर्माण कार्य के 13 चरणों पर ही किया जाना था । इसी प्रकार डीटीटीडीसी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को निर्माण कार्य 'मुख्य केबिल के सहारे पुल' के लिए 29 चालू खाता बिलों के माध्यम से ₹ 50 करोड़ का भुगतान किया था जिसमें भुगतान केवल 8 चरणों में किया जाना था ।

 डीटीटीडीसी (जनवरी 2012) ने कहा कि वर्तमान मामले में निर्धारित एक मुश्त ठेके के बदले में संशोधित के.लो.नि.वि. प्रपत्र सं.12 का प्रयोग किया गया था इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य को डीटीटीडीसी को इस शर्त के साथ सौंपा गया था कि इसे के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली का पालन करना है ।

2.2.8.3 नन्द नगरी के पास स्थित सड़क सं.68 के पास रेलवे लेवल क्रोसिंग पर पुल के नीचे एवं पुल के ऊपर सड़क का निर्माण

डीटीटीडीसी ने नन्द नगरी के पास स्थित सड़क सं. 68 के पास रेलवे समपार पर पुल के नीचे (आरओयू) एवं पुल के ऊपर (आरओबी) सड़क का निर्माण किया था । यह निर्माण कार्य रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लो.नि.वि. के निक्षेप कार्य के रूप में किया गया था ।

(अ) सड़क के निर्माण में ₹ 70 लाख का अतिरिक्त व्यय

एमओआरटीएच (मोर्य) विनिर्देशन की धारा 2702.1.2 में उपबंध है कि सड़क एवं पुलों के लिए केवल 50 मिमी मोटी डीबीसी धारणी (टिकाऊपन) आवरण के रूप में होनी चाहिए इस्पात के गरडरों पर टिका हुआ फ्लाईओवर का डेक (छत) साँचे में टली हुई आरसीसी सिलापट्टी का बना हुआ था । अनुमोदित नक्शा के

अनुसार डेक की टिकाऊ जल अवरोधक झिल्ली एवं 50 मिमी चौडी बिटूमिन कंक्रीट से निर्मित किया जाना था । हालाँकि यह पाया गया कि डीटीटीडीसी ने आरसीसी डेक सिलपट्टी पर 75 मिमी मोटी सघन बिटूमिन मैकाडम (डीबीएम) की आधार जलनलिका का प्रबंध किया जिसमें 50 मिमी मोटी सघन बिटुमिन कंक्रीट की एक परत जल अवरोधक झिल्ली के ऊपर टिकाऊ के रूप में थी । इस प्रकार फ्लाईओवर के फर्श पर अधिक डीबीएम पर ₹ 70 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

डीटीटीडीसी (जनवरी 2012) ने कहा कि केवल बीसी के साथ सही ढ़ाल/स्तर/ प्रत्येक बिन्दु पर वक्रता संभव न होने के कारण रूपरेखा संशोधन हेतु डीबीएम का प्रबंध किया गया था । इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस्पात गरडर में अनुमोदित नक्शों के अनुसार आवश्यक ढाल/उभार का प्रबंध किया गया था इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो नक्शा में परिवर्तन न ही डीबीएम उपलब्ध कराने हेतु न अतिरिक्त मदों का अनुमोदन किया गया था ।

(ब) ₹ 69.72 लाख का अप्राधिकृत व्यय

एमओयू के सामान्य उपबंधों के अनुसार निर्माण कार्य के लिए परामर्श की लागत डीटीटीडीसी के द्वारा वहन किया जाना था । हालांकि यह पाया गया कि डीटीटीडीसी के द्वारा मई 2012 तक स्थापत्य संबंधी परामर्श कार्य हेतु ₹ 69.72 लाख का भुगतान किया गया था । एवं यह खर्च की गई राशि मुख्य निर्माण कार्य के व्यय संस्वीकृति पर प्रभारित थी । यह एमओयू का उल्लघंन था एवं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.72 लाख का अप्राधिकृत व्यय हुआ ।

डी.टी.टी.डी.सी. ने कहा (जनवरी 2012) कि प्र.अ. एवं अ.सं. में परामर्श कार्य का कोई प्रावधान था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्र.अ. एवं अ.सं. के अनुमोदन के पश्चात एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था ।

2.2.8.4 (i) अफ्रीका एवेन्यू, अरूणा आसफ अली रोड़ एव (ii) विवेकानंद मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने तीन फ्लाईओवरों, चार अंडरपासों, पाँच एफ ओ बी एवं नौ सबवे को अनुमोदन प्रदान किया जिससे आई आई टी से रा.रा.-8 तक कॉरीडोर पर इंटरसेक्शन को सिग्नलमुक्त बनाया जा सके । इस परियोजना पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्न प्रकार हैः

(अ) कार्य के स्कोप में अनाधिकृत कमी से ₹ 35.03 करोड़ का अनियमित व्यय

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने ₹ 246.54 करोड़ के तीन अनुमानों को संस्वीकृति दी, जैसा कि **तालिका 2.11** में दिया गया हैः

तालिका 2.11: परियोजना की संस्वीकृति का विघटन

(₹ करोड़ में)

9 सबवे एवं 4 अंडरपास	5 एफ ओ बी	3 फ्लाईओवर, सड़क को चौड़ा करना एवं अन्य सहायक कार्य	वैद्युत	विविध शीर्ष	कुल
48.71	4.58	150.63	16.17	26.45	246.54

कार्यकारी अभियंता (ईई), एफ-112 ने तीन फ्लाईओवरों, नौ सबवे एवं चार अंडरपासों के निर्माण का कार्य सौपा था (मई 2007) ।

कार्य के स्कोप को इस सीमा तक घटाया गया कि किसी सबवे अथवा अंडरपास का निर्माण नहीं किया जा सका, किंतु घटाए गए कार्य के स्कोप हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी । ईई ने कहा कि स्थान बाधा के कारण अंडरपास एवं सबवे का निर्माण नहीं किया जा सका था ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने संपूर्ण परियोजना हेतु ₹ 246.54 करोड़ की संस्वीकृति दी थी। इसमें सबवे, अंडरपास, वर्षाजल संरक्षण एवं एफ ओ बी हेतु ₹ 54.19 करोड़ शामिल था। चूंकि सबवे, अंडरपास तथा वर्षाजल संरक्षण के प्रबंध का निर्माण नही हो पाया, केवल ₹ 196.93 करोड़ फ्लाईओवर एवं अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध था। किंतु मई 2012 तक ₹ 225.28 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था तथा ₹ 6.68 करोड़ की निविदा लागत पर चार एफ ओ बी के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। यह दर्शाता है कि निर्मित मदों के लिए ₹ 196.63 करोड़ के संगत प्रावधानों के प्रति लो.नि.वि. ने मई 2012 तक ₹ 225.28 करोड़ का व्यय किया था, जिस कारण ₹ 35.03 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

लो.नि.वि. ने कहा (जनवरी 2012) कि निर्माण स्थल पर विद्यमान सेवाओं के कारण, अंडरपास एवं सबवे निर्मित नहीं किए जा सके एवं इन परिवर्तनों के संबंध में यूटीटीआईपीईसी*। को सूचित किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ले.नि.वि. ने कार्य के स्कोप में कमी के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया होगा ।

(ब) कार्य के पूरे होने में देरी के कारण अर्थदंड की गैर उगाही

₹ 234 करोड़ के पूरे कार्य को कुल 519 दिन दिए गए थे । यद्यपि, कार्य सौपें जाने के बाद कार्य के स्कोप को ₹ 49 करोड़ से घटा दिया गया था । उसी अनुपात में, कार्य पूरा किए जाने के समय को भी घटाकर केवल 411 दिन किया जाना चाहिए था, लेकिन परियोजना प्रबंधक ने घटे हुए कार्य के स्कोप पर कार्य की समय सीमा में कमी नहीं की एवं बगैर अर्थदंड़ के 604 दिनों का समयविस्तार

* एकीकृत यातायात एवं परिवहन अवसंरचना (प्लानिंग एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र

दिया। इस कारण ठेकेदार इस अवधि के लिए भी मुल्य वृद्धि के भुगतान हेतु पात्र हो गया।

लो.नि.वि. ने कहा (जुलाई 2012) कि परियोजना प्रबंधक एफ-11 द्वारा बाधाओं की विस्तृत संवीक्षा के बाद समय विस्तार के मामलों को अंतिम रूप दिया गया और के.लो.नि.वि. मैनुअल एवं अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार वह पूर्णतः सक्षम था। यद्यपि, घटे हुए कार्य क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट समय को घटाए नहीं जाने पर कोई उत्तर नहीं था।

(स) ₹ 4.19 करोड़ का अनुचित लेखाकरण

अनुमोदित पू.व्य. में, व्यय के शीर्ष एवं कार्य की मदों के लिए आबंटन स्पष्ट रूप से तय की गई थी। विविध व्ययों हेतु इसमें कोई शीर्ष नहीं था। किंतु व्यय की विवरणी में, ₹ 4.19 करोड़ के व्यय को विविध व्यय के रूप में दिखाया गया, जिसमें कार्य की समाप्ति की वास्तविक तिथि के बाद दर्ज ₹ 1.70 करोड़ शामिल है। चूँकि ₹ 4.19 करोड़ के विविध व्यय का कोई विवरण लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इस राशि के उचित उपयोग की जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कार्य की समाप्ति के बाद ₹ 7.24 लाख, वाहनों को किराए पर लिए जाने के लिए दर्ज किए गए। का.अ. ने कहा (जून 2012) कि परीक्षण प्रभारों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों, चपरासी, डाक संदेशवाहक, टेलीफोन इत्यादि पर किये गये व्यय, को आकस्मिक व्यय मानना चाहिए । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये सभी कार्यालय आकस्मिकता के मद के थे एवं कार्य आकस्मिकता के मद के नहीं थे ।

2.2.8.5 अप्सरा बॉर्डर के नजदीक, जीटी रोड़ एवं रोड़ संख्या 56, के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण

अप्सरा बॉर्डर पर जी टी रोड़ एवं रोड संख्या-56 का जंक्शन आई एस बी टी, कश्मीरी गेट एवं गाजियाबाद के मध्य मुख्य लिंक है । इस क्रॉसिंग पर ग्रेड सेपरेटर की व्यवस्था कर जंक्शन को सिग्नलमुक्त बनाए जाने की आवश्यकता है । इस परियोजना के अंतर्गत जी.टी.रोड पर फ्लाईओवर, रोड संख्या 62-56 पर अंडरपास, दायें मुडने के लिए धरातल घूर्णक, स्लिप रोड एवं तीन एफ ओ बी की योजना थी ।

(अ) अविवेकी निर्णय के कारण ₹ 1 करोड़ का भुगतान

अप्सरा बॉर्डर पर एक अंडरपास के निर्माण के लिए 248 मृदा स्थिरक (अनुबंध दर ₹ 1.25 लाख प्रति नग) का प्रावधान था । यद्यपि, कुल 761 मृदा स्थिरक प्रयुक्त हुए लेकिन मात्रा में तीन गुणा वृद्धि का कोई न्यायोचित कारण दर्ज नहीं किया गया । अनुबंध की धारा 12.2 की सूची-एफ के अनुसार, उपसंरचना के लिए मात्रा में 30 प्रतिशत तक एवं आधार मदों में 100 *प्रतिशत* तक विचलन पर

अनुबंध की दरें लागू होंगी । लो.नि.वि.ने 457 स्थिरकों के लिए अनुबंध की दरों पर एवं 304 स्थिरको के लिए बाजार दर पर भुगतान किया । लो.नि.वि. द्वारा एक भूमि स्थिरक के लिए बाजार दर ₹ 50028 तय की गई, जो कि अनुबंध दर से ₹ 74972 कम थी । यह भी देखा गया कि 25 वें आर ए बिल तक मृदा स्थिरक को आधार मद में नहीं माना गया था किंतु ठेकेदार की मांग पर, विभाग ने इस मद को बिना कोई कारण बताए 26 वें आर.ए. बिल में आंशिक रूप से आधार मद तथा आंशिक रूप से गैर-आधार मद माना। चूँकि मृदा स्थिरक आधार मदें नहीं थी, ठेकेदार केवल 323 स्थिरकों का अनुबंध की दर पर तथा शेष 438 स्थिरकों का बाजार दर पर भुगतान प्राप्त करने का हकदार था । इस प्रकार, अनुबंध की दर पर 323 स्थिरकों के प्रति 457 स्थिरकों के भुगतान के विभाग के अविवेकी निर्णय से ठेकेदार को ₹ 1 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

विभाग ने कहा (जनवरी 2012) कि अंडरपास आधार जैसी ही अन्य संरचना है एवं यह भूमि के अन्दर है और वैधानिक रूप से इसे ऊरी ढाँचा के रूप में वर्गीकृत किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पूरा अंडरपास भूमितल से नीचे निर्मित किया गया था तथा धारा-एफ की परिभाषा के अनुसार भूमि स्थिरक एक आधार मद नहीं हो सकती है ।

(ब) देरी के कारण ₹ 18 करोड़ के अर्थदंड की गैर उगाही

परियोजना को पूरा किए जाने की निर्धारित तिथि 9 जून 2010 थी लेकिन 532 दिनों की देरी के बाद कार्य 22 नवंबर 2011 को पूरा हुआ । परियोजना प्रबंधक ने बिना कोई अर्थदंड लगाए 532 दिनों का समय विस्तार दिया। यद्यपि, अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एफओबी के लिए संरचनात्मक ड्रांइग की अनुपलब्धता के कारण 104 दिन का समय विस्तार बिना अर्थदंड लगाए दिया गया । यह न्यायोचित नहीं था, क्योंकि एफओबी का निर्माण एक स्वतंत्र कार्य था और मुख्य कार्य से अंतःसंबंधित नहीं था। मुख्य फ्लाईओवर का कार्य एफओबी के पूरे होने तक प्रास्थगित रखने की आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त, बाधा रजिस्टर में ड्रांइग की अनुपलब्धता उल्लिखित नहीं थी। इसी प्रकार, अतिरिक्त कार्य के लिए 128 दिन का समय विस्तार अर्थदंड लगाए बिना दिया गया था। यह भी न्यायोचित नहीं था क्योंकि अन्य कार्यों के साथ उसी समय अतिरिक्त कार्य भी निष्पादित किए जा रहे थे और इस स्थिति में 128 दिनों से अतिव्याप्ति अवधि को घटाया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, ठेकेदार पर 232 दिनों की देरी के लिए ₹ 18 करोड़ का अर्थदंड लगाया जाना चाहिए था।

लो.नि.वि. ने कहा (जुलाई 2012) कि एफओबी के लिए संरचनात्मक ड्रांइग की अनुपलब्धता हेतु 104 दिन विचारित किए गए और देरी के लिए उत्तरदायी परामर्शदाता इसके लिए पहले ही दंडित किया जा चुका था । के.लो.नि.वि. कार्य

मैनुअल के अनुसार समय विस्तार देते समय अतिरिक्त कार्य की अवधि पर विचार किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लो.नि.वि. ने अंडरपास तथा फ्लाईओवर के कार्य नहीं किए जाने, एफओबी के लिए ड्रांइग की अनुपस्थिति और अतिरिक्त मदों के कारण अतिव्याप्ति अवधि को नहीं माने जाने के कारण स्पष्ट नहीं किए थे ।

2.2.8.6 अन्य अनियमितताएँ

(अ) अनुबंध में असंगत धारा के कारण ₹ 1.54 करोड़ की हानि

सभी पाँच कार्यों के अनुबंधों/एन.आई.टी. की नमूना जाँच से यह ज्ञात हुआ कि मूल्य विचलन हेतु लो.नि.वि./डीटीटीडीसी ने 10 सी सी ए की एक धारा प्रारंभ की । केवल उपभोज्य मदों पर ही मूल्य विचलन का भुगतान किया जाता है अथवा वसूली की जाती है । के.लो.नि.वि. मैनुअल मशीनरी एवं मशीन उपकरणों (पूँजीगत मालों) के मूल्य में विचलन के कारण किसी भुगतान का प्रावधान नहीं करता है । यद्यपि, धारा 10 सीसीए के अंतर्गत, लो.नि.वि. ने कुल कार्य के आठ से 18 प्रतिशत (आठ प्रतिशत आई आई टी गेट, 18 *प्रतिशत* अप्सरा बॉर्डर) घटक के लिए मशीनरी एवं मशीन उपकरण- पर मूल्य विचलन के भुगतान का प्रावधान किया, इस कारण ₹ 1.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

लो.नि.वि. ने कहा (जनवरी 2012) कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मूल्य विचलन के प्रति ठेकेदार को उपकरणों एवं मशीनरी के लिए प्रतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया था । यह तथ्य शेष रहता है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुबंध में धारा शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

2.2.9 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यू आई जी परियोजना का कार्यान्वयन

2.2.9.1 मुख्य नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवरेज सिस्टम डालना

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने यू आई जी के अंतर्गत, नजफगढ़, पूरक एवं शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवरेज सिस्टम डालने की एक परियोजना प्रारम्भ की थी। दि.ज.बो.ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि. (इआईएल) को परामर्शदाता नियुक्त किया और जनवरी 2008 में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। अवसंरचना पर कैबिनेट कमिटी द्वारा इन परियोजनाओं को मई 2010 में ₹ 1357.71 करोड़ की अनुमोदित लागत पर तथा ₹ 475.20 करोड़ की एसीए प्रतिबद्धता के साथ सौंपा गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परामर्शदाता का कार्य मैसर्स इआईएल को नामांकन आधार पर दि.ज.बो. की अन्य परियोजनाओं के एक प्रतिशत के परामर्श शुल्क के बजाए चार *प्रतिशत* पर सौंपा। यह सीवीसी दिशा निर्देशों का उल्लंघन था एवं इस

कारण दि.ज.बो.को ₹ 34.5 करोड़ (₹ 1150 करोड़ का तीन *प्रतिशत*) का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पडा ।

(अ) त्रुटिपूर्ण परामर्शकार्य अनुबंध

परामर्शकार्य अनुबंध एवं संबंद्ध अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अनुबंध तैयार करते समय सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 204 के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- जाँच पड़ताल एवं आँकडे संग्रहण की लागत भी परियोजना के खाते में डाली गई जबकि यह व्यय परामर्शदाता को परामर्शकार्य शुल्क से वहन करना चाहिए था। परामर्शकार्य के मामलों में 'ट्रंक सीवर का पुनःस्थापन' के संबंध में परामर्शदाता द्वारा इस लागत का वहन किया गया था।
- कार्य आदेश के शर्त IV के अनुसार, शुल्क जारी करने हेतु, राष्ट्रीयकृत बैंक में एक इस्क्रो खाता खोलना चाहिए और चेकों पर इआईएल एवं दि.ज.बो. के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। किंतु अनुबंध से संबंधित धारा 'सी' से *परिशिष्ट* II के अनुसार, इआईएल के लिए शुल्क का सीधा भुगतान दि.ज.बो. द्वारा किया जाये। धाराएँ परस्पर विरोधी थी।
- इआईएल को परियोजना के समय एवं लागत में वृद्धि हेतु जिम्मेदार नहीं बनाया गया। इंगित किए जाने पर, दि.ज.बो. ने कहा (जुलाई-2011) कि इआईएल के एक सरकारी संस्था होने के कारण इस प्रकार की धाराऐं अनुरक्षणीय नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इआईएल को कार्य 'निक्षेप कार्य सिद्धांत' पर सौंपा गया था और इआईएल को समय एवं लागत में वृद्धि के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए था।
- अनुबंध के परिशिष्ट 1-2 के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 2.3 के अनुसार, किसी मुकदमेबाजी/मध्यस्थ निर्णय के मामले में, इआईएल द्वारा नियुक्त ठेकेदारों के दावों का निपटारा दि.ज.बो. के लेखों के प्रति करने का अधिकार इआईएल के पास है । यह न्यायोचित नहीं था क्योंकि मुकदमेबाजी/मध्यस्थ निर्णय इआईएल द्वारा उनके शुल्क के अंतर्गत ही निपटाने/समाप्त किए जाने चाहिए थे।
- कार्य आदेश के अनुसार, इआईएल को भुगतान किया जाने वाला नौ *प्रतिशत* शुल्क या तो इआईएल द्वारा प्रस्तुत अनुमान या फिर परियोजना की वास्तविक लागत, इनमें जो भी कम हो, तक सीमित किया जाना चाहिए था किंतु ऐसा कोई उल्लेख अनुबंध में नहीं था। लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, दि.ज.बो. ने कहा कि इस धारा को इआईएल को अंतिम शुल्क देने के समय विचारित किया जाएगा।

(ब) कार्यान्वयन एवं भुगतान में अनियमितता

- यह सुनिश्चित किए बिना कि सेवा कर ईआईएल ने सरकारी खाते में जमा करवा दिया है, दि.ज.बो. ने इआईएल को ₹ 4.20 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया ।
- इआईएल को कार्य नामांकन आधार पर यह सुनिश्चित करने हेतु सौंपा गया कि परियोजनाएँ समयबद्ध तरीके से पूरी हो । कार्यों का (सितम्बर 2010) तक पूर्ण एवं अधिष्ठापित होना तय किया गया था यद्यपि, ईआईएल द्वारा कार्य जुलाई 2011 में ठेकेदारों को सौंपा गया तथा समाप्ति की तय तिथि जून 2014 थी । इस प्रकार परियोजना के समयपूर्वक पूरे होने का उद्देश्य पूर्णतः विफल हो गया । .
- इआईएल ने छः साइट ऑफिसों के निर्माण के लिए ₹ 1.60 करोड़ का दावा किया गया था । इआईएल द्वारा यह राशि इस्क्रो खाते से निकाली गई । लेखापरीक्षा का मत है कि इआईएल को इस राशि का वहन अपने परामर्श शुल्क से किया जाना चाहिए था ।

2.2.9.2 दिल्ली में ट्रंक सीवरेज सिस्टम का कार्याकल्प करना

दि.ज.बो. द्वारा जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत छः पैकेज में स्दिल्ली में ट्रंक सीवरेज सिस्टम का कायाकल्प करना कार्य किया गया था। पश्चिमी दिल्ली, पंजाबी बाग, विश्वविद्यालय, उत्तरी दिल्ली तथा जेल रोड़ एवं रिंग रोड ट्रंक सीवरों का उनकी क्षमता, काम बढ़ाने तथा नालों में सीवेज के अतिबहाव को रोककर यमुना नदी के प्रदुषण को घटाने हेतु कायाकल्प किया गया। दि.ज.बो. द्वारा ₹ 370 करोड़ के अनुमान को प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता मैसर्स टीटीआई को टोपोग्राफी सर्वे करने, ट्रंक सीवरों की स्थिति का मुल्यांकन करने, लाईनर की डिजाइन करने, विस्तृत अनुमान तैयार करने तथा कार्य की निगरानी करने हेतु नियुक्त किया गया (जुलाई 2006)।

(अ) परियोजना के कार्यान्वयन में देरी

प्रत्येक मामले में 24 महीनों की समाप्ति अवधि के साथ सभी छः पैकेजों हेतु कार्य आदेश विभिन्न एजेंसियों को जनवरी तथा फरवरी 2008 में जारी किए गए। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ये कार्य निर्धारित समय पर पूरे नहीं किए जा सके जैसा कि नीचे वर्णित है:

- उत्तरी दिल्ली ट्रंक सीवर, पश्चिमी दिल्ली ट्रंक सीवर तथा विश्वविद्यालय ट्रंक सीवर के कार्य मार्च 2012 तक प्रगति में थे।
- 'रिलीविंग ट्रंक सीवर के पुनःस्थापन' का कार्य भौतिक रूप से 389 दिनों की देरी के बाद मार्च 2011 में पूरा हो गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹ 18.15 लाख का

सांकेतिक अर्थदंड लगाने के बाद मार्च 2012 तक समय विस्तार दिया गया (नवबंर 2011) ।

- 724 दिनों की देरी के बाद पंजाबी बाग ट्रंक सीवर का कार्य जनवरी 2012 में पूरा हुआ। मई 2012 तक समय विस्तार का मामला प्रक्रियाधीन था।
- जेल रोड़ ट्रंक सीवर का कार्य भौतिक रूप से 746 दिनों की देरी के बाद मार्च 2012 में पूरा हो गया था। समय विस्तार का मामला अभी संसाधित होना था।

सभी मामलों में दि.ज.बो. द्वारा विलम्ब के लगभग समान कारण बताए गए जैसे, नगरीय प्राधिकरणों से अनुमति मिलने में देरी, यातायात अवरोध, दबे हुए मेनहोल, रात एवं वर्षाकाल में कार्य किया जाना। ये सभी उल्लिखित कारण पूर्वानुमानित प्रकृति के थे और सभी कार्यों की समाप्ति अवधि-इन तथाकथित कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जानी थी।

(ब) ₹ 68.13 लाख का निरर्थक व्यय

'दिल्ली में ट्रंक सीवरेज सिस्टम का कायाकल्प' की परामर्शदाता सेवा एवं तीसरी पार्टी गुणवत्ता आश्वासन कार्य मैसर्स टी टी आई को जुलाई 2006 में ₹ 11.61 करोड़ की लागत पर 31 अगस्त 2009 तक पूरा किए जाने के लिए सौंपा गया । चूँकि सिविल कार्य निर्धारित अवधि तक पूरा नहीं हुआ, दि.ज.बो. ने (अगस्त 2010) संविदा की अवधि दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दी । ये कार्य मार्च 2010 से जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आ गए एवं मई 2010 में एक साल के लिए इन कार्यों का निरीक्षण करने हेतु मैसर्स राइटस लिमिटेड को दि.ज.बो. द्वारा ₹ 25.92 लाख की निविदा लागत पर परामर्शदाता नियुक्त किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि मैसर्स टी टी आई की संविदा अवधि को दिसम्बर 2010 तक बढ़ाया गया था । परिणामस्वरूप, कार्य का निरीक्षण मई से दिसम्बर 2010 तक दोनों ही एजेंसियों द्वारा एक साथ किया गया । इस कारण मैसर्स टी टी आई को मई से दिसम्बर 2010 तक ₹ 68.13 लाख का भुगतान निरीक्षण शुल्क के रूप में किया गया, जो निरर्थक व्यय था ।

2.2.9.3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटस (एस टी पी) का निर्माण

दि.ज.बो. द्वारा फरवरी 2008 में ₹ 64.4 करोड़ प्रत्येक की लागत पर 20 एमजीडी क्षमता सहित दो एसटीपी पप्पन कलां एवं निलोठी (फेज- II) में अनुमोदित किए गए । मैसर्स एसटीयूपी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), निविदा कागजात एवं औचित्य इत्यादि तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया था । शहरी विकास विभाग द्वारा दिसम्बर 2008 में डीपीआर अंतिम रूप से अनुमोदित किए गए ।

(अ) कार्य सौपें जाने में असामान्य रूप से देरी के कारण लागत वृद्धि

दि.ज.बो. ने पप्पन कलाँ तथा निलोठी में एसटीपी के निर्माण के लिए अक्टूबर 2009 में एनआईटी जारी किया जिसे ई-टेंडरिंग पर अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन करने के विचार से वापिस ले लिया गया था । दि.ज.बो. ने 1 जनवरी 2010 को पुनः एन आई

टी जारी किया । तिथियों के विस्तार एवं निविदा शर्तों में परिवर्तन/सुधार के लिए शुद्धिपत्र जारी करने के बाद, 26 जुलाई 2010 को तकनीकी बिड़ खोला । छः फर्मों ने भाग लिया, जिसमें से तीन फर्म मुख्यतः तकनीकी रूप से अनुकूल थे एवं दो व्यावहारिक रूप से अनुकूल थे । यद्यपि, तकनीकी समिति ने एनआईटी को फिर से आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया इस प्रार्थना पर कि अवमल प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता के विस्तार पूर्वक वर्णन की आवश्यकता थी एवं यह भी कि मूल्यांकन के तरीके को आगे स्पष्ट भी किया जाना था।

29 मार्च 2011 को निविदाएँ पुनः आमंत्रित की गई थी एवं दि.ज.बो. ने एक बार पुनः पाँच शुद्धिपत्र जारी किए तीन तिथियों में विस्तार के लिए एवं दो निविदा की शर्तों में संशोधन हेतु। मुख्य अभियंता (एस डी डब्ल्यू) ने पाया कि परामर्शदाता के पास दूरदर्शिता का अभाव था क्योंकि वह जानकारी देने में अक्षम था जबकि तकनीक विस्तृत रूप से ज्ञात थी। अंततः, एस टी पी निलोठी का कार्य मैसर्स वियोलिया को ₹ 261.50 करोड़ की समझौता लागत पर सौंप दिया गया एवं एस टी पी पप्पन कलाँ का कार्य मैसर्स वीए टैंक वैबाग को ₹ 243.50 करोड़ की समझौता लागत पर फरवरी 2012 में सौंप दिया। इस प्रकार, संविदा सौंपे जाने में देरी के कारण, फरवरी 2008 में जो कार्य ₹ 128.8 करोड़ अनुमानित किए गए थे वे फरवरी 2012 में ₹ 505 करोड़ पर सौंपे गए थे।

2.2.10 दिल्ली नगर निगम द्वारा यू.आई.जी. परियोजना का कार्यान्वयन

2.2.10.1 बहुतलीय भूमिगत कन्वेशनल कार पार्किंग का विकास तंत्र

दिल्ली में पार्किंग की सुविधाओं के सुधार हेतु दि.न.नि. ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर भूमिगत बहुतलीय पार्किंग बनाने का निर्णय लिया । दि.न.नि. ने भूमिगत कन्वेशनल कार पार्किंग बनाने हेतु 24 क्षेत्रों की पहचान की (फरवरी 2008)। तत्पश्चात् निधियों की कमी के कारण 24 में से आठ स्थानों को छोड़ दिया। स्टैडिंग कमिटी ने 16 स्थानों के लिए ₹ 469.80 करोड़ के व्यय को 21 महीने में कार्य पूरा किए जाने की शर्त के साथ अनुमोदित किया।

(अ) ₹ 35 लाख के राजस्व की हानि

दि.न.नि. ने मैसर्स स्टप कन्सलटेंटस प्रा.लि. को परामर्शदाता के रूप में चार स्थानों (शिवा बाजार, पीतमपुरा, क्यू.यू.ब्लॉक पीतमपुरा, एएल पार्क बाजार शालीमार बाग तथा केन्द्रीय बाजार अशोक विहार) पर कन्वेशनल भूमिगत बहुतलीय कार पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु ₹ 3.50 करोड़ में नियुक्त किया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्शदाता के साथ समझौते को रद्द कर दिया क्योंकि परामर्शदाता समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संभाग ठेकेदार द्वारा जमा कराए गए ₹ 35 लाख की निष्पादन गारंटी को जब्त करने में असफल रहा, क्योंकि इसकी वैद्यता 30 जून 2011 अर्थात् समझौता रद्द होने के पहले

ही समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, निष्पादन गारंटी को समय रहते पुनः मान्य किए जाने में संभाग की असफलता के कारण ₹ 35 लाख की हानि हुई।

2.2.10.2 आर एम सी पेवमेंट देकर सड़कों का सुधार ₹ 4.33 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत दि.न.नि. की कार्य समिति ने विभिन्न भागों के 32 सड़कों के 'आरएमसी पेवमेंट (फेज-I) देकर सड़कों का 60 फीट आर ओ डब्ल्यू तथा ऊपर तक सुधार' को ₹ 150 करोड़ पर अनुमोदित किया । 32 सड़कों में से 15 के लिए दि.न.नि. द्वारा प्र.अ. एवं अ.सं. दी गई (दिसम्बर 2009) तथा का.अ., परियोजना-I रोहिणी क्षेत्र द्वारा कार्य मैसर्स ओडिओन बिल्डर्स (प्रा.) लि. को ₹ 44.85 करोड़ पर सौंपा गया (नवम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दि.न.नि. ने चार अन्य सड़कों[†], पर कार्य कराया जो कि कार्य समिति द्वारा प्रारंभ में अनुमोदित 15 सड़कों की सूची में शामिल नही थे । इस प्रकार, संभाग ने कार्य समिति के अनुमोदन के बगैर इन चार सड़कों पर कार्य कराया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.33 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ। मामला दि.न.नि. को भेजा गया। दि.न.नि. ने सूचित किया कि मामला अनुमोदन हेतु कार्यसमिति को भेजा गया है ।

2.2.10.3 दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास साबोली एक्सटेंशन से नाला संख्या-2 तक एस एस बी एल नाले को पुनः तैयार करना

'उत्तर शाहदरा क्षेत्र में दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास साबोली एक्सटेंशन से नाला संख्या-2 तक एस एस बी एल नाले को पुनः तैयार करने' का कार्य मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लि. को ₹ 77.99 करोड़ की लागत पर सौपा गया था (जून 2011)। कार्य 07 अक्टूबर 2012 तक समाप्त किया जाना था । संभाग ने ₹ 1.53 करोड़ का भुगतान किया था (दूसरे आर ए बिल तक)। यह देखा गया कि एक साल से अधिक की समाप्ति के बाद, जून 2012 तक केवल दो प्रतिशत कार्य समाप्त हुआ था।

(अ) ₹3.90 करोड़ के निष्पादन गारंटी के बगैर कार्य सौपना

के.लो.नि.वि. मैनुअल के भाग 21.1 के अनुसार, सफल निविदादाता कार्य की निविदा मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि निष्पादन गारंटी के रूप में जमा करेगा तथा ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने का पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब वह स्वीकार्य रूप से निष्पादन गारंटी जमा कराए । यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि संभाग ने मैसर्स

[†] (i) वार्ड सं. 88 में चेमालियन रोड़, एस पी क्षेत्र (ii) वार्ड सं. 76 में बाराटूटी चौक से बी जी रोड़ तक, एस पी क्षेत्र (iii) वार्ड सं. 90 में नई रोहतक रोड़ से इदगाह रोड़ तक फैज रोड़, एस पी क्षेत्र (iv) पीतमपुरा में दिल्ली हाट के नजदीक आर पी चौक से जिंग तक सड़क, रोहिणी क्षेत्र

वेलेचा इंजीनियरिंग लि. को ₹ 77.99 करोड़ का कार्य सौंपा तथा ₹ 3.90 करोड़ की निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की।

2.2.11 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा मिशन का कार्यान्वयन संपूर्णतः संतोषजनक नहीं था । दिल्ली में आवश्यक तथा ऐच्छिक सुधारों का कार्यान्वयन दिल्ली सरकार द्वारा आगे ले जाने एवं एकन्वित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए । राज्य स्तर नोड़ल एजेंसी (शहरी विकास विभाग) व्यावहारिक रूप से अप्रभावी था क्योंकि इसने स्वयं को योग्य कर्मचारियों एवं प्रौद्योगिकी के मामले में इस प्रकार तैयार नहीं किया था कि यह परियोजना का अनुवीक्षण एवं अवलोकन कर पाता । इसके परिणामस्वरूप, मिशन के अंतर्गत परियोजना के अनुवीक्षण की प्रणाली सही नहीं थी । तथापि, लो.नि.वि. द्वारा यूआईजी परियोजना बड़े पैमाने पर पूरी की गई । डीटीटीडीसी, लो.नि.वि. तथा दि.ज.बो. द्वारा ली गई यू.आई.जी. परियोजनाएँ काफी पीछे रह गई । हालाँकि, बी एस यू पी का मुख्य ध्यान मलिन बस्तियों के एकीकृत विकास पर था इस हेतु इसके साथ शेल्टर, मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य संबद्ध नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की परियोजनाऐं थी । तो भी, मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास की कम ही परियोजनाएं चालु की गई । तो भी, बी एस यू पी के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयों को उपयुक्त लाभार्थियों के जाँच के अभाव में आबंटित नहीं किया, क्योंकि शहरी निर्धनों का सर्वे डीयूएसआईबी द्वारा प्रारंभ किया जाना था। परियोजना का कार्यान्वयन अनियमितताओं के कारण मंद पड़ गया जिसके परिणामस्वरूप लागत आधिक्य तथा लोक वित्त पर अतिरिक्त भार पड़ा।

सिफारिशें

केवल कार्यशील एवं संस्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही मिशन विस्तृत अवधि में है। चूँकि विस्तृत अवधि 2014 तक ही है, लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने हेतु सरकार को निम्नलिखित कार्रवाई करने पर विचार करें:

- *एसएलएनए को जारी परियोजना की प्रगति पर सतत निगरानी हेतु योग्य कर्मचारियों तथा प्रौद्योगिक के संबंध में अनुवीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाया जाना चाहिए।*
- *मिशन की विस्तृत अवधि में सरकार को छोड़ी गई परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयास तीव्र करने चाहिए।*

- *डीयूएसआईबी को शहरी निर्धनों का सर्वे प्रारंभ करना चाहिए तथा तैयार आवसीय इकाईयों का जल्द आवंटन पहचाने गए उपयुक्त लाभार्थियों को किया जाना चाहिए।*
- *एसएलएनए (शहरी विकास विभाग) को कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था और मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत शेष निधियों का दावा आगे इन्हें सरकार को प्रस्तुत किया जाए।*
- *कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों पर उनके द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के अंतिम लेखे जमा करने हेतु सलाह दी जाए।*